पंचम माला, खंड 60, अंक 29, गुरुवार, 29 अप्रैल, 1976/9 वैशाख, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LX, No. 29, Thursday, April, 29, 1976/Vaisakha 9, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 29, गुरुवार, 29 अप्रैल, 1976/9 वैशाख, 1898 (शक)

No. 29, Thursday April 29, 1976 / Vaisakha 9, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—17
तारांकित प्रश्न संख्या 586 से 589, 593 से 595, 600, 601, 605 और 592	Starred Questions Nos. 586 to 589, 593 to 595, 600 601, 605 and 592	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	18—71
तारांकित प्रश्न संख्या 590, 591, 596 से 599, 602 और 603	Starred Questions Nos. 590, 591 596 to 599, 602 and 603	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2853 से 2900 और 2902 से 2944	Unstarred Questions Nos. 2853 to 2900 and 2902 to 2944	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table ..	71—72
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ..	72
218वां प्रतिवेदन	Two hundred and eighteenth Report	
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee ..	72
102वां प्रतिवेदन	Hundred and Second Report	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	73
88वां, 86वां और 87वां प्रतिवेदन	Eighty-eighth, Eighty- sixth and Eighty-seventh Reports ..	
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants, 1976-77	73-98
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	Ministry of Health and Family Planning ..	73—78
डा० कर्ण सिंह :	Dr. Karan Singh	73—78

किसी नाम पर अंकित यह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually aksed on the floor of the House by him.

414LSS/76

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
ऊर्जा मंत्रालय	*Ministry of Energy*	79—98
श्री विजय मोडक	Shri Bijoy Modak	79—82
श्री एस० ग्रार० दामाणि	Shri S. R. Damani	82—83
श्री के० एम० 'मधुकर'	Shri K. M. 'Madhukar'	83—84
श्री जी० एस० मिश्रा	Shri G. S. Mishra	84
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	84—86
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	86—87
श्री दामोदर पाण्डेय	Shri Damodar Pandey ..	87—88
श्री चन्दुलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar ..	88—89
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	89
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	89—90
श्री राम कंवर	Shri Ram Kanwar	90
प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद	Prof. Siddeshwar Prasad	90—92
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	92
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	92
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	93—94
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	94
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	.Shri Chintamani Panigrahi	94—95
श्री भगतराम मनहर	Shri Bhagatram Manhar	95—96
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	96
डा० एच० पी० शर्मा	Dr. H. P. Sharma	96—97
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	97—98
श्री के० सी० पन्त	Shri K. C. Pant ..	98

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 29 अप्रैल, 1976/9 वैशाख, 1898 (शक)
Thursday, April 29, 1976/Vaisakha 9, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए अस्पताल

*586. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के लिए देश के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में अस्पतालों की व्यवस्था करने की पांचवीं पंचवर्षीय योजना एवं वर्ष 1976–77 की वार्षिक योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कुल कितने परिव्यय का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में राज्यों को क्या मार्गदर्शी निदेश जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और गश्ती डिस्पेंसरियां खोलकर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं के विकास को पांचवीं पंचवर्षीय योजना और 1976–77 की वार्षिक योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(ख) राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 28.50 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

(ग) राज्य सरकारों को इस संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी गई है।

विवरण

1. एक यूनिफाइड एजेन्सी होनी चाहिए अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की रूपरेखा तैयार करने, योजना, संचालन, रख-रखाव और मूल्यांकन के सभी पहलुओं से संबंधित कार्य करने के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में एक एकक होना चाहिए।

2. पहले से चली आ रही योजनाओं (स्पिलओवर स्कीम) को चलाना उनका पहला काम होना चाहिए।

3. पांचवीं योजना के लिए तैयार की गई प्राथमिक सूची से नई योजनाएं ली जाएं। इस बात का सदा ख्याल रहे कि उपर्युक्त सूची में अनुसूचित आदिम जाति के देहातों, अनुसूचित जाति के लोगों के निवास स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा सुदूरवर्ती देहातों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इनमें से ऐसी किसी क्षेत्र को बाद के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

4. योजनाएं बनाते समय न्यूनतम स्वास्थ्य आवश्यकता कार्यक्रम से क्रियान्वयन के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की 17 से 19 अप्रैल, 1975 को नई दिल्ली में हुई दूसरी संयुक्त बैठक में पारित संकल्प को भी ध्यान में रखा जाए।

5. सामग्री, स्टाफ आदि के बारे में जो कठिनाई हो जिसके लिए इस मंत्रालय की सहायता की आवश्यकता हो उसे समय समय पर ध्यान में लाया जाए ताकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर की जा सके।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं जानना चाहता कि विशेषकर उड़ीसा राज्य में जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा चलती फिरती स्वास्थ्य यूनिटें खोली जाएंगी। क्या केन्द्र द्वारा राज्यों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस पहलू को पहली प्राथमिकता दी गई है?

डा० कर्ण सिंह : मेरे पास नवीनतम जानकारी यह है कि जनजाति क्षेत्रों के कुल 939 खण्डों में से 873 खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि अधिकांश खण्डों को इसके अन्तर्गत ले लिया गया है। तथापि अभी भी इस संबंध में कुछ कमी है। यहां तक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का संबंध है हमने अभी कहा है कि जबकि दूसरे क्षेत्रों में 80 हजार से 1,00000 आबादी के लिए एक स्वास्थ्य केन्द्र है, जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में प्रति 25000 की आबादी के लिए एक केन्द्र होना चाहिए। मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं लेकिन दुर्भाग्यवश उनको अभी तक लागू नहीं किया गया है। क्योंकि प्रत्येक राज्य को इसके सहित एक जनजाति उपयोजना तैयार करनी है। हमने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में उनसे अनुरोध किया है और मैंने पुनः कहा है कि इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि इस योजना के अंत तक यह सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा सकें।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि जनजाति क्षेत्रों में कार्यक्रमों के साथ-साथ परिवार नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है? क्या उन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक तथा एलोपैथिक औषधियां भी सुलभ की जाएंगी? डाक्टरों की एक अच्छी टीम के बिना स्वास्थ्य कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य चल-डाक्टरों के संबंध में इस क्षेत्र की कार्मिक नीति क्या है?

डा० कर्ण सिंह : मैं इस बात को आरम्भ में स्वीकार करता हूं कि जनजाति क्षेत्रों में जितनी चिकित्सा व्यवस्था की गयी है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। जनजाति क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों —मैं भी वहीं का हूं—की भी उपेक्षा की जाती है। डाक्टर वहां नहीं जाना चाहते। जैसा मैंने एक अलग अवसर पर कहा था कि हम उन डाक्टरों के संबंध में कड़ी कार्यवाही करना चाहते हैं जो कि जनजाति क्षेत्रों में जाने से इंकार करते हैं, माननीय सदस्यों ने इसे अखबारों में पढ़ा होगा। आखिर, ये हमारे समाज के अत्याधिक कमजोर वर्ग हैं और यदि हम अपने अधिकारियों को इस समय वहां नहीं भेज सकते तो हम कभी भी उन्हें वहां नहीं भेज पाएंगे, अतः, कार्मिकों के संबंध में, हमने विशेष रूप से मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं कि सहायक दाइयों, बहु-प्रयोजनीय कर्मकारियों तथा डाक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए।

SHRI RAM KANWAR : Mr. Speaker, Govt. have allotted [funds] for tribal areas. The State Government is unable to frame a proper scheme and the funds allocated for the welfare of tribal people gets lapsed. May I know whether Government will pay special attention to see that the allotted funds are properly utilised.

DR. KARAN SINGH : The Hon. Member has rightly stated that the sub-plans have not yet been prepared. We are approaching the State Governments in this respect and requesting them to do it. We will keep watch over them so that the sub-plans may be prepared soon and be implemented.

श्री जगन्नाथ राव : यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने आदिवासी क्षेत्रों में भी चलते-फिरते (मोबाइल) स्वास्थ्य एककों की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों के लिए कितने चलते-फिरते एकक की मंजूरी दी गई है? दूसरे प्रत्येक चलते-फिरते एकक को कुल कितने क्षेत्र, 10 मील या 20 मील में कार्य करना पड़ेगा? तीसरे यह कि उड़ीसा के लिए कितने चलते-फिरते एककों की मंजूरी दी गई है और इस कार्य के लिए राज्य की कितनी वित्तीय सहायता दी गई है? आदिवासी क्षेत्रों के लिए उड़ीसा द्वारा उप-योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है।

डा० कर्ण सिंह : उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों के लिए पांचवी योजना में 2.88 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। इसे अभी खर्च नहीं किया गया है। तीसरे वर्ष में हमने केवल 8 लाख रुपया ही खर्च किया। चलते-फिरते एककों के कार्यकरण के क्षेत्र का निर्धारण, क्षेत्र के अनुसार ही किया जाएगा। जो क्षेत्र बहुत दूर-दूर तक फैले हुए हैं, वहां उन्हें अधिक क्षेत्र में कार्य करना पड़ेगा। मैं आपको एक दिलचस्प बात यह भी बता दूं कि कुछ क्षेत्रों में जहां कि जीप नहीं जा सकती हैं, वहां हम चलते-फिरते चिकित्सालयों की व्यवस्था जानवरों के माध्यम से भी करेंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके आधार पर हम ऐसा न करें। चलते-फिरते एकक बनाने का कार्य भला केवल डीजल से चलने वाली गाड़ियों तक ही सीमित क्यों रखा जाए? अतः इस प्रकार के अनेक उपायों का प्रयोग हम करने जा रहे हैं क्योंकि हम उन लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं। प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी संख्या भी अलग अलग होगी।

SHRI SUKHDER PRASAD VERMA : It has been stated by the Minister that dispensaries will be opend in Adivasi and backward areas on priority basis. I want to know the expenditure incurred on a patient in ordinary hospitals and what is the provision for such an expenditure in Adivasi areas, Firstly, doctors do not go to Adivasi areas, Secondly, proper health services are not available there and thirdly I may submit that the people of these areas are not inclined to this

medical system and if some one goes in for Treatment, then the essential medicines are not available in the hospital.. In such cases, those people do not go in for treatment after purchasing the medicines so I want to know whether you are having any plan to make all medicines available in the hospitals or not ? Secondly I want to know how many hospitals have been opened in the backward State of Bihar, how many vehicles are there and how much amount has been provided in the plan for this hospital ?

DR. KARAN SINGH : I have already stated that a Primary Health Centre is just a focal point of health services in rural area. Now when there is one such Health Centre on an average population of One lack, in Adivasi areas there may be one on an average population of 25000. That means more attention is being laid to them and it is almost four times than others. How it is upto those people, weather they avail of this opportunity or not. If Adivasis do not depend upon medicines, it is good enough because those people have got a medical system of their own and Primary Health Centres have been made to meet their requirements of this system if any. Regarding expenditure on a patient in tribal area, I may submit, that it is rupee one per patient whereas in other areas it is 50 paisa per patient. With regard to Bihar, I may submit that I have got the figures and I will give the same to the hon. Member in detail.

चासनाला कोयला खान से निकाले गये शव

*587. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री एन० ई० होरो :
क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 मार्च, 1976 तक चासनाला कोयला खान से निकाले गए शवों की संख्या 416 तक पहुंच गई है जो कि सरकारी आंकड़ों से 41 अधिक है;

(ख) क्या निकट भविष्य में और अधिक शव निकाले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस अंतर के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) 11 मार्च, 1976 तक, चासनाला कोलियरी से 367 (अनंतिम रूप से निर्धारित) शव निकाले गए थे। 416 के आंकड़े, जैसे कि स्थिति 11-3-76 को थी, हड्डियों के बंडलों या जिस्म के अंगों, जोकि भूमि के नीचे के कार्यस्थल से उस तारीख तक पाए गए, के लिए जारी किए गए टेंगो की संख्या से संबंधित हैं।

(ख) और (ग) : 23-4-76 तक, चासनाला कोलियरी से 457 टेग हवाले निकाले गए थे। 437 टेग हवालों की डाक्टरों के दल द्वारा शव परीक्षा रिपोर्टों के मिलान से पाए गए पूरे शवों की संख्या 374 निर्धारित की गई थी। शेष 20 टेग हवालों की शव परीक्षा रिपोर्टों की ओर आगे मिलान प्रगति पर है।

SHRI SWARAN SINGH SOKHI : Mr. Speaker, Sir, it has been stated by the Minister that 457 tag have been brought out and then he has stated that for 20 tag, references are on the way. I want to know what is *this on the way* ?

Apart from this it has also been stated that 376 or 374 bodies have been recovered, these are the official figures, I want to know if some more dead bodies have been recovered or not. I am not speaking in terms of tag and bones.

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैंने आज से केवल 5 ही दिन पूर्व, 23-4-76 को बताया था कि डाक्टरों के अनुसार मृतकों के शवों की संख्या 374 है।

जहां तक टेग का संबंध है, उसके बारे में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है :

1. खान में से निकाले गए प्रत्येक शव/शव के भाग पर महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा टेग संख्या लगाई जाती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए हम यह समझ सकते हैं कि टैग रेफ़ेरेन्स या उसका शव-परीक्षण संख्या वही न हो जोकि पाए जाने वाले मृतक शवों की हो।

2. एक टेग रेफ़ेन्स में, जिसमें कि सिर तथा धड़ हो उसे, पूर्ण शरीर मान लिया जाता है यद्यपि उसके शरीर की अन्य हड्डियां न भी मिली हों।

3. केवल खोपड़ी केवल धड़ या केवल हड्डियां प्राप्त होने वाले शवों की अलग सूची तैयार की जाती है। शवों की कुल संख्या का अनुमान लगाने के लिए, जिसका कि उल्लेख पैरा (2) में किया गया है, केवल खोपड़ियों या केवल धड़ों, दोनों में से जिसकी संख्या अधिक हो, उसे ही शवों की संख्या के रूप में गिन लिया जाता है।

टेग रेफ़ेन्स जिसमें कि अन्य हड्डियां भी होती हैं, उसे शवों के रूप में नहीं गिना जाता। शवों के विभिन्न अंगों संबंधी इन सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए, डाक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 23–4–76 तक 374 शव मिल चुके थे।

SHRI SWARAN SINGH SOKHI : I am not satisfied with this answers. When I had been in the mines, it came to my knowledge that some more bodies were found. May I know if you will only depend on the figures as determined by the doctors. The referred 20 tags are not dead bodies, so I want to know whose bones these 20 tags contain.

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : मेरे पास तो यही जानकारी उपलब्ध है और डाक्टरों की जानकारी भी यही है। संभवत: अदालती जांच के सामने भी यह मामला आएगा और इसके बारे में कोई निर्णय कर लिया जाएगा।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को हानि

*588. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को गत 3 वर्षों से हानि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त एकक के पुनरुत्थान के लिए किस प्रकार की कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं :

(1) 1970, 1971 तथा 1972 के दौरान कंपनी की लगभग सभी शाखाओं में श्रम अशांति।

(2) टायर, ट्यूब, फालतू पुर्जे तथा ईंधन इत्यादि के मूल्यों में अधिक वृद्धि के कारण परिचालन की ऊंची लागत।

(3) पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहनों को न रखना।

(4) पर्याप्त कार्यशील पूंजी का अभाव।

(ग) निगम ने उचित दरों पर दीर्घकालीन ठेके प्राप्त करने तथा वाहनों की उपयोगिता में यथासंभव सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं। इसने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में परिचालन केन्द्रित करने का भी निश्चय किया है।

परन्तु, संसदीय लोक उपक्रम समिति ने जैसी सिफारिशों को किया है, के अनुसार निगम को बंद करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शक्ति कुमार सरकार : हमें यह बात समझ में नहीं आई है कि सरकारी उपक्रम समिति ने इस निगम को बंद करने का सुझाव क्यों दिया है। आप यदि उत्तर को पढ़ने का कष्ट करें तो आपको मालम होगा कि इस निगम की हानि केवल कुप्रबन्ध के कारण ही हुई है। निसंदेह इसका एक कारण लगातार तीन वर्ष तक चलती रही श्रमिक अशांति भी है। फिर भी ऐसा लगता है कि वहां कुप्रबन्ध ही रहा है नहीं तो भला श्रमिक अशांति तीन वर्ष तक कैसे चलती रहती? इसके लिए टायरों, ट्यूबों तथा अन्य फालतू पुर्जों को बदलना, तथा पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियां लाना भी शामिल किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गिनम की उपयोगिता तो बनी हुई हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रालय इस बात पर विचार करने के लिए तैयार है कि यह निगम बंद न किया जाए?

श्री दलबीर सिंह : हानि के कारणों को तो मैंने गिनवा दिया है। वह उनकी व्याख्या अपने ही ढंग से करने का प्रयत्न कर रही है परन्तु व्यापक ब्योरे का अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन सभी वर्षों में होने वाली हानि के कारण यही हैं

श्री शक्ति कुमार सरकार : इस निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या कितनी है? इन बेरोजगारी के दिनों में हम उनसे बंद के नाम पर रोजगार नहीं छीनना चाहते। अतः क्या मंत्री महोदय इस मामले की ओर अपेक्षित ध्यान देंगे?

श्री दलबीर सिंह : कर्मचारियों की संख्या 1412 है जिनमें से 724 पूर्वी क्षेत्र में हैं तथा 688 पश्चिमी क्षेत्र में।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इस प्रकार के निगम को बंद करने के परिणाम स्वरूप उसके कर्मचारियों को इन बेरोजगारी के दिनों में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अतः हानि के कारणों का पता लगा लेने के बाद क्या सरकार ने कोई ऐसा अध्ययन किया है जिसके आधार पर इन कमियों को समाप्त किया जा सके और इसे लाभकारी बनाया जा सके। यदि यह निगम बंद हो जाता है तो इन कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

श्री दलबीर सिंह : सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति जागरुक है। यदि निगम बंद हो जाती है तो कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। हमने तो दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों से भी यह पूछा है कि क्या वह उनमें से कुछ को रोजगार दे सकते हैं, इसी प्रकार हमने अन्य संस्थाओं से भी उन्हें रोजगार दिलाने के लिए पूछ ताछ की है। इसके बावजूद भी यदि कुछ कर्मचारी रह जाते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार उपयुक्त मुआवजा दे दिया जाएगा।

योग शिक्षा आरम्भ किया जाना

*589. **श्री चिरंजीव झा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद् ने योग शिक्षा आरंभ करने के लिए क्रमबद्ध पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

विवरण

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् ने सामान्य शिक्षा के लिए योग का एक पाठ्य विवरण और व्यावसायिक चिकित्सा शिक्षा के लिए योग का एक अस्थाई पाठ्य विवरण भी तैयार किया है। इन दोनों पाठ्य विवरणों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:—

I. सामान्य शिक्षा के लिए योग का पाठय विवरण

1. यह पाठ्य विवरण चार मुख्य भागों में बांटा जाएगा अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और स्नातकोत्तर।
2. इस पाठ्य विवरण में योग की सभी प्रमुख क्रियाएं शामिल कर ली गई हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए विभिन्न योग की क्रियाएं अर्थात् सूक्ष्म व्यायाम, आसन, सफाई की क्रियाएं, मुद्राएं प्राणायाम, आदि उनके स्वास्थ्य वर्धक और शैक्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित की गई हैं।
3. निचली कक्षाओं के लिए ऐसी क्रियाओं पर बल दिया गया है जो व्यक्तित्व के शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए लाभदायक हैं जैसे आसन, प्राणायाम मुद्राएं आदि जबकि उच्च कक्षाओं के लिए ऐसी क्रियाओं को अधिक महत्व दिया गया है जो मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक हैं।
4. वैयक्तिक स्वच्छता और शुद्ध आचार विचार पर एक-सा जोर दिया गया है।
5. क्रियाओं को चुनने में परम्मपरागत मूलपाठ के साहित्य को आधार माना गया है।
6. सिद्धान्त विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित किए गए अभ्यासों के अनुरूप हैं।

II. व्यावसायिक चिकित्सा शिक्षा के लिए योग :

योग के दो प्रकार के पाठ्य विवरण अस्थाई रूप से तैयार किए गए हैं—पहला पाठ्य विवरण प्रथम व्यावसायिक एम० बी० बी० एस० कोर्स के दौरान शुरू किया जाने वाला और दूसरा इन्टर्नशिप स्टेज पर चिकित्सा स्नातकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। प्रथम व्यावसायिक एम० बी० बी० एस० कोर्स के दौरान जो पाठ्य विवरण होगा उसमें 8—10 लेक्चर होंगे

और इसमें योग की क्रियाओं के मन और शरीर पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन और स्वास्थ्य संबधी निरोधी और सुधारात्मक उपायों में उनकी उपादेयता का अध्ययन करना शामिल है।

इन्टर्नशिप स्टेज के दूसरे पाठ्य विवरण में 25-30 लेक्चर और 5–10 प्रदर्शन होंगे। इसमें योग की मुख्य पद्धतियों का इतिहास, दर्शन और मनोविज्ञान शामिल है। योग की ये पद्धतियां हैं हठयोग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग।

SHRI CHIRANJIB JHA : Sir, in the past, the practice of treatment through yoga was prevalent which has been nearly forgotton by us. The earlier we add yoga to the syallabus of our education better it would be. So I want to know whether it has been added to the syallabus of education or not and if not what are its reasons and when is it likely to be started ?

DR. KARAN SINGH : So far as the question of Yoga Education in Yogic Institutions is concerned, it is already there for the last so many years but as for as its introduction in the syallabus of education institutions is concerned, if Mr. Speaker permits me, I will place a copy of the same on the Table of the House. We have written to all states that they should make use of Yoga in their education system. As stated by the hon. Member the yoga education had been a very rich and prosperous inheritance of our country and we should make use of it in our education system. Now people are inclining towards it and we hope that within next two years it will become popular part of our educations.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : योग केवल शिक्षा ही नहीं है अपितू यह तो एक तकनीक है। अतः इस तकनीक के बारे में आपने किसी योगी से जानकारी प्राप्त की होगी जिसने कि इस क्रिया का काफी अध्ययन किया होगा, योग के रहस्य को समझा होगा, तथा उसी के परामर्श तथा सहायता से ही आपने पाठ्यक्रम तैयार किया होगा क्योंकि तभी तो यह अधिक लाभाकारी हो सकेगा ?

डा० कर्ण सिंह : सदन की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि यह पाठ्यक्रम सुप्रसिद्ध योगियों तथा वैज्ञानिकों के बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। मैं यह चाहता हूं कि पुरानी योगिक शिक्षा तथा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक दोनों को मिला दिया जाए। इसलिए हमने "योग विज्ञान और मनुष्य" पर गोष्ठी का आयोजन किया है। इस विषय पर बहुत कार्य हुआ है। हम योगियों और आधुनिक वैज्ञानिकों का पूरा लाभ उठायेंगे।

श्री बसन्त साठे : योग विद्या में ऐसी ठोस सम्भावनाएं विद्यमान हैं जो आधुनिक विज्ञान में नहीं हैं। और जहां मनुष्य की भावी अन्तरिक्ष युग में प्राप्त करनी हैं। आप जानते ही हैं कि कुण्डलिनी विज्ञान तथा अन्य योगिक विज्ञान में वह क्षमता है जिससे मनुष्य अतिमानव बन सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उच्च विज्ञान और योग विद्या के उच्च-स्तर पर यह स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है ? गीता में भी वर्णन किया गया है "समत्वं योग उच्यते"। इसलिए एकता प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इन छोटी छोटी पर्चियों से कार्यसिद्धि नहीं होने वाली है, जबकि यह सच है कि योग विद्या बचपन से ही आरम्भ की जानी चाहिए। वृद्धावस्था में योग विद्या सीखने से कोई लाभ नहीं। अतः यह सन्तोष की बात है कि सरकार योग विद्या की प्राथमिक स्तर से आरम्भ कर रही है। लेकिन क्या आप इसके विकास के लिए कोई उचित पाठ्यक्रम या प्रौद्योगिकी तैयार कर रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : यह प्रश्न विशेषतया मेरे लिए बहुत रुचि का है। मुझे सदस्यों और सदन को सूचना देने में प्रसन्नता होगी कि चेतना या बोध अनुसन्धान की समस्याओं पर कार्य करने वाला विश्व भर में भारत ही एक मात्र देश है। दूसरे शब्दों में विज्ञान से सत्य और योग की खोज की जाती है। विज्ञान से भौतिक संसार में अनुसन्धान या खोज की जाती है और योग से आध्यात्मिक संसार में। यदि दोनों सच हैं तो अन्ततोगत्वा इनमें कहीं तो क्षितिज की रेखा दिखाई देगी ही। जहां तक कुण्डलिनी की परिकल्पना का सम्बन्ध है, इसके वर्णन के लिए मेरे पास समय नहीं है। यदि सदस्यों की इसमें रुचि है तो मैं एक दिन इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा (व्यवधान)। मैंने कुण्डलिनी पर अनुसन्धान परियोजना का निर्माण किया है जिसकी खोज वैज्ञानिक और योगी करते हैं। इस परियोजना पर 25 लाख रुपये खर्च होंगे। खेद तो इस बात का है कि मुझे अभी तक राशि नहीं मिली है। अब में विश्व स्वास्थ्य संघ में भाग लेने के लिए जनेवा जा रहा हूं। मैंने विश्वस्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से भी बात चीत की है। यह परियोजना बंगलौर में आरम्भ की जाएगी। क्योंकि वहां मनःस्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान है मुझे आशा है कि इस परियोजना के आरम्भ होने से इस क्षेत्र में मुख्य कार्य होगा।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Sir, I want to know whether this yogic education system, being started is meant for males or ladies also, and whether the ladies in our (country are capable for this education?

DR. KARAN SINGH : In fact Kunddini is very powerful and so far as I know it is not faminine in nature and form. I think the ladies are more capable for the yogic eductation than males.

बिहार में पाये गये तांबा अयस्क के निक्षेप

*593. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पालामऊ जिले में तांबा अयस्क के भारी निक्षेपों का पता चला है, और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक स्तर पर उनके प्रयोग की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) अभी तक तो नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० आर० दामाणी : इस समय ताम्बे की भारी कमी है और 1-37 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित परियोजना के लिए प्रति दिन 960 टन तांबा अयस्क की आवश्यकता है जबकि केवल 200 टन ही उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में देश में तांबा अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे यह परियोजना अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सके?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सच है कि हम तांबें में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। हम देश के विभिन्न भागों में तांबा अयस्क के निक्षेपों का पता लगाने का पूरा प्रयास कर

रहे हैं। जहां कहीं तांबे के निक्षेपों का पता चला है अर्थात् बिहार में सिंहभूम, राजस्थान में खेत्री, आंध्र प्रदेश में अग्निकुण्डल, गुजरात में अम्बामाता, कर्नाटक में कल्याधी और चित्रा दुर्गा में प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है। अतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निक्षेपों का पता लगाने का हर सम्भव प्रयास कर रहा है। जिन परियोजनाओं में कार्य आरम्भ हो गया है वहां अधिकतम उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० आर० दामाणी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि तीन वर्ष पहले मलंजकण्ड अयस्क निक्षेप के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन वह अभी तक अनिर्णीत पड़ा हुआ है। क्या इसकी जांच कर ली गई है और, यदि हां तो जांच का क्या परिणाम निकला है?

श्री चन्द्रजीत यादव : मलंजकण्ड सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है और इस चालू वित्त में धन उपलब्ध हो जायेगा। सभी आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है और धन की भी व्यवस्था हो गई है, क्योंकि देश में पाया गया यह सर्वश्रेष्ठ तांबे का निक्षेप है।

SHRI SHRIKISHAN MODI : I want to know from the hon. Minister when the copper ore will be taken to khetri from Sikri copper ore deposite?

MR. SPEAKER : The question concerns Bihar. You have gone to Khetri.

SHRI NAVAL KISHORE SINHA : I want to know from the hon. Minister whether there is any proposal for the expansion of Musawani Hindustan Copper Corporation and to extract Copper from there in the near future ?

SHRI CHARDRAJIT YADAV : Work has already been taken in hand in Musawani and certain other areas. Steps are being taken for their expension and their full exploration.

टेलीफोन लाइनों के लिए द्रुत योजना

*594. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस संबंध में टेलीफोन की मांग और उपलब्धि के बीच अन्तर दूर करने के लिए और अधिक टेलीफोन लाइनें बिछाने की एक द्रुत योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) ज्यादा कनेक्शन देने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

वर्ष 1974-75 में जबकि 86,000 नए कनेक्शन दिए गए थे, वर्ष 1975-76 में हम 1.37 लाख कनेक्शन देने में सफल हुए हैं। ऐसा प्रस्ताव है कि पांचवीं योजना के बाकी तीन वर्षों में करीब 6 लाख कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

श्री डी० डी० देसाई : देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने हाल ही में 100 रुपये से अधिक धन एकत्र किया है। लेकिन प्रतीक्षा सूची 7 लाख टेलीफोनों की है। क्या सरकार एक ओर टेलीफोन कनक्शनों की संख्या बढ़ाने हेतू कार्यक्रम की ओर

अधिक सक्रिय बनाने और दूसरी और त्रुटिपूर्ण क्रास-बार प्रणाली समाप्त कर तथा इसके स्थान पर बिजली के सर्किट वाली प्रणाली लाकर टेलीफोन व्यवस्था की कार्यकुशलता में सुधार करने का विचार कर रही है ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : अग्रिम जमा योजना के माध्यम से हमने लगभग 69 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। जहां तक प्रतीक्षा सूची का सम्बन्ध है। अप्रैल तक केवल 2.8 लाख टेलीफोनों की वास्तविक प्रतीक्षा सूची थी । आपने देख लिया होगा कि हम 6 लाख टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से हम यह मांग पूरी कर देंगे। निश्चय ही आगामी वर्षों में मांग और अधिक बढ़ जाएगी। फिर भी सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस समय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और अहमदाबाद, इन चार शहरों के अतिरिक्त हमने बहुत भारी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन दिए हैं और हमने 'अपना टेलीफोन लगाइए' की सूची पूरी कर दी है। मद्रास में भी यह सूची पूरी हो चुकी है।

जहां तक क्रास-बार सिस्टम को छोड़कर क्लोस्ड सर्किट अपनाने का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को पता होगा कि हमने इलैक्ट्रानिक्स व्यवस्था अपनाने का निर्णय ले लिया है और इसमें समय लगेगा। हम अपना प्रथम स्वदेशी इलैक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज लगाने की योजना बना रहे हैं और हम 1000 लाइन का एक्सचेंज दिल्ली में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ने 1976-77 में प्रयोगशाला में इसके व्यावहारिक उपयोग का परीक्षण कर लिया है।

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री महोदय ने अत्यन्त उत्साहजनक चित्र प्रस्तुत किया है और मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन उन्हें यह बात स्वीकार करनी होगी कि उन्हें अब निर्भरता तथा टेलीफोन पर मिश्रित वार्ता के बारे में कार्यवाही करनी है। अतः टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्रों की प्रतीक्षा सूची पूरी करना और दूसरे पालघाट, नैनी तथा अन्य स्थानों में, जहां इन उपकरणों के निर्माण के लिए संयंत्र लगाए गए हैं, निर्मित इलेक्ट्रानिक उपकरणों का लगाया जाना, ये दोनों बातें कब तक पूरी हो जाएंगी।

डा० शंकर दयाल शर्मा : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पालघाट स्थित कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है और हमने 50 लाइन वाले उपकरण बना लिए हैं जो उपयोग में आ रहे हैं। यह इलैक्ट्रानिक्स पी० ए० बी० एक्स० प्रणाली का श्रीगणेश है। दूसरे के लिए नमूना तैयार किया जा रहा है जिसे दिल्ली में चालू किया जाएगा। पूर्ण रूप से इलक्ट्रानिक एक्सचेंज अभी तक कोई देश नहीं बना सका है और आज अधिकांश देश स्ट्रौगर, क्रास-बार, ई० एम० डी० आदि पर ही निर्भर हैं तथा कुछ सीमा तक इलैक्ट्रानिक्स को भी आरम्भ किया है। हम भी ऐसा ही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रतीक्षा सूची को पूरा करने के संबंध में मेरी समझ में ऐसा करना सम्भव नहीं है, क्योंकि जितने अधिक हम टेलीफोन कनेक्शन लगाते हैं उससे अधिक आवेदन पत्र आ जाते हैं और मांग बढ़ जाती है। फिर भी हमें आशा है कि यह सम्पूर्ण योजना बढ़कर 171 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन तक हो जाएगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मंत्री महोदय ने बताया है कि लोगों ने 60 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराए हैं और इनके नाम टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने लगभग 1000 रुपए जमा कराए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि

जिन लोगों ने 1000 रुपए अपने आवेदन-पत्र के साथ जमा कराए हैं क्या उनको यह सूचना दी जाएगी कि उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जाएगा ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : यह सम्भव नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमने उन्हें बैंक दर पर ब्याज देने का निर्णय किया है, और हम उन्हें ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। हम यह मांग यथाशीघ्र पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि नया एक्सचेंज चालू करने, स्थान, भवन का अधिग्रहण करने और फिर आधुनिकतम टेलफोन एक्सचेंज चालू करने में बहुत समय लग जाता है, जबकि हमने समय बहुत कम कर दिया है। 10000 लाइन वाले टेलीफोन एक्सचेंज लगाने में तीन वर्ष का समय लगता था, लेकिन अब दो वर्ष में ही कार्य पूरा हो जाता है।

SHRI D. N. TIWARI : The hon. Minister has given a very good picture and has stated that the O.Y.T. waiting list would be completed very soon. I want to know whether he is aware of the fact that the telephone department has enabled such a technique to transfer STD and trunk calls of one subscriber to an other subscriber, and as such whom they want to favour they reduce such calls from his name ? Will you look into this so that it may not happen in future ?

DR. SHANKAR DAYAL SHARMA : We are keeping a watch on this aspect whenever such complaint is received we keep that particular telephone under observation and we find out how many and where the STD calls have been made from that telephone. There we find out what is the relation between those two persons and then it can be presumed whether the calls were made. So far as the members are concerned we inform theme after week end the member of STD calls and to whom the calls were made. But the main problem is this that there is no time limit of STD calls.

श्री कार्तिक उरांव : आदिवासी क्षेत्रों में नगर और कस्बे विशेषकर छोटा नागपुर और सन्थाल परगना जैसे आदिवासी क्षेत्र दुर्गम हैं और वहां पहुंचना भी कठिन होता है। रांची लोहार-डांग-दालतनगंज के बीच कुछ टेलीफोन कनेक्शन हैं। लेकिन ये बहुधा खराब ही रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने का कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है, क्या वर्तमान टेलीफोन लाइनों के कार्य की जांच करने का कार्यक्रम बनाया है और क्या आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है।

डा० शंकर दयाल शर्मा : मैं पहले ही सदन को बता चुका हूं कि हमने पिछड़े क्षत्रों में लम्बी दूरी के पी० सी० ओज की व्यवस्था करने की योजना बनाई है और हम वहां विशेष रियायत दे रहे हैं। सभी खण्ड मुख्यालयों और पिछड़े क्षेत्रों में अन्य स्थानों को पी० सी० ओज़ से जोड़ा जा रहा है। घाटा होने पर भी हम इन कनेक्शनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आशा है इस वर्ष लम्बी दूरी वाले पी० सी० ओज़ की संख्या 10,000 हो जाएगी।

दिल्ली में औद्योगिक स्थिति में सुधार

***595. श्री अर्जुन सेठी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा होने के बाद और गत कुछ महीनों में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में औद्योगिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में 26 जून, 1975 को आपात की घोषणा के बाद औद्योगिक सम्बन्ध वातावरण में काफ़ी सुधार हुआ है । नियोजकों और श्रमिक संघों के सहयोग से आपात की घोषणा के बाद की अवधि के दौरान (पहली जुलाई, 1975 से 31 मार्च, 1976 तक) हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण क्रमशः केवल 6,576 और 640 श्रम दिनों की हानि हुई जब कि आपात स्थिति की घोषणा से 9 महीने पहले की अवधि के दौरान, अर्थात् पहली अक्तूबर, 1974 से 30 जून, 1975 तक की अवधि के दौरान, क्रमशः 55,457 और 525 श्रम दिनों की हानि हुई ।

श्री अर्जुन सिंह सेठी : आपात स्थिति में श्रम दिनों की हानि में तो कमी हुई पर तालाबन्दियों के मामले 525 से बढ़ कर 640 हो गए। इस वृद्धि का क्या कारण है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि, मैंने कहा कि इस अवधि में हड़ताल के कारण श्रम दिनों की हानि में 88 प्रतिशत की कमी हुई। जहां तक तालाबन्दी का सम्बन्ध है, संसद द्वारा पास किए गए विधानों के अन्तर्गत केवल जबरन छुट्टी और छटनी के मामले आते हैं, तालाबन्दी के मामले नहीं। तालाबन्दी के मामलों के संबंध में 21 अगस्त, 1975 को कार्यकारी परिषद् की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक समिति गठित की गई है, जिसके अन्य सदस्य उद्योग निदेशक और श्रम आयुक्त होंगे। 3 अगस्त तक समिति की नौ बैठकें हुई हैं जिनमें उन्होंने छटनी, तालाबन्दी आदि के 15 मामलों पर विचार किया है। इन मामलों से निपटने के लिए उन्होंने एक उड़न दस्ता भी बनाया है। 31 मार्च, 1976 तक इस दस्ते को 181 शिकायतें मिलीं जिनमें से उन्होंने 176 को निपटाया जिससे 3196 कर्मचारियों को लाभ हुआ।

श्री अर्जुन सिंह सेठी : तालाबन्दी आदि से कितने लोग प्रभावित हुए हैं तथा इस प्रकार बेरोजगार हुए लोगों को क्या वैकल्पिक रोजगार दिया गया है तथा किन-किन कारखानों में ताला बन्दी हुई ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है; इकट्ठा करके सभा पटल पर रखूंगा ।

श्री बी० वी० नायक : आपात स्थिति के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में बने वातावरण को स्थायी रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि 26 जून से पहले की स्थिति आपात स्थिति समाप्त होने पर पैदा न हो ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : किसी विशेष उपक्रम के ढांचे तथा वित्तीय स्थिति के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के अतिरिक्त जिसके लिए श्रम मंत्रालय तुरन्त कोई समाधान नहीं खोज सकता, अन्य मामलों के लिए कानून बना दिए गए हैं। जबरन छुट्टी, छटनी, और कारखाना बन्द करने सम्बन्धी मामलों पर राष्ट्रीय शीर्ष निकाय और औद्योगिक शीर्ष निकाय भी विचार करते हैं। इसे आपात स्थिति के बाद स्थायी स्वरूप प्रदान किया जा सकता है तथा ये निकाय काम करते रह सकते हैं।

SHRI RAMAVTAR SHASTRI : Just now the minister informed that the owners of the units are giving full co-operation and there is industrial place in Delhi. But with this he also informed that there have been lay-off and retrenchment also, both the things are going. on. I therefore, want to know, whether any action has been taken against the employees indulging in lay-off, retrenchment etc.? If so, the details there of ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : 5 मार्च की संसद में इस सम्बन्ध में कानून पास कर दिया गया है और उसके अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपात स्थिति के दौरान जबरन छुट्टी और कारखाना बन्द किए जाने के कितने मामले हुए तथा कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा तथा इस दिशा में क्या ठोस कार्रवाई की गई ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

Bilateral Agreement with Iraq

†*600. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether an agreement for mutual co-operation in economic, scientific, cultural and technical fields has been entered into with Iraq ; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The Indo-Iraqi Joint Commission for Economic and Technical Cooperation constituted in March 1974 held its second session in New Delhi from March 29 to April 3, 1976. Concrete possibilities of cooperation between India and Iraq in a number of projects in the fields of petroleum and petrochemicals, industry, agriculture and irrigation, trade, transport, technical cooperation and culture were discussed in this meeting.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : It does not give the details and what are other matters discussed ? What are the results of this discussion ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The results have come out and they are good ?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Hon. Minister should give a definit reply. I want to known the details of the agreement.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चर्चा की कार्यवाही पर दोनों पक्ष सहमत हैं। परन्तु यह कार्यवाही गुप्त है और खेद है मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

नागालैंड में खनिज सम्भाव्यता

*601. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में खनिजों के बड़े भण्डार पाए जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या वहां सीमेंट और कैमिकल ग्रेड दोनों प्रकार का चूना पत्थर मिला है और मैगनीटाइट अयस्क के भी भारी निक्षेप उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो नागालैण्ड में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने तथा अन्य खनिजों के विकास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) व (ख) नागालैण्ड में सीमेंट ग्रेड और रसायन ग्रेड चूनापत्थर के प्रचुर भंडार हैं तथा कुछ कोयले के भंडार भी हैं। मैगनेटाइट के कुछ भंडार होने का भी पता चला है।

(ग) नागालैण्ड सरकार द्वारा तेसांग जिले के नीमी स्थित चूना पत्थर भंडारों के उपयोग के बारे में एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा, उत्तरी-पूर्वी परिषद् ने एक विशेष समिति गठित की है जो नागालैंड समेत उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में खनिज विकास की संभावनाओं का पता लगाएगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैंने भाग (ख) में पूछा है कि क्या सरकार ने नागालैण्ड में सीमेंट फैक्टरी की स्थापना तथा अन्य खनिजों के विकास के लिए कोई कदम उठाया है। क्या सरकार वहां मिलने वाले खनिजों पर आधारित उद्योग और, सीमेंट फैक्टरी की स्थापना में मदद देगी?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : भारतीय सीमेंट निगम के सहयोग से नागालैण्ड सरकार ने सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने की शुरूआत की है तथा अन्य खोज कार्य भी चल रहे हैं। कोयले के कुछ भण्डार मिले हैं। तथा पांचवीं योजना में और भण्डार खोजने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विभिन्न समाचार पत्रों में तांबा जैसे दुर्लभ खनिजों के वहां पाए जाने सम्बन्धी लेख छपते रहे हैं। क्या नागालैण्ड, अरुणाचल और अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों का भू-गर्भीय सर्वेक्षण किया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : जैसा कि सदस्यों को पता होगा कि स्वतन्त्रता से पहले इस क्षेत्र का उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था। परन्तु स्वतन्त्रता के बाद इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं तथा नागालैण्ड भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण का निदेशालय स्थापित किया गया है। संसाधनों का पता लगाने के पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया इस क्षेत्र में कोयला और चूना पत्थर के बड़े भण्डार मिले हैं। कोयले के भण्डार के अतिरिक्त निकल और क्रोमाइट भी मिला है। उस क्षेत्र के उचित मानचित्र बनाए जा रहे हैं। खोज का कार्य चल रहा है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : अब यह निश्चित हो गया है कि नागालैण्ड ही नहीं सम्पूर्ण उत्तर क्षेत्र में पर्याप्त खनिज भण्डार हैं, जिनकी उचित प्रकार से खोज नहीं की गई है। इसका एक कारण इस क्षेत्र में इन खनिजों के उपयोग के लिए उद्योगों का न होना। बिजली, संचार आदि मूलभूत वस्तुओं का वहां अभाव है। दुर्भाग्यवश वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने भी इस क्षेत्र में अधिक काम नहीं किया है। क्या इस्पात और खान मंत्रालय

414LSS/76

नए योजना मंत्री के सहयोग से, जिन्हें इस क्षेत्र के पिछड़ेपन की अधिक जानकारी है, व्यापक योजना बनाएगी, जिससे इस क्षेत्र में विकास का वातावरण बनाया जा सके ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह तथ्य है कि ये क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने संसद के अधिनियम के अन्तर्गत एक पूर्वी परिषद् का गठन किया तथा परिषद् ने भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, कोयला खान प्राधिकरण तथा राज्य सरकारों के विशेषज्ञों को लेकर छोटे-छोटे दल बनाए हैं। उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं। कुछ सिफारिशें की गई हैं और मेरा विश्वास है कि योजना मंत्री तथा अन्य मंत्रालय भी इस क्षेत्र के विकास में रुचि रखते हैं। आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

नौवहन में कथित कदाचार

*605. **श्री के० लकप्पा**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार संस्थान ने नौवहन में कदाचार रोकने के लिए सांविधिक प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जहां तक सरकार को ज्ञात है भारत विदेश व्यापार संस्थान ने नौवहन में कदाचार रोकने के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना का कोई सुझाव नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० लकप्पा : मैंने पूछा है कि आप कौन से उपाय अपना रहे हैं। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि कदाचार क्या-क्या हैं ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : प्रश्न यह है कि क्या संस्थान ने किसी सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया है इसका उत्तर है, नहीं।

SHRI BIBHUTI MISHRA : The Hon'ble Minister has state that malpractices are indulged in the stipping. He should specifically tell the House as to what those malpractices are.

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मैं माननीय सदस्य की इन भावनाओं को ध्यान में रख रहा हूं कि कतिपय कदाचार हैं।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने स्वीकार किया है कि कतिपय कदाचार हैं।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : माल के उतारने लादने और उसकी सुपुर्दगी और हानि आदि के बारे में कतिपय कदाचार हैं। हो सकता है कुछ माल के सम्बन्ध में कम या अधिक बीजक बनाने आदि के कतिपय कदाचार हों।

श्री के० लकप्पा : नौवहन में खामियों को दूर करने के संबंध में विदेशी प्रेस संस्थान द्वारा दिए गए अन्य सुझाव के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : सम्भवतः माननीय सदस्य नौवहन सम्मेलनों की प्रथाओं के सम्बध में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन का उल्लेख कर रहे हैं। उसमें एक सुझाव यह है कि सरकार को इनके सम्बन्धों के बारे में एक उपयुक्त विधान बनाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

श्री के० लकप्पा : क्या उन्होंने नौवहन व्यापार में खामियों को दूर करने और कदाचारों को समाप्त करने के बारे में कतिपय सुझाव दिए थे ? वे सुझाव और कदाचार क्या-क्या हैं ? सरकार इस पद्धति में सुधार करने हेतु किन-किन प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : यह विशेष अध्ययन तो सम्मेलनों और नौवहन व्यापारियों के बीच सम्बन्धों तक ही सीमित था। कदाचारों का प्रश्न तो एक बड़ा व्यापक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि उससे निपटने के लिए कोई सांविधिक प्राधिकरण है। इसका उत्तर है 'नहीं'।

कर्मचारी भविष्य निधि का नियोजकों द्वारा दुरुपयोग

*592. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि का दुरुपयोग करने के बारे में नियोजकों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के बारे में उनकी संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या भविष्य निधि के दुरुपयोग को रोकने और कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें अथवा कर्मचारियों की मृत्यु होने के मामलों में उनके आश्रितों को इसका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10731/76]

प्रो० नारायण चन्द पराशर : पश्चिम बंगाल में 2,624 मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन केवल 630 मामलों को ही निपटाया गया है। इसके क्या कारण हैं ?

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : पश्चिम बंगाल में विभिन्न अधिकरणों के समक्ष निलम्बित मामलों के अलावा सम्बन्धित पक्ष, अर्थात् नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि मामले स्थगित भी कराते हैं। बहुत से मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष भी निलम्बित हैं। इसलिए वे मामलों को शीघ्र नहीं निपटा सकते। मैंने औद्योगिक अधिकरणों के न्यायाधीशों से बातचीत की कि इन मामलों को कैसे निपटाया जाए। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए रोकादेशों के कारण उन्होंने भी अपनी कठिनाइयां बतायीं। विधि मंत्रालय का ध्यान भी इस ओर दिलाया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Increase in population of certain sections of society

*590. SHRI SHIV KUMAR SHASTRI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have collected information about the sections of society the population of which has considerably increased during the last 10 years; and

(b) if so, the measures Government propose to take to check the growth of population in view of this fact ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. KARAN SINGH) : (a) The decennial population census provides information on the growth of population in various religious groups and in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) The National Population Policy Statement, a copy of which has already been laid on the Table of the Sabha, indicates the various measures proposed to check the population growth. The measures are applicable to all sections of the population.

पत्तनों में मशीनों द्वारा माल का उतारा जाना

*591. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन प्रमुख पत्तनों पर यंत्रों द्वारा माल उतारने की मशीनरी लगाई गई है, और

(ख) क्या प्रत्येक बड़े पत्तन पर ऐसी मशीनरी लगाने का सरकार का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

	पत्तन का नाम	माल के यांत्रिक उतार के लिए उपलब्ध सुविधाएं	माल के यांत्रिक उतार के लिए प्रस्तावित सुविधाएं
1	2	3	4
1.	कलकत्ता/हल्दिया	खाद्यान्न और पी० ओ० एल०	उर्वरक, नमक और सामान्य माल (कन्टेनरीकृत)
2.	बम्बई	खाद्यन्न और पी० ओ० एल०	उर्वरक और कोयला (न्हेवाशेवा विचाराधीन है)
3.	मद्रास	खाद्यान्न और पी० ओ० एल०	उर्वरक
4.	कोचीन	पी० ओ० एल०	उर्वरक और सामान्य माल (कंटेनरीकृत)

1	2	3	4
5.	विशाखापटनम	पी० ओ० एल० और उर्वरक कच्चा माल	उर्वरक और सामान्य भाप (कन्टेनरीकृत)
6.	काण्डला	खाद्यान्न	उर्वरक
7.	मारमुगाओ	—	—
8.	पारादीप	—	—
9.	नव मंगलौर	पी० एल० ओ०	—
10.	नव तूतीकोरिन	—	पी० ओ० एल० और कोयला

तुर्की के साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी समझौता

*596. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्की के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) जी, हां। 2 अप्रैल, 1976 को तुर्की के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक समझौता हुआ है।

(ख) इस समझौते से दोनों देशों की यह इच्छा परिलक्षित होती है कि वे समानता और परस्पर लाभ के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इसमें वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्त्ताओं, विशेषज्ञों और विद्वानों के आदान-प्रदान की; वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना एवं प्रलेखन के विनिमयक; द्विपक्षीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी गोष्ठियों के आयोजन की और संयुक्त रूप से, अनुसंधान कार्यक्रम तय करने, तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है। इस समझौते के अधीन सहयोग के विस्तृत कार्यक्रमों पर समय-समय पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

29-4-76 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 598 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित संयुक्त विज्ञप्ति

भारत-बोट्सवाना संयुक्त विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1976 : भारत के राष्ट्रपति, श्री फखरुद्दीन अली अहमद और बेगम आबिदा अहमद के निमंत्रण पर बोट्सवाना गणराज्य के राष्ट्रपति, महामान्य सर सेरेत्से खामा, के० बी० ई०, एम० पी०, और लेडी खामा भारत की राजकीय यात्रा पर पधारे और 3 से 11 अप्रैल 1976 तक यहां ठहरे। भारत की सरकार और जनता ने बोट्सवाना गणराज्य के राष्ट्रपति और लेडी खामा का अत्यन्त सौहार्द और उत्साहपूर्ण स्वागत किया जोकि दोनों देशों के बीच अत्यन्त मैत्रीपूर्ण संबंधों का द्योतक है। राष्ट्रपति खामा, लेडी खामा तथा उनके मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजली अर्पित की।

दिल्ली प्रवास के दौरान बोट्सवाना गणराज्य के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद से तथा प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बातचीत की। उपराष्ट्रपति

श्री बी० डी० जत्ती, विदेश मंत्री श्री वाई० बी० चव्हाण, सिंचाई और कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम तथा रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने उनसे भेंट की।

अपने भारत प्रवास के दौरान बोट्सवाना के राष्ट्रपति, लेडी खामा तथा उनके प्रतिनिधि मण्डल ने बम्बई, हिसार, आगरा, बंगलौर और मद्रास की यात्रा की और वहां उन्होंने औद्योगिक, कृषि तथा ऐतिहासिक स्थानों को देखा।

दोनों पक्षों के बीच मित्रता और समझ-बूझ के वातावरण में बातचीत हुई जिसमें प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर तथा भारत और बोट्सवाना के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई।

इस बातचीत में बोट्सवाना के राष्ट्रपति की सहायता वहां के विदेश मंत्री, सम्माननीय ए० एम० मोग्वे, राष्ट्रपति के स्थायी सचिव, सम्माननीय पी० एल० स्टीमकैंप, विदेश सचिव, सम्माननीय एम० सी० टिबोनी, राष्ट्रपति के वरिष्ठ निजी सचिव (राजनीतिक), सम्माननीय एल० जे० एम० जे० लैग्वेला; वरिष्ठ कृषि अधिकारी, सम्माननीय बी० एस० तुलाले, बोट्सवाना उद्यम विकास यूनिट के निदेशक, सम्माननीय जोहान टेर हार ने की।

भारत की प्रधान मंत्री की सहायता के लिए उपस्थित थे, विदेश मंत्री, श्री वाई० बी० चव्हाण, वाणिज्य मंत्री, श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री ए० सी० जार्ज; कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री ए० पी० शिन्दे, उपविदेश मंत्री, श्री बिपिनपाल दास; विदेश सचिव, श्री जे० एस० मेहता; सचिव (ई० डी०), श्री बी० के० सान्याल; सचिव (ईस्ट), श्री के० आर० नारायणन; संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, श्री श्याम सुन्दर नाथ; बोट्सवाना में प्रत्यायित भारत के हाई कमिश्नर, श्री के० श्रीनिवासन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर में तथा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में विश्वास व्यक्त किया और दूसरे राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर चलते रहने की बात दोहराई।

उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति में पुनः अपना विश्वास व्यक्त करते हुए इसे राष्ट्रों के बीच समझबूझ बढ़ाने का एक कारगर माध्यम बताया। उन्होंने गुट-निरपेक्षता राष्ट्रों की एकता, अखण्डता और परस्पर संबद्धता को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया और इस बात को भी कि इस आन्दोलन को ढीला करने और मतभेद पैदा करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उन्हें बेकार करने के लिए इसकी गतिविधियों में और अधिक गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। दोनों नेता इस ओर से आश्वस्त थे कि इस वर्ष कोलम्बो में गुट-निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का जो सम्मेलन होने वाला है उससे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रगति को नया बल मिलेगा।

बोट्सवाना गणराज्य, के राष्ट्रपति तथा भारत गणराज्य की प्रधान मंत्री ने मोज़ाम्बीक, अंगोला, केपवर्डी, साओतोम तथा प्रिंसाइप के अफ्रीकी राज्यों के पुर्तगाली उपनिवेशवादी शासन से मुक्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कोमोरेस, सूरीनाम तथा पापुआ न्यू गिनी का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अभ्युदय का भी स्वागत किया।

अफ्रीका की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में बोट्सवाना के सामने जो समस्याएं और चुनौतियां हैं उस पर भी दोनों नेताओं ने विचार विमर्श-किया। दक्षिण अफ्रीका से उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव तथा श्वेत अल्पसंख्यक शासन को समाप्त करने के प्रति बोट्सवाना की प्रतिबद्धता की तथा एक ऐसा समाज बनाने के उसके प्रयासों की भारत की प्रधान मंत्री ने सराहना की जिसमें कि सभी जातियों के लोग एक-दूसरे के साथ शांति और समरसता पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। दक्षिण अफ्रीका में बहु-संख्यक शासन की स्थापना की दिशा में बोट्सवाना के राष्ट्रपति ने तन्जानिया, ज़ाम्बिया और मोज़ाम्बीक के राष्ट्रपतियों के साथ मिलकर जो भूमिका अदा की है उसके लिए भी प्रधान मंत्री ने उनकी सराहना व्यक्त की।

दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित जातीय पृथग्वासन तथा जातीय भेदभाव की दोनों नेताओं ने कड़ी निन्दा की। जातीय पृथग्वासन को पूरी तरह समाप्त करने, नाभीबिया को आजाद कराने तथा जिम्बाबवे तथा दक्षिण अफ्रीका में जातिवादी अल्पसंख्यक शासन को समाप्त करने के लिए किए जा रहे संघर्ष के प्रति भारत की प्रधान मंत्री ने भारत के पूर्ण समर्थन को पुनः दोहराया। दोनों नेताओं ने अपना यह संकल्प व्यक्त किया कि दक्षिण अफ्रीका में जातीय पृथग्वासन, जातिवाद तथा श्वेत' अल्पसंख्यक शासन के विरुद्ध मुक्ति आंदोलन के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें हर संभव तरीके से वे सहायता करेंगे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा अंगोला के नव-स्वाधीन राज्य पर आक्रमण की पुनः निन्दा की और अपनी स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए अंगोला के बहादुर लोगों का समर्थन करने का वचन दिया।

मोज़ाम्बीक सरकार ने रोडेशिया की गैर-कानूनी सरकार के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में साहसिक कदम उठाए हैं उनका दोनों पक्षों ने समर्थन किया तथा संयुक्त राष्ट्र तथा राष्ट्रमण्डल की ओर से संयुक्त रूप से मोज़ाम्बीक की सहायता करने के प्रयासों का स्वागत किया जोकि मोज़ाम्बीक को अपनी सीमा बन्द करने के परिणामस्वरूप राजस्व में हुए घाटे को पूरा करने के लिए उठाए गए हैं। दोनों नेताओं ने जिम्बाबवे के मुक्ति आन्दोलन के प्रति पुनः अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया तथा इस मुक्ति आन्दोलन के शहीदों के प्रति तथा उन स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जो अब भी गैर-कानूनी अल्पसंख्यक सरकार के जेलों में अथवा बंदी शिविरों में कैद हैं या देश निर्वासित हैं। दोना नेताओं ने यह भी घोषणा की कि जिम्बाबवे के लिए ब्रिटिश सरकार ही संवैधानिक तौर पर जिम्मेदार है।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार करते हुए दोनों पक्षों ने अरब हितों का पुनः समर्थन किया और इस समस्या के किसी न्यायोचित और स्थायी समाधान पर पहुंचने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पश्चिम एशिया में तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक कि इज़राइल अरब के उन सभी क्षेत्रों को खाली न कर दे जिस पर उसने कब्जा कर लिया है और फिलिस्तीनी लोगों को उनके वैध राष्ट्रीय अधिकार पुनः न दे दिए जाएं।

दोनों नेताओं ने हिन्द महासागर को विदेशी सैनिक अड्डों और बड़े राष्ट्रों की प्रति-द्वंद्विता तथा तनाव से मुक्त एक शांत क्षेत्र घोषित करने का समर्थन किया। उन्होंने बड़े

राष्ट्रों से तथा हिन्द महासागर का नौवहन की दृष्टि से उपयोग करने वाले प्रमुख देशों से कहा कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति में तटवर्ती तथा पश्चिमी देशों के साथ पूरी तरह सहयोग करें। दोनों नेताओं ने दिएगो गार्सिया में सैनिक सुविधाओं का निरन्तर विस्तार किए जाने पर चिन्ता व्यक्त की।

सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण विशेष रूप से नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए कारगर कदम उठाए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों ने नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विकास करने का आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि लोगों के कल्याण और उनके आर्थिक विकास में बहुत योगदान मिल सकता है।

दोनों पक्षों ने कहा कि एक न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सातवें विशेष अधिवेशन में जो सिफारिशें की गई थीं उन पर शीघ्र अमल होना चाहिए।

भारत की प्रधान मंत्री ने संक्षेप में बताया कि इस उपमहाद्वीप के देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की दिशा में उसने अपनी तरफ से क्या-क्या कार्यवाही की है तथा यहां की हाल की घटनाओं के विषय में भी बताया। प्रधान मंत्री ने इस उपमहाद्वीप में सहयोग और समझबूझ का वातावरण तैयार करने के भारत के संकल्प को भी दोहराया। इस क्षेत्र के सभी देशों के बीच स्थायी शांति और आर्थिक सहयोग की स्थापना के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो पहल कदमी की है उसकी बोट्सवाना के राष्ट्रपति ने सराहना की। प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने जो उल्लेखनीय प्रगति और विकास किया है बोट्सवाना के राष्ट्रपति ने उसकी प्रशंसा की।

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर विचार किया। दोनों पक्षों ने इन संबंधों को वाणिज्यिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में और आगे बढ़ाने की इच्छा प्रकट की।

बोट्सवाना के राष्ट्रपति, लेडी खामा तथा उनके प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का भारत की सरकार और भारत की जनता की ओर से जो हार्दिक और सौहार्दपूर्ण स्वागत किया गया उसके लिए बोट्सवाना के राष्ट्रपति ने बहुत सराहना की।

होम्योपैथी चिकित्सा संघ द्वारा परिवार नियोजन के बारे में पेशकश

*597. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होम्योपैथी चिकित्सा संघ (होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इंडिया) ने परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति को तेज करने में होम्योपैथी चिकित्सकों के सहयोग का सरकार स्वागत करेगी।

बोट्सवाना के प्रेजीडेंट की यात्रा

***598. श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोट्सवाना के प्रेजीडेन्ट सर सेरेत्से खामा ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने उनके साथ क्या बातचीत की ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मामलों पर दोनों सरकारों के विचार दिए गए थे। सदन की मेज़ पर इसकी एक प्रति रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-10731-क/76]

नये औद्योगिक न्यायाधिकरण बनाना

***599. श्री के० मालन्ना :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्थानों पर जहां उद्योग अधिक हैं नए औद्योगिक न्यायाधिकरण बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद, केन्द्रीय और राज्य दोनों कार्य क्षेत्रों में उठाए जाते हैं और औद्योगिक अधिकरण 'उचित सरकारों' द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जहां तक केन्द्रीय कार्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, पहले सात केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्थापित किए गए थे; तीन धनबाद में, दो बम्बई में और जबलपुर और कलकत्ता में एक-एक। नई दिल्ली में एक नया केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्थापित किया जा रहा है।

इन्जीनियरिंग निर्यातकों को इस्पात के आयात की अनुमति

***602. श्री भान सिंह भौरा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इंजीनियरिंग निर्यातकों को विदेशों से इस्पात के आयात की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : प्रवर्तमान आयात नीति में इस समय भी इंजीनियरी सामान के निर्यातकों के लिए इस्पात का आयात करने की व्यवस्था है।

बेरोजगारी

***603. श्री राम भगत पासवान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष से राज्यों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) देश में व्याप्त बेरोज़गारी के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों के रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यत: बेरोज़गार नहीं हैं) की संख्या में वृद्धि हुई। यह संख्या 31-1-1975 को 84.98 लाख थी, जो बढ़कर 31-1-1976 को 93.97 लाख हो गई।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मुख्य सिंचाई प्रणालियों का कमान क्षेत्र विकास, लघु तथा मध्यम उद्योगों, समाज सेवाओं, व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य अनुषंगी एवं सम्बन्द्ध कार्यक्लापों में योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वियन द्वारा बेरोज़गारों के लिए पर्याप्त रोज़गार अवसरों की व्यवस्था की जाएगी। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित युवकों के लिए, जिनमें ग्रेज्युएट इंजीनियर और डिप्लोमाधारी शामिल हैं, रोज़गार अवसरों में वृद्धि करने के अनेक उपायों में से एक उपाय शिक्षु योजना को प्रभावपूर्ण रूप से कार्यान्वित करना है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पुनर्गठन और ग्रामीण लोगों में परिवार नियोजन का प्रचार

2853. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उन्हें और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है, और

(ग) क्या अशिक्षित ग्रामीण लोगों को परिवार नियोजन की महत्ता गहराई से और प्रभावकारी ढंग से समझाने के लिए कोई नए तरीके अपनाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :(क) जी, हां । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चार-चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक-एक केन्द्र को तीस-तीस पलंगों वाला अस्पताल बनाने का विचार है। स्त्रियों के नसबंदी आपरेशनों और चिकित्सा द्वारा गर्भ-समाप्ति के आपरेशनों की सुविधाएं जुटाने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी लैस करने का विचार है ;

(ख) 1976-77 के दौरान प्रसव कक्षों को नया रूप देने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए साज-सामान खरीदने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए 40 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) देश के सभी भागों में रहने वाले लोगों तक परिवार नियोजन का संदेश पहुंचाने के लिए एक बहुमुखी प्रचार कार्य एवं प्रेरणात्मक अभियान चलाया जा रहा है।

खेतड़ी तांबा कम्प्लेक्स में दुर्घटनाएं

2854. श्री शिवनाथ सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेतड़ी तांबा कम्प्लेक्स में 13 मार्च, 1976 को सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में घातक दुर्घटनाएं होने के कारण उसमें लगभग एक सप्ताह के लिए उत्पादन रोक दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी हानि हुई तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मार्च 1976 के दौरान खेतड़ी तांबा कम्प्लेक्स में खानों तथा संयंत्रों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं तथा क्या इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) दुर्घटना के कारण उत्पादन में किसी प्रकार की हानि नहीं हुई और इस लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मार्च, 1976 में खेतड़ी कापर प्रोजैक्ट के सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र में एक घातक दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना 13 मार्च को उस समय हुई जब एक जूनियर टैक्नीशियन ने गलती से 11 किलोवाट के भीतरी फीडर के करेंट वाले पेनल को खोल/छू लिया। इसके फलस्वरूप वह और उसके पीछे खड़ा एक इलैक्ट्रिकल अप्रैंटिस बुरी तरह जल गए। जूनियर टैक्नीशियन (विद्युत) की 17 मार्च, 1976 को अस्पताल में मृत्यु हो गई। परन्तु अप्रैंटिस दुर्घटना के बाद बच गया।

इस घातक दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। उर्युक्त घातक दुर्घटना के अलावा तथा कुछ छिट-पुट प्राथमिक चिकित्सा वाले मामलों के अलावा खेतड़ी और कोलिहान खानों में मार्च, 1976 में 5 और दुर्घटनाएं हुईं।

खानों में हुई पांच दुर्घटनाओं में से 4 दुर्घटनाएं ग्रस्त व्यक्तियों की असावधानी से तथा एक दुर्घटना उनके साथी कर्मचारी की असावधानी के कारण हुई। इन पांचों दुर्घटनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) खेतड़ी खान :

1. जैक कसते समय एक पुर्जा फिसल गया और उससे एक खनिक की छोटी उंगली में चोट आ गई।
2. बड़े छेद वाली मशीन रिंग को हटाते समय, उसकी नीचे की तली से एक तार छिटक कर एक खनिक के जा लगा और उसकी नाक की हड्डी तथा दांत टूट गए।

3. अलीमेक रेज़ सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते समय एक ब्लास्टर का बायां हाथ दरांती और गाइड मेख के बीच में आ गया जिससे उसके बायें हाथ की अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों की हड्डियां टूट गईं।

(ख) कोलिहान खान :

1. बड़े छेद वाली मशीन पर काम करते समय राड—कैचर गिर पड़ा जिससे राड छूट गई जिससे एक खनिक के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली कुचल गई ।

2. एक पाइप के चारों ओर हुक ठोंकते समय तक एक खनिज के नीचे हाथ की तर्जनी उंगली पर हथौड़े की चोट लगी और वह कुचल गई।

नरम इस्पात का आयात

2855. **श्री समर गुह :** क्या इस्पात और खान मंत्री 1973-75 के दौरान इस्पात के निर्यात और आयात के बारे में 18 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 770 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) कितनी मात्रा में (दो) कितने मूल्य के नरम इस्पात अर्थात् चादर, प्लेट, स्ट्राइप और काइल तथा कुछ किस्म के टूल अलाय और विशेष इस्पात और स्टैनलैस स्टील का आयात किया गया;

(ख) इन इस्पात उत्पादों का किन देशों से आयात किया गया;

(ग) सरकारी क्षेत्र की फर्मों और गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों द्वारा किए गए आयात के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ये उत्पाद भारत में उपलब्ध नहीं हैं, और नरम इस्पात और इस्पात एलाय के उत्पादन में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) वर्ष 1973-75 के दौरान आयात किए गए इस्पात की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(मात्रा टनों में और मूल्य लाख रुपयों में)

	1973-74		1974-75	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
साधारण इस्पात	8,48,381	1,75,35	9,56,873	2,97,39
हाई कार्बन स्टील	93,655	20,35	1,59,492	49,06
मिश्रित इस्पात (बेदाग इस्पात भी शामिल है)	79,515	41,73	81,611	62,88

(ख) आयात मुख्यतः आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, फ्रान्स, जर्मन संघीय गणराज्य, जर्मन जनवादी गणराज्य, हंगरी, इटली, जापान, कोरिया, पोलैन्ड, ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत रूस से किया जाता है ।

(ग) सरकारी तथा निजी क्षेत्र द्वारा किए गए आयात के ठीक-ठीक आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) केवल उतनी मात्रा का आयात किया जाता है जितनी मात्रा में देशीय उत्पादन मांग को पूरा करने में कम पड़ता है। मोटे तौर पर इस्पात की अधिकतर श्रेणियों के आन्तरिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और धीरे-धीरे आयात में कमी हो रही है। वर्ष 1975-76 में लगभग 300,000 टन का आयात होने की संभावना है जबकि 1974-75 में आयात लगभग 12 लाख टन था। तकनीकी-आर्थिक कारणों से आयात को पूर्णतया समाप्त करना संभव नहीं होगा।

कोन्नूर स्थित पोलियो-टीका उत्पादन एकक का सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

2856. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोन्नूर स्थित पोलियो-टीका उत्पादन एकक को सरकारी नियंत्रण में लिए जाने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) घटिया किस्म के टीकों के उत्पादन संबंधी तकनीकी आपत्तियों को दूर करके उसमें उत्पादन के कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस समय इस टीके का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो कहां से और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है; और

(ङ) क्या बाजार में पहुंचे घटिया किस्म के टीकों को इस बीच वापस ले लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) पोलियो वैक्सीन उत्पादन एकक, कुनूर पहले से ही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन काम कर रहा था। इस एकक की कार्यप्रणाली में चिकित्सीय दृष्टि से सुधार करने की आवश्यकता थी ताकि यह एकक अच्छी स्वीकार्य और सुरक्षित वैक्सीन का उत्पादन कर सके। तकनीकी अधिकारियों की राय में धन, उपकरण आदि के रूप में चाहे कितनी ही सुविधाएं दी जाती फिर भी इसकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हो सकता था। इस बात को देखते हुए इस एकक को 31 मार्च, 1976 में बंद करने का निर्णय किया गया।

(ग) और (घ) खाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन इस समय रूस से आयात की जा रही है। पिछले दो वर्षों में कितने मूल्य की वैक्सीन आयात की गई उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य रुपयों में
1974-75	1025462
1975-76	976100

(ङ) इस एकक ने इस्तेमाल के लिए कोई घटिया किस्म की वैक्सीन नहीं दी और इसलिए इसको वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

काजू मजदूरों की न्यूनतम मजूरी

2857. **श्री बयालार रवि :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काजू मजदूरों की न्यूनतम मजूरी में एक राज्य से दूसरे राज्य में अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो काजू मजदूरों के लिए सभी राज्यों में निम्नतम मजूरी एक समान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) केरल, तमिल नाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के काजू श्रमिकों की मज़दूरियों में असमानता के प्रश्न पर 31 दिसम्बर, 1974 को त्रिवेंद्रम में हुई सदर्न जोनल कौंसिल की चौदहवीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था । अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया कि चूंकि इस समस्या का, जहां तक इसका काजू उद्योग से संबंध है, केवल केरल और तमिल नाडु के ही दो राज्यों पर असर पड़ता है, इसलिए सबसे अच्छा यह होगा कि इन राज्यों के श्रम मंत्री आपस में मिलें और इस पर विचार-विमर्श करें । कौंसिल ने इसे स्वीकार कर लिया । पता चला है कि केरल और तमिल नाडु के श्रम मंत्रियों ने 1975 में बैठक की थी और यह कि इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए फिर बैठक करने का विचार है ।

देश में पर्वतीय क्षेत्रों में संचार प्रणाली

2858. **श्री के० प्रधानी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारों की चोरी हो जाने तथा पेड़ों के गिर जाने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में टेलीफोन तथा टेलीग्राफ लाइनें ठीक नहीं रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खुले तार की इस प्रणाली के अतिरिक्त संचार के लिए कोई और प्रणाली अपनाने का है; और

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अन्य कौन सी प्रणाली बेहतर हो सकती है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पहाड़ी और दूसरे दोनों प्रकार के इलाकों में जब तारों की चोरी हो जाती है या जब विभिन्न कारणों से, जिनमें पेड़ों का गिरना भी शामिल है, लाइनें खराब हो जाती हैं तो कभी कभी तार और टेलीफोन की लाइनें काम नहीं करतीं ।

(ख) और (ग) : देश में खंबों पर दी गयी खुली लाइनों के अलावा माइक्रोवेव प्रणाली यू-एच-एफ और वी-एच-एफ प्रणालियों जैसे दूरसंचार के अनेक साधन पहले से उपलब्ध हैं । किसी खास इलाके के लिए कौन सा दूरसंचार का साधन उपयुक्त होगा, यह बात ऐसे पहलुओं पर निर्भर करती है कि वह क्षेत्र किस प्रकार का है और वहां की यातायात की मात्रा कितनी है आदि । जहां कहीं औचित्य होता है और सेवाएं उपलब्ध होती हैं, वहां खंबों पर दी गई खुली लाइनों की जगह अन्य प्रकार के साधनों की व्यवस्था करने का काम उत्तरोत्तर किया जा रहा है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए स्टीमर सेवा

2859. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए स्टीमर सेवा की अनियमितता के कारण, इन द्वीपों में खाद्य-सामग्री ठीक समय पर नहीं पहुंच पाती है, और

(ख) यदि हां, तो स्टीमर सेवा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ताकि इन द्वीपों के लोगों की कठिनाई दूर हो सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Utilisation of EPF by Sugar Mills and Textile Mills in M.P.

2860. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints against certain sugar mills and textile mills of Madhya Pradesh in regard to their utilising the amount of provident fund for other purposes ;

(b) if so, the names of such establishments; and

(c) the action taken by Government against them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : (a) to (c) Requisite information is being collected from the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Opening of Sub-Post Offices in Rented Buildings in Hoshangabad and Nimad Districts of M.P.

2861. SHRI G. C. DIXIT : Will the MINISTER OF COMMUNICATIONS be pleased to state :—

(a) the number of sub-post offices opened rented buildings in Hoshangabad and East Nimad districts in Madhya Pradesh during 1975-76 (upto December, 1975) and the amount of rent paid for each sub-post office; and

(b) whether Government propose to construct buildings for housing these sub-post offices ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (DR. SHANKER DAYAL SHARMA) : (a) No sub-post offices was opened in Hoshangabadd istrict during this period. 1 sub-post office was opened at Khar on 22-10-75 at Monthly rent of Rs. 100/- in East Nimad district.

(b) This depends on the availability of funds and plots of land for construction.

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 36 और 37 के लिए मंजूर धन राशि

2862. **श्री नुरुल हुडा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 36 और 37 के निर्माण के लिए गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि मंजूर की गयी, और

(ख) निर्माण की प्रगति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 95.55 लाख ।

(ख) 1973-74 के प्रारम्भ में 57 कार्य प्रगति में थे और 10 कार्य स्वीकृत किए गए, परन्तु शुरु नहीं किए गए । पिछले 3 वर्षों के दौरान 45 और कार्य स्वीकृत किए गए और उसी अवधि में 28 कार्य पूरे किए गए । इस समय 43 कार्य प्रगति में हैं और 41 कार्य स्वीकृत हो गए हैं, लेकिन अभी शुरू किए जाने वाले हैं ।

Non-Deposit of E.S.I. Dues By Government Textile Mills in M.P.

2863. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will be the MINISTER OF LABOUR be pleased to state :

(a) the number of such textile mills in Madhya Pradesh run by Government which have not deposited the amount due under Employees' State Insurance scheme for the years 1973 to 1975; and

(b) the action taken so far to get the amount deposited?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information :—

(a) 7.

(b) The arrears that accrued prior to the enforcement of the Silk Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 (i.e. prior to 1-4-1974) were covered by Revenue Recovery action under Section 45B of the Employees' State Insurance Act. However, these claims are now required to be filled before the Commissioner to be appointed under the said Act. As for the arrears relating to the period with effect from 1-4-1974 i.e. the date from which the Silk Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 came into force, the matter has been taken up with the National Textile Corporation for payment of the dues.

तमिलनाडु में श्रमिक सलाहकार समिति का गठन

2864. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद एक श्रमिक सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) क्या सी० आई० टी० यू० वर्कर्स प्रोग्रेसिव फेडरेशन आदि बड़ी सदस्य संख्या वाले कार्मिक संघों को इसमें शामिल नहीं किया गया है; और

(ग) उपरोक्त समिति का गठन किस सिद्धान्त अथवा आधार पर हुआ है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) :(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह तमिल नाडु सरकार से प्राप्त होने पर सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

अनन्तपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 में बाहरी सड़क का निर्माण

2865. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में अनन्तपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर बाहरी सड़क का निर्माण आरम्भ किया गया है, और

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) धन के उपलब्ध होने पर जून, 1978 तक।

Blood Banks in Delhi

2866. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) the number of blood banks in Delhi ;

(b) the group-wise blood collected in these blood banks; and

(c) the rules regarding issue of blood to patients ?

DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A.K.M. ISHAQUE) : (a) to (c) A statement containing the required information is enclosed. [Placed in Library. See No. LT.—10732/76]

बिहार के आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई सड़कें

2867. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने मील लम्बी मुख्य सड़कें बनाई गयीं,

(ख) उन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी, और

(ग) जो सड़कें बनाई गयीं उनके नाम क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सागरतल प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव

2868. **श्री जगन्नाथ मिश्र**
श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागरतल प्राधिकरण (सीबैड आथोरिटी) की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव प्राधिकरण के कृत्य क्या होंगे ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) समुद्री कानून के विषय पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सम्मेलन में, जो आजकल न्यूयार्क में हो रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय सागरतल प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है ।

(ख) यद्यपि अभी तक इस प्रस्तावित प्राधिकरण के कार्य के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है फिर भी यह अनुमान है कि प्रस्तावित प्राधिकरण राष्ट्रीय क्षेत्राधिक की सीमाओं से परे, समुद्रतल एवं महासागर तल तथा उसकी अवभूमि में, जिसे सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय सागरतल क्षेत्र कहा जाता है, संसाधनों के समुपयोजन तथा इससे संबद्ध कार्य करेगा । विकासशील देशों ने कहा है कि प्रस्तावित प्राधिकरण को व्यापक अधिकार होने चाहिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सागरतल क्षेत्र के संसाधनों का स्वयं ही समुपयोजन करने का अधिकार भी शामिल हो । लेकिन विकसित देशों का सामान्यत: यह मत है कि ऐसे प्राधिकरण का कार्य केवल विनियंत्रक होना चाहिए । विभिन्न देशों के वर्गों के बीच किसी एक समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत चल रही है ।

Apprentice Scheme For Weaker Section

2869. SHRI M.C. DAGA : Will THE MINISTER OF LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have introduced a new apprentice scheme for providing employment and training to the weaker sections of the society; and

(b) if so, the date when this scheme was started, the amount spent thereunder, the names of the States where it has been introduced and the number of persons belonging to weaker sections who got employment in each state under this scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : (a) & (b) As one of the measures to increase employment opportunities for educated young people, under the 20-Point Economic Programme a special drive was launched in July, 1975 to implement the Apprentices Act 1961 vigorously, special care being taken to ensure a fair deal to Scheduled Castes and Tribes, minorities, and handicapped persons in the recruitment of Apprentices. As a result of the concerted efforts of the Central and State Government, a substantial increase of about 59,000 has been achieved in the engagement of apprentices bringing the number as of date to 1,28,000 out of which over 26,600 belong to the above categories; the State-wise break-up is given in the enclosed statement. [Placed in Library. See No. LT—10739/76]. The engagement of these apprentices is an integral part of the overall apprenticeship training programme under the Apprentices Act, involving no separate expenditure as such on this account.

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का बंद होना

2870. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने औद्योगिक एककों ने बंद होने के नोटिस सरकार को दिए हैं; और

(ख) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें फिर रोजगार दिलाने के लिए क्या कार्यवाहीं की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अनन्तिम सूचना के अनुसार, ऐसे औद्योगिक यूनिटों, जो कि पहली जनवरी, 1975 से 31 मार्च, 1976 की अवधि के दौरान बन्द हुए थे, की संख्या 108 थी और ऐसे यूनिटों जिनमें 31 मार्च, 1976 को कामबन्दी जारी थी, की संख्या 57 थी। राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र ने जहां सम्भव हुआ यूनिटों को पुन: चालू कराने के लिए प्रयास जारी रखे और यह जैसी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत परिकल्पना की गई है, कार्रवाई करता रहा है।

Employment of I.T.I. Trainees

2871. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the MINISTER OF LABOUR be pleased to state :

(a) the number of I.T.Is. in the country and the number of trainees passed there from during the last two years; and

(b) the number of these successful trainees employed in various Government establishments and the arrangements being made by Government for absorbing the remaining unemployed trainees?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND) VERMA) : (a) Number of I.T.Is. as on 31-12-1975 : 356

Number of trainees who passed out from these institutions during

1974	:	75,143
1975	:	72,571

(b) The available information relates to the number of I.T.I. trained craftsmen who were placed in employment in both the public and private sectors through the Employment Exchanges. This number was 13,425 during the year 1974 (1st February, 1974 to 31st January, 1975) and 12,930 in 1975 (1st February, 1975 to 31st January, 1976). Separate information regarding the number placed in Public Sector alone is not available.

Apart from providing employment opportunities to the unemployed including the ITI trained craftsmen through the implementation of the Plan programmes in different sectors, the promotion of the self-employment and entrepreneurship development has also helped considerably a number of them to sustain themselves through their own efforts.

In addition to the above, a special concerted effort has been made since the announcement of the 20-point economic programme to accelerate the apprenticeship training programme with a view to enlarge employment and training opportunities for educated young people including the ITI trained craftsmen. Since apprenticeship training is to supplement the ITI training in moulding a skilled worker, the new drive has provided greater opportunities formost of the ITI trained craftsmen for engagement as apprentices which make them more suitable for subsequent employment/self-employment and thus enlarge avenues for their employment. Since the announcement of 20-point economic programme there has been a substantial increase of 0·59 lakh (i.e. increase from 0·69 to 1·28 lakhs) in the engagement of apprentices under the Apprentices Act, 1961.

समाचार-पत्रों द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिश की क्रियान्विति

2872. **श्री टुना उरांव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अधिकांश समाचार-पत्रों द्वारा, जिनके प्रेस सूचना ब्यूरो में मान्य-

संवाददाता हैं, विशेषकर अपने मान्य-संवाददाताओं के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिश अभी क्रियान्वित की जानी है और क्या मान्यता के लिए आवेदन पत्र देते समय संपादक ने यह प्रमाणित किया कि संवाददाता केवल पत्रकारिता कार्य कर रहा था; और

(ख) क्या इन समाचारपत्रों में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में कोई जांच की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और ख) मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें सांविधिक रूप से प्रवर्तनीय हैं। उनको राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित कराया जाता है और उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि प्रत्येक मामले में सिफारिशें कार्यान्वित की जाएं।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था

2873. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिए स्थलों और मकानों के निर्माण की व्यवस्था के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारत गोल्ड माइन्स लि० के अनुसूचित जाति के कामगारों के लिए मकान बनाने हेतु कोलार स्वर्ण क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि के नियतन के लिए एक प्रतिवेदन मिला है।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लि० इस प्रयोजन हेतु ऐसे इलाकों में जमीन मुहैया करने के लिए सर्वेक्षण कर रहा है, जो खनिज रहित हैं तथा जिनमें आगे चल कर भी खनन कार्य नहीं करना पड़ेगा।

हल्दिया पत्तन का रानीगंज, आसनसोल तथा धनबाद कोयला पट्टी से सम्पर्क स्थापित करना

2874. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हल्दिया बन्दरगाह का मुख्य कार्य कोयले का निर्यात होने के कारण क्या हल्दिया को रानीगंज, आसनसोल तथा धनबाद कोयला पट्टी से मिलाने के लिए संचार व्यवस्था का जाल फैलाने का प्रश्न रेल मंत्रालय के साथ उठाया जाना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : हल्दिया गोदी पहले से ही रेल द्वारा बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से रानीगंज के कोयला क्षेत्रों से ही हल्दिया से कोयले का निर्यात करने का विचार है। रानीगंज से हल्दिया को कोयले का निर्यात करने के लिए पर्याप्त रेल संचार विद्यमान है। रेलवे भी इस मार्ग की लाइन क्षमता को बढ़ा रहा है। बंकुरा से रानीगंज तक एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे शीघ्र ही सर्वेक्षण करेगा।

श्रम न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामले

2875. **श्री वसंत साठे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम न्यायालयों में बहुत से मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं और यदि हां, तो आपात-स्थिति लागू किए जाने से पूर्व प्रत्येक राज्य में कितने-कितने मामले विचाराधीन थे;

(ख) क्या आपात-स्थित के दौरान श्रम न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी नवीनतम आंकड़े क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) से (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है और वह एकत्र की जा रही है।

खनिज उत्पादन

2876. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1976 में, इससे पहले मास की तुलना में, खनिज उत्पादन के कुल मूल्य में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या इस मूल्य में आणविक खनिजों का मूल्य भी शामिल है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 76 में भारत के अधीन खनिज उत्पादन का कुल मूल्य 10630 लाख रुपए था जबकि दिसम्बर, 1975 में 10550 लाख रुपए था।

(ग) जी, नहीं।

नियोजित पितृत्व सम्बन्धी कार्यक्रम

2877. **श्री बाल कृष्ण वेन्कन्ना नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों से, पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों जैसे कम आबादी वाले क्षेत्रों को अलग करने और नियोजित पितृत्व कार्यक्रम के प्रति चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए परिवार नियोजन संगठन ने क्या उपाय किए हैं;

(ख) क्या जन्मदर कम करने के विचार से देश भर में प्रयत्न करने के बजाए समद्र तटवर्ती क्षेत्रों जैसे जनांकिकीय क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कोई प्रयत्न किए गए हैं ; और

(ग) शुद्धाचारवाद को परिवार नियोजन कार्यक्रम से अलग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) और (ख) भिन्न-भिन्न स्थानों की विशिष्टिताओं को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम को इस प्रकार लागू किया जा रहा है कि इसके सर्वोत्तम परिणाम सामने आएं। विभिन्न क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य को निर्धारित करते समय जनसंख्या के आकार, नगरीकरण, आधारभूत ढांचे तथा कुछेक समाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है; जन-जाति संप्रदायों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उनकी निजी परिस्थितियों के कारण भिन्न दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है; वहां पर विशेष बल स्वास्थ्य की देख-रेख पर दिया जाता है।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए जो नीति और पद्धति अख्तियार की गई है वह लोगों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनरूप आज के वैज्ञानिक सिद्धान्तों और तकनीकों पर आधारित है।

यूगांडा के व्यापार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा

2878. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूगांडा से अनुसचिवीय स्तर का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत आया था और उसने व्यापार तथा आर्थिक क्षेत्र में भारत-यूगांडा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में यहूदीवादी आंदोलन की शाखाएं

2879. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में और विशेषकर बंबई में यहूदीवादी आंदोलन की शाखाएं कार्यरत हैं; और

(ख) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) और (ख) आवश्यक सूचनाएं कत्र की जा रही हैं।

स्वेज नहर के मार्ग से व्यापार

2880. **श्री एम० कत्तामुलु**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वेज नहर के खलने का अपने विदेशी व्यापार की दृष्टि से पूरा लाभ नहीं उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) हमारी राष्ट्रीय नौवहन कंपनियां भारत की समुद्रपारीय व्यापार में स्वेज नहर के खुलने का पूरा फायदा उठा रही हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Freedom to Bonded Labourers in Rajasthan

2881. SHRI LALJI BHAI : Will the MINISTER OF LABOUR be pleased to state the total number of bonded labourers (Sagari system) who were made free in different parts of Rajasthan during the past three months under the abolition of bonded labour laws ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

बन्धित मजदूर प्रथा उन्मूलन के अन्तर्गत सतर्कता समितियों का गठन

2882. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्धित मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक राज्य में जिला तथा सब-डिविजन स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें मक्त हुए श्रमिकों की संपत्तियां वापस दिलाई गई हैं अथवा उनका कब्जा दिलाया गया है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) बन्धक श्रमिक प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम के अधीन, सतर्कता समितियों की स्थापना का कार्य राज्य सरकारों का है। राज्यों से उचित सांविधिक कार्रवाई शीघ्र ही करने के लिए कहा गया है।

(ख) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार में, जनवरी, 1976 तक 19.65 एकड़ भूमि मुक्त किए गए श्रमिकों को लौटाई गई और 36,115 रुपयों का ऋण समाप्त किया गया।

Aeroplane Owned by S.A.I.L.

2883. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the MINISTER OF STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Steel Authority of India Limited has got its own aeroplane;and

(b) if so, the annual expenditure incurred for its use?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

तूतीकोरिन पत्तन का पूरा होना

2884. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन पत्तन पर कार्य धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :(क) से (ग) तूतीकोरिन बन्दरगाह से संबंधित सिविल निर्माण कार्य में मुख्यत: उन आर्थिक कठिनाइयों के कारण गति कुछ धीमी रही जिनका सामना ठेकेदार को हाल ही तक करना पड़ा है । बड़े सिविल कार्यों में से दक्षिणी पनकट दीवार का कार्य लौकिक रूप से पूरा हो चुका है। उत्तरी पनकट दीवार तथा घाटीय दीवार का कार्य प्रगति पर है तथा उसकी 1977 के शुरू में पूरा हो जाने की संभावना है।

तांबा नियंत्रण आदेश

2885. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे मेटल एक्सचेंज लिमिटेड ने सरकार से तांबा नियंत्रण आदेश उठा लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) संभवत: इसका संबंध तांबा (बिजली केबुलों और व तारों के निर्माण के प्रयोग पर प्रतिबंध) आदेश, 1970 से है। फिलहाल इस आदेश को उठा लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस्पात उद्योगों में ठेका श्रमिक

2886. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को) बर्नपुर में ठेका श्रमिक पद्धति को समाप्त करने संबंधी मामला इस्पात उद्योग संबंधी संयुक्त परामर्शदात्री समिति में उठाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सभी इस्पात उद्योगों में ठेका श्रमिक पद्धति को समाप्त करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) से (ग) किसी संस्थान में ठेके पर श्रमिक रखने अथवा ठेकाप्रथा का उन्मूलन, ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 के अनुसार किया जाता है। इस्पात उद्योग में ठेका श्रमिक रखने के प्रश्न पर समय-समय पर इस्पात उद्योग की संयुक्त वार्तासमिति/राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया है। सिद्धान्तत: यह बात मान ली गई है कि इस्पात उद्योग स्थाई में अथवा स्थायीगत कार्यों के लिए ठेकेदारों की मार्फत श्रमिक नहीं रखे जाएंगे अथवा ठेकेदारों के श्रमिक नहीं रखे जाएंगे।

जहां तक इस्को के बर्नपुर इस्पात कारखाने का संबंध है, स्थायी तथा स्थायीवत कार्यों पर लगाए गए ठेका श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 1600 है जिनमें से 1974-75 में 540 को विभागीय कार्यों में रख लिया गया था। शेष 969 को विभागीय कार्यों में खपाया जा रहा है।

Coverage of Workers of Stalls and Khomchas in Bombay Division Under Provident Fund

2887. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF LABOUR be pleased to state :

(a) the extent to which the workers working on tea-stalls book stalls, fruit-stalls and Khomchas at all the local and main line platforms in Bombay Division (Central Railway) get the benefit of provident fund;

(b) the number of firms, contarctors and stalls which are not complying with the provisions of provident fund and other labour laws ; and

(c) whether some stalls, firms and contractors show lesser number of workers and keep workers on daily wages in order to deprive them of the benefits under the labour welfare laws and if so, how Government propose to remedy it?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

P.F. Outstanding Against Coal Mines in Bihar

2888. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF LABOUR be pleased to state :

(a) the amount of provident fund outstanding against all coal mines in Bihar for 1972-73 and 1973-74, yearwise together with the names thereof and the steps being taken to realise the same;

(b) whether many coalmines in Bihar have been closed down rendering a number of workers jobless and workers have also been retrenched in some of the mines; and

(c) whether the amount of provident fund has not been paid to the retrenched employees and if so, the time by which this amount will be paid to them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

खेतड़ी तांबा परियोजना समूह के लिए रॉक फोस्फेट का आयात

2889. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा परियोजना समूह द्वारा उर्वरक संयंत्र के लिए अब तक कितना रॉक फास्फेट आयात किया गया है और उसका मूल्य क्या है;

(ख) क्या एफ० ई० डी० ओ० ने इस रॉक फास्फेट का उपयोग करने से मना कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो इस घाटे के कारण क्या हैं और क्या इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है और जिम्मदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) खेतड़ी तांबा परियोजना-समूह के उर्वरक संयंत्र में 'शक्ति खाद' का उत्पादन कब से आरम्भ हो जाएगा।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी उद्योग समूह में उर्वरक कारखाने के लिए खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा 222.43 लाख रुपए की लागत से 75/77 प्रतिशत ग्रेड की सामान्य वाणिज्य के मोखको रॉक फास्फेट चूर्ण का आयात किया गया था।

(ख) और (ग) : रॉक फास्फेट की कुछ मात्रा कांडला पत्तन में क्लोरीन मिल जाने से खराब हो गई। अधिक क्लोरीन मिश्रित रॉक फास्फेट फास्फोरिक एसिड के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होती और इस लिए एफ० ई० डी० ओ० (फीडो) ने उसे लेने से मना कर दिया। परन्तु फास्फोरिक एसिड से ट्रिपल सुपर फास्फेट बनाने के लिए यह एकदम उपयुक्त है। चूंकि फास्फोरिक एसिड व ट्रिपल सुपरफास्फेट दोनों के निर्माण में रॉक फास्फेट की जरूरत होती है अतः किसी प्रकार के घाटे का सवाल ही नहीं है।

(घ) संयंत्र पहले ही बन कर तैयार हो गया है। फास्फोरिक एसिड संयंत्र के साथ इसे प्रारम्भिक रूप से चालू करने का काम भी पहले ही किया जा चुका है। नियमित संचालन परीक्षण अभी होना है और उसको सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर संयंत्र में 'शक्ति खाद' का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

खेतड़ी तांबा परियोजना समूह के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किया जाना

2890. श्री एस० एन० सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेतड़ी तांबा परियोजना समूह के कितने अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है और जांच के दौरान उनमें से कितनों को पदोन्नति दी गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसके खेतड़ी काम्पलैक्स में ऐसे 10 अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध कम्पनी की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जांच रिपोर्टें मिली थीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के दौरान पदोन्नत किए गए अधिकारियों की संख्या 2 हैं। इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।

खेतड़ी तांबा कम्प्लेक्स के शोधक संयंत्र में कम क्षमता का उपयोग

2891. श्री शिव नाथ सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा कम्प्लेक्स के शोधक संयंत्र में नवम्बर 1975 को छोड़कर जब इसमें 35 प्रतिशत क्षमता से कार्य हुआ था; बाकी समय 20 प्रतिशत क्षमता से कार्य हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस शोधक संयंत्र के कम क्षमता पर चलने के कारण कैथोड़, जो प्रद्रावक संयंत्र का एक उत्पाद है, जमा हो गया है जिसके कारण करोड़ों रुपयों का तांबा रुका पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक प्रतिवाही तांबे का कितना स्टाक जमा है तथा बैंकों को अब तक इस स्टाक पर कितनी लागत तथा ब्याज दिया गया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी उद्योग समूह की इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी में वर्ष 1975-76 के दौरान अपनी निर्धारित क्षमता के औसतन 26 प्रतिशत की दर से काम हुआ।

(ख) इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी की क्षमता का उपयोग प्रद्रावक से तांबा एनोड की प्राप्ति पर निर्भर करता है जो बदले में खानों से धातु के उत्पादन पर निर्भर है। खेतड़ी तथा कोलिहान खानों को अभी उनकी पूरी क्षमता से विकसित किए जाने की कार्यवाही बाकी है।

इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी दिसम्बर, 1974 में बन कर तैयार हुई और 1975-76 के दौरान उसमें पहली बार साल भर काम हुआ। उसकी क्षमता के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जैसा कि नीचे सारणी से स्पष्ट है

तिमाही	क्षमता उपयोग	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
जनवरी–मार्च, 1975	15 प्रतिशत	
अप्रैल–जून, 1975	21 प्रतिशत	
जुलाई–सितम्बर, 1975	13 प्रतिशत	जुलाई, 1975 में संयंत्र बंद रहा।
अक्तूबर–दिसम्बर, 1975	32 प्रतिशत	
जनवरी–मार्च, 1976	39 प्रतिशत	मार्च, 1976 में 46 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ।

(ग) तांबा कैथोड इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी में तैयार किए जाते हैं, प्रद्रावक में नहीं। कैथोड का स्टाक इस लिए जमा हो गया है क्योंकि तार-छड़ ढलाई संयत्र की स्थापना में कुछ कठिनाइयां पेश आ रही हैं और इसलिए हिन्दुस्तान कॉपर लि० ने नियमित संचालन के लिए टर्न-की-ठेकेदारों से अपने हाथ में नहीं लिया है।

(घ) खेतड़ी में 15-4-76 को ब्लिस्टर तांबे का कोई स्टाक नहीं था।

दिल्ली परिवहन निगम को अन्तर्राज्यीय परमिट देना

2892. **श्री भान सिंह भौरा : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम को 22 अक्तूबर, 1975 से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपनी बस चलाने के लिए कितने अन्तर्राज्यीय परमिट जारी किए गए थे और इससे पूर्व ऐसे कितने परमिट जारी किए गए थे;

(ख) 22 अक्तुबर, 1975 के पश्चात् और इससे पूर्व अन्तर्राज्यीय मार्गों पर प्रतिदिन कितनी औसत आमदनी हुई;

(ग) 22 अक्तूबर, 1975 के बाद तथा इससे पूर्व अन्तर्राज्यीय मार्गों पर प्रति किलो मीटर पर प्रति बस से कितनी औसत आमदनी हुई है; और

(घ) अन्तर्राज्यीय मार्ग पर प्रति बस पर प्रति किलोमीटर कितना व्यय आता है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना निम्न प्रकार से है :—

	22 अक्तूबर, 1975 से पहले दिल्ली परिवहन निगम को दिए गए परमिटों की संख्या	22 अक्तूबर, 1975 से आगे दिए गए यूनिटों की संख्या	23-4-76 को निगम के पास विद्यमान परमिटों की संख्या
1. राजस्थान	13	2	15
2. पंजाब .	—	8	18
3. हरियाणा	38	—	38
4. उत्तर प्रदेश . .	14	39	53

(ख) और (ग) : अप्रैल, 1975 से मार्च, 1976 तक की अवधि के लिए संबंधित विवरण महीने वार नीचे दिए गए हैं :—

अवधि	औसत आय (प्रतिदिन रु० में)	औसत आय प्रति कि० मी० (पैसों में)
अप्रैल, 1975 .	47,532	194
मई, 1975	44,476	205
जून, 1975	44,520	209
जुलाई, 1975	43,085	198
अगस्त, 1975	40,598	181
सितम्बर, 1975 . . .	41,370	180
अक्तूबर, 1975 (1-10-75 से 21-10-75)	47,111	212
(22-10-75 से 31-10-75)	40,764	175
नवम्बर, 1975	48,513	203
दिसम्बर, 1975	45,156	191
जनवरी, 1976	45,860	198
फरवरी, 1976	55,555	223
मार्च, 1976	78,080	221

(घ) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि निगम द्वारा अन्तर्राज्यीय परिचालनों के लिए अलग-अलग लेखा-जोखा नहीं रखा गया है।

'पोस्टल डिवीजन' बनाने के लिए मानदंड

2893. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पृथक 'पोस्टल डिवीजन' बनाने के लिए क्या मानदंड रखा गया है और इस मानदंड के आधार पर बिहार में इस समय कितने 'पोस्टल डिवीजन' हैं तथा कितने और बनाने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : डाक डिवीजनों की रचना कार्यभार के आधार पर की जाती है। बिहार में इस समय कुल 23 डाक डिवीजन हैं। इस राज्य में कोई और नया डाक डिवीजन बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Expenditure on Research on Ayurvedic and Homoeopathic Medicines

2894. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the development of and research on the Ayurvedic and Homoeopathic systems of medicine during 1974-75 and 1975-76;

(b) whether there is great scope for research on both these systems of medicine particularly on Ayurvedic system; and

(c) if so, the steps taken by the Central Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A.K.M. ISHAQUE) : (a) The following expenditure has been incurred by the Government of India.

	1974-75	1975-76
	Rs.	Rs.
(i) Development of and research on Ayurveda .	117,54,983	140,53,913
(ii) Development of and research on Homoeopathy . .	16,05,067	21,40,635

(b) Yes.

(c) The Government of India have established an autonomous Central Council for Research in Indian medicine & Homoeopathy in 1969, to initiate aid, develop and coordinate scientific research in different aspects of the Indian systems of medicine, Homoeopathy and Yoga. The Council has established 15 fulfledged research institutions and 112 research units for carrying out multi-disciplinary research. The Council has undertaken drug research, literary research, clinical research, mobile clinical research and survey of medicinal plants throughout the country. The Council has evolved pharmacopoeial standards for 413 compound preparations and 200 single drugs. The Council has also surveyed and collected about 1500 folklore claims, cultivated about 1225 plants at experimental gardens, prepared 5638 identified herbarium sheets, surveyed 130 forest divisions/areas of the country for medico-botanical wealth and established therapeutic potentiality of number of drugs for the treatment of epilepsy, schizophrenia, mental retardation, high blood cholesterol, leucoderma etc. Apart from these, it has evolved a Yoga syllabus for schools and college students, brought out a medical kit in Ayurveda for common man, for common ailments and published a book containing simple remedies in Siddha and Homoeopathy. Similar books in Ayurveda and Unani are under publication. In addition, the Council also releases two quarterly journals viz., "Journal of Research in Indian Medicine, Yoga and Homoeopathy" and "Bulletin of Indian Institute of History of Medicine". Studies on drugs described in classics as possessing anti-fertility potential are in final stages of investigation.

Besides, research in Ayurveda and Homoeopathy will also be undertaken by the National Institutes of Ayurveda and Homoeopathy which have been established in 1976.

Doctors Population Ratio

2895. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the doctor-population ratio in urban and rural areas in India is very low as compared to Soviet Union, Britain and USA;

(b) the doctor-population ratio in India and the comparative ratio for the aforesaid countries; and

(c) the number of persons graduating in medicine every year in India and the number out of them going abroad?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. M. ISHAQUE) : (a) & (b) Separate statistics pertaining to break-up of doctors in urban and rural areas in the country have not been maintained. The overall doctor population ratio in India compared to USSR, Britain and USA is as follows:—

Country	Year	Doctor Population Ratio	
India	1974-75	1 : 4013	Provisional
USSR	1973	1 : 370	
Britain	1971	1 : 790	
U.S.A.	1971	1 : 630	

(c) The number of medical graduates passed out during the last 4 years in India are given below:—

	No. passed out
1971	11144
1972	10823
1973	11252
1974	11500

The information regarding the number out of them going abroad is not available. However, Government of India selected 1,733 doctors in 1975 on bi-lateral basis and under the Indian Technical Economic Cooperation Programme for assignments abroad. The Medical Council of India issued during 1975 Certificates of Good Standing to 2,316 doctors to pursue higher studies/employment abroad. 104 doctors were sent in 1975 for higher training under WHO/COLOMBO Plan and various Scholarships/Fellowships Schemes administered by the Ministry of Health and Family Planning and the Ministry of Education and Social Welfare.

बंधित श्रम को समाप्त करने के बारे में राज्यों का मार्गदर्शन

2896. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंधित श्रम को, जहां कहीं भी यह विद्यमान है, समाप्त करने के लिए उनके मंत्रालय ने राज्यों को क्या मार्गदर्शी निदेश जारी किये हैं ;

(ख) राज्यों ने बंधित श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए कौनसी एजेन्सियां स्थापित की हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने-कितने बंधित श्रमिकों का पता लगा है और उन्हें वैकल्पिक रोजगार देकर बंधित श्रम से मुक्त किया गया है; और

(घ) बंधित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए चालू वित्तीय वर्ष म कितनी राशि नियत की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और राज्यों द्वारा सर्जित किए गए अभिकरणों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सारांश सदन की मेज पर रखा जाता है (अनुबन्ध-I)। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-10733/76]

(ग) कोई व्यापक अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि, उपलब्ध सूचना सदन की मेज पर रखी जाती है। (अनुबन्ध-II)। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-10733/76]

(घ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि संरक्षण, सिंचाई, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, आदिवासी/हरिजन कल्याण, आदि की/के वर्तमान आगे चलने वाली/बाले प्लान योजनाओं/कार्यक्रमों की लपेट के अन्तर्गत मुक्त किए गए श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों को भी शामिल करें।

उड़ीसा में दूरसंचार और डाक सेवाओं के लिए नियत की गई धनराशि

2897. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में दूरसंचार और डाक सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई;

(ख) कुल आबंटित धनराशि में से उड़ीसा के निर्धारित पिछड़े जिलों में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) पूर्ववर्ती वर्षों में और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पिछड़े जिलों के विकास के लिए विभाग ने क्या सिद्धान्त अपनाया; और

(घ) क्या मंत्रालय ने, राज्य में असन्तुलन को समाप्त करने के लिए इन क्षेत्रों को धनराशि के आबंटन में प्राथमिकता देने के बारे में उड़ीसा सर्किल को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त और अनुदेश जारी किए थे?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) उड़ीसा सर्किल में डाक और दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए वर्ष 1975-76 में क्रमशः 9 लाख रुपये और 156 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे।

(ख) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) : देश के पिछड़े इलाकों में डाकघर, तारघर और लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए सरकार ने शिथिल मानदंड निर्धारित किए हैं। ये

मानदंड उड़ीसा सर्किल के ऐसे इलाकों में भी समान रूप से लागू किए जाते हैं। इन मान-दंडों का उल्लेख अनुबंध में कर दिया गया है और इनका लगातार पुनरीक्षण किया जाता है।

विवरण

दूरसंचार सेवाएं

लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और तारघर (संयुक्त डाक तारघर) आमतौर से उन्हीं स्थानों पर खोले जाते हैं जहां उनकी योजनाएं लाभकर हों। घाटे के मामले में टेलीफोन और तार की सुविधाएं किराये और गारंटी के आधार पर तभी दी जा सकती हैं जबकि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाला घाटा भरने के लिए तैयार हो। किन्तु देहाती/अविकसित इलाकों में इन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से विभाग ने एक नीति बनाई है। इस नीति के अनुसार कुछ श्रेणियों के स्थानों पर उनके प्रशासनिक महत्वों, जन-संख्या और सामान्य दूरसंचार जाल से उनकी दूरी के आधार पर घाटा उठाकर भी ये सुविधायें दी जाती हैं। एक सीमित संख्या तक तीर्थ स्थानों, पर्यटन केन्द्रों, कृषि और सिंचाई परियोजना स्थलों तथा टाउनशिपों में भी घाटा उठाकर ये सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार किया जाता है। इन सभी मामलों में, सामान्य इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत और पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत अनुमानित आमदनी अवश्य होनी चाहिए।

डाक सेवाएं

पिछड़े इलाकों में डाक सुविधाओं का विस्तार करने में सुविधा हो, इस दृष्टि से इन इलाकों के लिए विभाग विशेष रूप से शिथिल मानदंड लागू करता है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए घाटे की वार्षिक स्वीकार्य सीमा 500 रुपये और कुछ मामलों में 750 रुपये रखी गई है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए इस नियम में ढील देकर घाटे की सीमा 1000 रुपये और कुछ मामलों में 2500 रुपये रखी गई है। इन मामलों में जनसंख्या की शर्त लागू नहीं की जाती। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में जहां अनुमानित न्यूनतम आय प्रस्तावित डाकघर के वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है, वहां उपर्युक्त क्षेत्रों में यह सीमा घटा कर मैदानी इलाकों के लिए 15 प्रतिशत और पहाड़ी इलाकों के लिए 10 प्रतिशत रखी गई है।

Telex Exchange Centres in M.P.

+**2898.** SHRI G. C. DIXIT: Will the MINISTER OF COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number and names of the cities and towns in Madhya Pradesh which have telex exchange centres;

(b) whether there is any proposal to open other such centres in Madhya Pradesh in the Fifth Five Year Plan; and

(c) if so, the salient features of the proposal?

MINISTER OF COMMUNICATIONS (DR. SHANKER DAYAL SHARMA) (a) There are five telex exchanges in Madhya Pradesh at present at the following places:

1. Bhopal
2. Gwalior
3. Indore
4. Jabalpur
5. Raipur.

(b) & (c) New Telex exchanges are proposed to be opened at the following places in Madhya Pradesh during the remaining portion of the Fifth Five Year Plan :

1. Dewas	2. Bhilai
3. Ujjain	4. Bilaspur.

All these telex exchanges will be connected to the national telex network via Bombay, which is the zonal centre. Each of these four exchanges will be of 20-lines capacity costing about Rs. 2·7 lakhs. The equipment has been indigenously manufactured.

डाकघरों के कार्यभार तथा आय की गणना करने के लिए फारमूला

2899. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उप डाकघरों में, जो संयुक्त कार्यालय भी है, तथा उनमें जहां पब्लिक काल आफिस भी है, प्रत्येक डाक/दूरसंचार कार्य के लिए निर्धारित निश्चित समय तथा आय बताते हुए डाकघरों के लिए (एक) कार्यभार, (दो) आय की गणना का वर्तमान फारमूला क्या है;

(ख) विभाग द्वारा ये फारमूले सर्वप्रथम कब बनाए गए थे और बाद में इनमें कब-कब परिवर्तन किये गये और प्रत्येक स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन किए गये;

(ग) क्या डाकघरों द्वारा आरम्भ किये गये नये-नये कार्यों को ध्यान में रखते हुए इनमें फिर परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) नये फारमूलों के व्यवहार में आने की संभावित तारीख क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

सामुदायिक विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2900. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के 5026 सामुदायिक विकास खण्डों में से प्रत्येक खण्ड में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे सामुदायिक विकास खण्डों के प्रत्येक 10,000 व्यक्तियों के समूह के लिए, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, एक-एक उप-केन्द्र की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश के सभी सामुदायिक विकास खण्डों में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और विकास खण्ड की प्रत्येक दस हजार व्यक्तियों के समूह के लिए एक उप-केन्द्र की कब तक व्यवस्था हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) इस समय देश में 5247 सामुदायिक विकास खण्ड हैं, जिन में 5320 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। कुछेक खण्डों में एक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। 113 ऐसे खण्ड हैं जहां पर अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति, प्रत्येक राज्य में सामुदायिक विकास खण्डों की संख्या तथा ऐसे खण्डों की संख्या जिन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, के बारे में एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10734/76]

(ग) 1971 की जन गणना के अनुसार प्रत्येक 10,000 ग्रामीण आबादी के पीछे एक-एक उप केन्द्र के हिसाब से 43,886 उप केन्द्रों की आवश्यकता थी, जबकि 31-12-75 की स्थिति के अनुसार 33,291 उप-केन्द्र कार्य कर रहे थे।

(घ) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रत्येक 10,000 ग्रामीण आबादी के पीछे एक-एक उपकेन्द्र (1971 की जन गणना के अनुसार) खोलने का जो लक्ष्य था उसकी पूर्ति न्यूनतम आवश्यकता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कर लिए जाने की सम्भावना है।

Expenditure Incurred on Expansion of Telephone and Posts and Telegraph Services in certain districts of M.P.

+2902. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the expansion of telephone and posts and telegraphs services in Raisen, Bhopal and Sehore districts of Madhya Pradesh from March, 1972 to March, 1976; and

(b) the expenditure incurred on the construction of buildings of the department in each year?

THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. SHANKAR DAYAL SHARMA) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

Extraction of Diamond from Panna Diamond Project

2903. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : will the MINISTER OF STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the value of diamonds extracted from diamond project Panna (1) Majhgawan diamond mine (2) Ram Khiniya Mine operated by National Mines Development Corporation during 1973-74, 1974-75 and upto March, 1976 separately; and

(b) the value of diamonds sold in the markets of Panna and Bombay and the value of diamonds lying in stock ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) and (b) The information is given in the Table below :—

(Rs. in lakhs)

		1973-74	1974-75	1975-76 (provisional)
1. Assessed value of production .	Majhgawan	82	68	60
	Ramkheria	16	9	11
	Total	98	77	71
2. Assessed value of stocks held at the end of the year	Majhgawan	48	45	58
	Ramkheria	9	8	13
	Total	57	53	71
3. Total sale realisations from auctions held in Bombay .		102	80	31

No Auctions were held in Panna during 1973-74, 1974-75 and 1975-76.

भविष्य निधि की बकाया राशियां

2904. श्री बयालार रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि संगठनों की बकाया राशियों के भुगतान में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) और (ख) भविष्य निधि की बकाया राशियों की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त अंशदानों की स्थिति नीचे दी गई है :—

(i) 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष	छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों से प्राप्त कुल अंशदान (करोड़ों में) उत्तरोत्तर आंकड़े	भविष्य निधि की बकाया राशियां करोड़ों में	अंशदानों की तुलना में बकाया राशियों की प्रतिशतता
1973	941.53	19.61	2.08 प्रतिशत
1974 .	1,082.54	19.06	1.76 प्रतिशत
1975 . . .	1,256.43	19.34	1.54 प्रतिशत

(ii) सदस्यों को जारी किए गए वार्षिक लेखा विवरणों की संख्या नीचे दी गई है :—

31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष	जारी किए गए वार्षिक लेखा विवरणों की संख्या
1973	33.52 लाख
1974	39.16 लाख
1975	62.81 लाख

कोचीन पत्तन पर सुविधाएं

2905. **श्री बयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोचीन पत्तन से कितने टन माल भेजा गया;

(ख) क्या कोचीन पत्तन पर मांग पूरी करने के लिए सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ग) इन सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोचीन बन्दरगाह आयात और निर्यात का टन भार निम्न प्रकार था :—

वर्ष	आयात	निर्यात	योग
1973-74 . .	2875456	845383	3720839
1974-75	3589888	1223440	4813328
1975-76 . .	3315896	939249	4255145

(ख) और (ग) यद्यपि चालू यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं पर्याप्त हैं, तथापि सेवा में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के प्रस्ताव पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में शामिल किए गए हैं। इनमें बड़े आकार के कच्चे तेल के टैंकरों को ठहराने के लिए एक नया घाट एक पूरे प्रकार से सज्जित कंटेनर घाट तथा मालवाहकों के लिए विभिन्न प्रकार के धरा उठाई उपस्कर की अधिप्राप्ति शामिल हैं।

एल्लेप्पी में नया तार डिवीजन बनाया जाना

2906. **श्री बयालार रवि :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलेप्पी में नया तार डिवीजन बनाने के लिए कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) केरल सर्किल में एक नया तार इंजीनियरी डिवीजन खोलने के आदेश 3-4-76 को जारी किए गए हैं। इस डिवीजन का मुख्यालय एलेप्पी में होगा। इस डिवीजन में एलेप्पी फोन उप-मंडल, एलेप्पी तार उप मंडल और तिरुवल्ला तार उप मंडल शामिल होंगे :

जिला कुरनूल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर बाहरी सड़क की मंजूरी

2907. **श्री पी० एंथनी रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुरनूल जिले में द्रोणाचल्लम के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 पर बाहरी सड़क के लिए मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उप मार्ग का निर्माण स्वीकृत नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में नई टेलीफोन लाइनों को चालू किया जाना

2908. **श्री समर गुह :** क्या **संचार** मंत्री दिल्ली, बम्बई, मद्रास और ककलत्ता में नई टलीफोन लाइनों के चालू किये जाने के बारे में 18 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 812 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में नई टेलीफोन लाइनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के कितने आवेदन पत्र शेष हैं और (दो) उपरोक्त प्रत्येक नगर में प्रस्तावित नई लाइनों के बिछाने से कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी होने की आशा है;

(ख) किस प्रकार की मशीनें लगाई जायेंगी ; और

(ग) क्या ऐसी मशीनरी का आयात किया जायेगा अथवा उसकी सप्लाई देश में ही उपलब्ध होगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 1-4-1976 को प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या नीचे दे दी गई है :

	दिल्ली	बम्बई	मद्रास	कलकत्ता
ओ० वाई० टी० . .	6,975	42,205	10	5,870
गैर-ओ० वाई० टी० .	40,867	27,629	3,906	33,104
योग	47,842	69,834	3,916	38,974

वर्ष 1976-77 के दौरान दिए जाने वाले कनेक्शनों की संभावित संख्या इस प्रकार है :

	दिल्ली	बम्बई	मद्रास	कलकत्ता
	20,000	16,000	1,800	13,000

(ख) स्ट्राउजर और क्रासबार दोनों प्रकार के टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर लगाए जाएंगे ।

(ग) आयातित उपस्कर की 10,000 लाइनें लगाई जाएंगी बाकी लाइनें स्वेदशी उपस्कर के ज़रिए लगाई जाएंगी, जिसका उत्पादन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलूर द्वारा किया जाएगा ।

नये शिपयार्डों के लिये परियोजना प्रतिवेदनों का कार्य विदेशी सलाहकारों को सौंपा जाना

2909. **श्री नुरुल हुडा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तीन विदेशी सलाहकारों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें देश में नये शिपयार्डों के लिये प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा गया है,

(ख) उनके साथ हुए ठेकों का स्वरूप क्या है तथा उनका मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस प्रकार की विशेषता देश में ही उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो आवश्यक विशेषज्ञता का विकास करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि धीरे-धीरे विदेशी फर्मों पर निर्भरता से मुक्ति मिल सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) जिन तीन विदेशी परामर्शकों ने तकनीकी आर्थिक कार्यदल द्वारा अभिशंसित चार निर्माण स्थलों के लिये प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टों को तैयार किया, के नाम और पते निम्न प्रकार हैं :—

परामर्शकों का नाम	पता
1. उल्जनिक शिपयार्ड	उल्जनिक ब्रोडोग्रेडिस्टी वोरनिका डिसेन मोटारा और कोलकारा 1, पूला युगोस्लाविया ।
2. शिपिंग रिसर्च सर्विसेज .	एच० जे० ब्रेटिंग्ज वेई 8 ओसला 5—नार्वे ।
3. ए० और पी० एपलडोर इन्टरनेशनल लिमिटेड . .	5/6 यारमाउथ, प्लेस लन्डन, डब्लू 1 ।

(ख) परामर्शदाताओं को तकनीकी आर्थिक कार्य दल द्वारा तैयार किए गये दो शिपयार्ड के नमूनों की प्रारंभिक प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने, उन यार्डों के संदर्भ में स्थिती का मूल्यांकन करके प्रस्तावित विकास करने तथा अनुशंसित किये गये स्थलों का चुनाव करना था । इसमें कुल व्यय लगभग 16.00 लाख रु० का था जिसमें सलाहकारों का शुल्क विशेषज्ञों द्वारा स्थलों का निरिक्षण करने का व्यय और परामर्श देने का व्यय शामिल था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रारंभिक प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के समय भी परामर्शदाताओं को भारतीय पतनों तथा यार्डो के उपयुक्त तकनीकी अधिकारियों की सहायता प्रदान की गई करार के अनुसार विदेशी विशेषज्ञों को भारत के बुद्धिजीवियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा

तदुपरांत डिजाइन और परामर्श संबंधी स्थितियों से संबद्ध में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करना था ये कदम अपेक्षित अनुभव का विकास करने के लिए उठाए गए थे ताकि कालांतर में विदेशी सलाहकारों की निर्भरता धीरे धीरे समाप्त की जा सके ।

चेचक और छोटी माता का उन्मूलन

2910. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेचक का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया है :

(ख) क्या देश के पूर्वी राज्यों अर्थात् बिहार, बंगाल और उड़ीसा राज्यों से छोटी माता के मामलों की रिपोर्ट मिली है : और

(ग) इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) जी हां, भारत 5 जुलाई 1975 से एक चेचक मुक्त देश बन गया है ।

(ख) बिहार और उड़ीसा की भांति सभी राज्यों में छोटी माता ग्रस्त व्यक्तियों को दर्ज करने की व्यवस्था नहीं है । इसकी व्यवस्था केवल पश्चिम बंगाल के शहरी इलाकों में है । किन्तु चेचक के रोगियों की सक्रिय खोज करने के परिणामस्वरूप दिसंबर 1975 में जितने व्यक्तियों का छोटी माता से ग्रस्त होने का पता चला उनकी संख्या इस प्रकार है—

बिहार	1071
उड़ीसा	1453
पश्चिम बंगाल	1077

(ग) जहां तक चेचक का संबंध है, इस बात की चौकसी और सतर्कता बरती जा रही है कि यह बीमारी बाहर के देशों से न आने पाए । मरीज़ को अलग रखने के सिवाए छोटी माता पर काबू पाने का और उसे समाप्त करने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है ।

Indo-Yugoslav Cooperation for Exchange of Information and Communications amongst Non-Aligned Countries

+**2911.** SHRI SHIV KUMAR SHASTRI : Will the MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether India and Yugoslavia have decided to extend closer cooperation to non-aligned countries in the field of exchanging information and communications; and

(b) if so, the outlines of their action in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS. (SHRI BIPINPAL DASS) : (a) & (b) During the visit of Mr. Muhamed Berberovic, member of the Federal Executive Council of Yugoslavia and President of the Federal Committee for Information to New Delhi from February 28 to March 3, 1976 preliminary exchange of views took place to explore possibilities of eventual signing of a bilateral agreement in the field of information between

Yugoslavia and India and a draft agreement in this regard is under examination by both sides. The two countries are also having consultations regarding implementation of the decisions of non-aligned Conferences on cooperation among non-aligned countries in the field of information. Details in this regard were given in the recent Indo-Yugoslav joint communique issued on April, 16, 1976 on the conclusion of the visit to India of Mr. H. Minic, Vice-President of Federal Executive Council and Federal Secretary for Foreign Affairs of Socialist Republic of Yugoslavia.

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता तथा दिल्ली परिवहन निगम में विनियोजन

2912. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता और दिल्ली परिवहन निगम ने आज तक कुल कितना ऋण लिया और इसमें कुल कितना विनियोजन किया गया; और

(ख) दोनों एककों के संघात्मक ढांचे का स्वरूप क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लि० के आंकड़े निम्न प्रकार हैं

(रु० लाखों में)

वर्ष	निवेश	ऋण
1964-65	19.59	19.59
1965-66	25.00	18.00
1966-67	4.00	11.00
1967-68	—	6.00
1968-69	25.00	34.50
1969-70	16.00	20.00
1970-71	7.50	7.50
1971-72	12.50	12.50
1972-73	—	19.50
1973-74	—	11.30
1974-75	—	2.50
1975-76	—	26.50
जोड़	109.59	188.89

दिल्ली परिवहन निगम में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं है। परन्तु, वे इस निगम को पूंजीगत परिसम्पत्तियां खरीदने और उनके अर्थोपाय घाटों को पूरा करने के लिये प्रतिदेय ऋण स्वीकृति कर रहे हैं। संबंधित आंकड़े नीचे दिये हैं :—

(रु० लाखों में)

अवधि	पूंजीगत ऋण	अर्थोपाय ऋण	कुल
3-11-75 से 31-3-72	197.00	78.00	275.00
1972-73	257.50	231.00	488.50
1973-74	585.21	291.00	876.21
1974-75	792.00	685.00	1477.00
1975-76	730.00	590.00	1320.00
जोड़	2561.71	1875.00	4436.71

(ख) दो चार्ट संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 10735/76]

Subscribers Trunk Dialling Systems in Bihar

+**2913. Shri Chiranjib Jha** : Will the **Minister of Communications** be pleased to state :—

(a) the divisional headquarters in Bihar where subscribers' Trunk Dialling system has not been introduced; and

(b) the time by which this system will be introduced there?

The Minister ofCommunications (Dr. Sankar Dayal Sharma) : (a) The following are the divisional headquarters which do not have STD facility:—

1. Darbhanga,
2. Saharasa,
3. Bhagalpur,
4. Ranchi, and
5. Hazaribagh,

(b) Proposals are on hand for provision of S.T.D. from the above Divisional Headquarters to Patna on completion of the long distance (Microwave) links on the rutes and subject to availability of equipment and other resources. The tentative schedule is ::

1. Darbhanga .	1977-78
2. Ranchi	1978-79
3. Hazaribagh .	. 1978-79.
4. Saharasa .	Sixth Plan.
5. Bhagalpur .	Sixth Plan.

Expansion of Durgapur Alloy Steel Plant

2914. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Durgapur Alloy Steel Plant is proposed to be expanded; and

(b) if so, by what time and the estimated increase in its production capacity as a result thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD) : (a) and (b) Steel Authority of India Limited (SAIL) had commissioned Metallurgical and Engineering Consultants (India) Ltd. (MECON) to prepare a pre-investment feasibility study on the expansion of the Alloy Steels Plant, Durgapur. MECON submitted the study in March, 1976 and this is under scrutiny of SAIL.

Rourkela Embarking on Diversification

2915. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Rourkela is embarking on diversification; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD) : (a) and (b) There are at present two projects under implementation/consideration which will diversify the product-mix :

(1) A Spirally Welded Pipe Plant capable of producing 55,000 tonnes per annum of pipes required by Oil Industry:—

This is under implementation at an estimated capital cost of Rs. 15 ·3 crores with a foreign exchange component of Rs. 7 ·01 crores.

(2) Installation of a Cold Rolling Mill complex to produce cold rolled grain oriented (CRGO) and cold rolled non-grain oriented (CRNO) grade electrical steel sheets which are at present not being produced in the country :—

A Master Plan for producing 24,000 tonnes per annum of CRGO and 32,000 tonnes per annum of CRNO sheets is under preparation.

Non-Commissioning of the Manufacturing Unit of Homoeopathic Laboratory at Ghaziabad

2916. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether homoeopathic medicines for C.G.H.S. dispensaries can be purchased from well reputed firms only whereas all the reputed firms are not able to supply all the required medicines; and

(b) if so, the reasons for not commissioning the manufacturing unit of Homoeopathic Laboratory at Ghaziabad in order to get quality products thereof at cheaper rates ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A.K.M. ISHAQUE) : (a) Homoeopathic medicines for C.G.H.S. dispensaries can be purchased from approved well reputed firms only. If any one of them does not supply the required medicines, the requirements are met from among the other approved firms.

(b) The Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory at Ghaziabad is intended mainly to establish standards, verify and test drugs and maintain authentic samples and herbarium. It

will have only a Pharmacy Unit capable of preparing small quantities of Homoeopathic medicines required exclusively for test and analysis or research. The question of commissioning the manufacturing unit of this Laboratory does not, therefore, arise.

Demarcation of Border Between India and Burma

†2917. SHRI SHIV KUMAR SHASTRI
SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA } : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether border between India and Burma has been demarcated ; and

(b) if so, the extent to which it has been demarcated as also the time by which the remaining portion is likely to be demarcated ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS) : (a) & (b) Nearly 90 per cent of the Indo-Burma border has been demarcated following the Boundary Agreement of 1967. The Indo-Burma Boundary Commission is actively pursuing the matter. However, the time required for the demarcation of the rest of the border cannot be estimated with precision.

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के निदेशक बोर्ड

2918. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में मजदूरों और कर्नाटक राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : इस समय भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल में मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं है । जहां तक निदेशक मंडल में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि का सवाल है, इस संबंध में राज्य सरकार की अन्तिम सिफारिश हाल ही में मिली है, जिन पर तत्परता से विचार किया जा रहा है और नियुक्ति के बारे में शीघ्र अधिसूचना जारी कर दिए जाने की संभावना है ।

ताइवान से राजनयिक संबंध

2919. श्री शंकरराव सावन्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे ताइवान से राजनयिक संबंध टूट गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) ताइवान के साथ भारत सरकार के कभी भी राजनियक संबंध नहीं रहे, इस लिए इन्हें तोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

एलाय टूल और विशेष इस्पात की वस्तुओं का उत्पादन

2920. श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एलाय टूल और विशेष इस्पात की वस्तुओं की कमी है अथवा उनके उत्पादन के बारे में देश को तकनीकी जानकारी प्राप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसी वस्तुओं का कितना आयात किया गया तथा उनका मूल्य क्या है ;

और

(ग) इन वस्तुओं के देश में उत्पादन के बारे में क्या प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ग) अधिकांश किस्मों का मिश्रित, औजारी और विशेष इस्पात बनाने की तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध है। वर्ष 1978-79 तक देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता के लिए योजना भी बना ली गई है। फिर भी कुछ मामलों में आयात किया जा रहा है, क्योंकि ––

(1) वर्तमान उत्पादन स्तर पर्याप्त नहीं है

अथवा

(2) जहां विशिष्ट कार्यों के लिए अपेक्षित इस्पात का थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना मितव्ययी नहीं है।

कुछ ऐसे विशेष ग्रेड भी हैं जैसे ठण्डी बलित दानेदार सिलिकन ईस्पात चादरें (कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियेन्टिड सिलिकन स्टील शीट्स) और बढ़िया किस्म के मिश्रित इस्पात आदि जिनके लिए तकनीकी जानकारी बाहर से प्राप्त करना आवश्यक है और इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों का मिश्रित, औजारी और विशेष इस्पात (हाई कार्बन इस्पात भी शामिल है) का आयात इस प्रकार है :––

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	(हजार टन)	(करोड़ रुपये)
1972-73	255	62.58
1973-74	173	62.08
1974-75	241	111.94

वर्ष 1975-76 की प्रथम तिमाही में 19.59 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 33,000 टन इस्पात का आयात किया गया था।

इस्पात की मांग में वृद्धि

2921. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या इस्पात **और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 में देश में इस्पात से वनी वस्तुओं की मांग में भारी कमी हुई है ;

(ख) इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मांग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या नीति निर्धारित करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : यह कहना सही नहीं है कि वर्ष 1975-76 में देश में इस्पात सामग्री की मांग में काफी कमी हुई है । वर्ष 1975-76 में मुख्य उत्पादकों की इस्पात की विभिन्न श्रेणियों की कुल बिक्री लगभग 47 लाख टन थी जबकि उससे पिछले वर्ष कुल बिक्री लगभग 50 लाख टन थी । अत: मांग में मामूली सी कमी हुई है । ऐसा मुख्यतया निर्माण संबंधी कार्यों में कमी होने तथा सरकारी प्रायोजनाओं और निजी उद्योगों द्वारा अपनी प्रायोजनाओं के लिए अपक्रय में कमी के कारण हुआ है । इस्पात की सुगम उपलब्धि के कारण उपभोक्ताओं की वस्तुसूची स्तर में भी कमी आई है और उससे भी कुछ हद तक मांग पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) वर्ष 1976-77 के बजट में योजना परिव्यय 7,852 करोड़ रखा गया है । जो गत वर्ष के अनुमोदित योजना परिव्यय से 31.6 प्रतिशत अधिक है । आशा है इससे विभिन्न प्रायोजना प्राधिकारियों द्वारा इस्पात की सामग्री की खरीद पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । इसके अलावा इस्पात वितरण व्यवस्था को दोषरहित बनाने और उपभोक्ताओं को इस्पात आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इन उपायों में इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के अनन्त उपयोग पर लगाए गए प्रतिबन्ध हटाना, उत्पादकों के ग्राहक-सम्पर्क अधिकारियों की मार्फत आर्डर प्राप्त करने की व्यवस्था करना, स्टाकयार्डों की मार्फत माल सप्लाई करना, नान फंक्शनल बिल्डिगों के निर्माण पर से प्रतिबन्ध हटाना आदि शामिल है ।

महाराष्ट्र में भविष्य निधि की बकाया राशि

2922. **श्री वसन्त साठे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1975-76 के दौरान भविष्य निधि अंशदान की अदायगी न करने वाले औद्योगिक एककों की संख्या काफी बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बड़े एककों के नाम क्या हैं तथा कितनी राशि की अदायगी नहीं की गई है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

नकली दवाइयों का काम करने वाला अन्तर्राज्यीय गिरोह

2923. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री के० लकप्पा } : क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक औषध नियंत्रण विभाग ने नकली दवाइयों और पशुचिकित्सा सम्बन्धी दवाइयों का काम करने वाले एक अन्तर्राज्यीय गिरोह का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) 1975 में कर्नाटक में नकली दवाइयों का काम करने वाले दो अन्तर्राज्यीय गिरोहों का पता लगाया गया था। एक मामले में बम्बई की एक जाली फर्म बंगलौर को नकली दवाइयां भेजती थी और वहां से उन्हें दिल्ली स्थित एक अन्य जाली फर्म को भेजा जाता था। कर्नाटक के औषध नियंत्रक ने स्थानीय पुलिस और प्रवर्तन कार्य करने वाली अन्य एजेन्सियों की सहायता से बगलौर शहर में एक मकान पर छापा मारा जहां पर नकली दवाइयों का बड़ा भण्डार जमा किया हुआ था। पुलिस और औषध नियंत्रण विभाग ने जांच-पड़ताल का काम पूरा कर लिया है और इन मामलों को अदालत में दायर किया जा रहा है।

पशु चिकित्सा संबंधी दवाइयों के दूसरे मामले में दिल्ली के एक पशु-चिकित्सा सर्जन और उसके पुत्र को विदेशी मार्के की पशु-चिकित्सा संबंधी नकली दवाइयां बनाते हुए पाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कलकत्ता की जिस फर्म के साथ ये लोग सम्बद्ध थे उसके अहाते पर भी छापा मारा गया। कर्नाटक के औषध नियंत्रक ने बंगलौर के एक सुप्रसिद्ध वितरक के यहां से लगभग 600/- रुपये की कीमत की इन नकली दवाइयों का भण्डार भी जब्त किया जिसे निर्माता द्वारा धोखा दिया गया प्रतीत होता है। विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है।

सरकारी ठेकेदारों के पास काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

2924. **श्री के० प्रधानी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की गई न्यूनतम मजूरी कृषि श्रमिकों के लिए है अथवा औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी ठेकेदारों के पास काम करने वाले श्रमिकों जैसे सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए है;

(ख) क्या न्यूनतम मजूरी नियम औद्योगिक श्रमिकों तथा सरकारी ठेकेदारों के अधीन नियोजित श्रमिकों पर लागू नहीं होते और यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कृषि तथा औद्योगिक श्रमिकों तथा सरकारी ठेकेदारों के पास काम करने वाले श्रमिकों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या नवीनतम न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कृषि में रोज़गारों और अन्य अनुसूचित रोज़गारों के लिए न्यूनतम मज़दूरियां निर्धारित की गई हैं। अधिसूचित दरें सरकारी ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे श्रमिकों सहित सम्बन्धित अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट रोज़गारों में लगे श्रमिकों पर लागू होती हैं।

(ग) सांविधिक न्यूनतम मज़दूरियों को राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के सरकारी राजपत्रों में अधिसूचित किया जाता है जब कभी इन द्वारा किसी मज़दूरी का निर्धारण/

पुनरीक्षण किया जाता है। एक विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10736/76**] जिसमें कृषि में न्यूनतम मज़दूरियों के बारे में नवीनतम उपलब्ध सूचना दी गई है।

कर्नाटक की सड़कों तथा पुलों का विकास

2925. **श्री के० मालन्ना :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में वर्ष 1975-76 में सड़कों और पुलों के विकास के लिये राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है, और

(ख) वर्ष 1976-77 में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है अथवा दी जानी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कर्नाटक में 1975-76 के दौरान सड़कों और पुलों के विकास के लिये 494.82 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(ख) 1976-77 के लिये, धन का आवंटन उस वर्ष के बजट को संसद की स्वीकृति मिलने पर निश्चय किया जायेगा।

Anti-India Propaganda by Anand Margies Abroad

†2926. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Anand Marg has its ramifications abroad;

(b) if so, the facts thereof;

(c) whether Anand Margies residing abroad are engaged in anti-India propaganda in various countries; and

(d) if so, the action taken by Government to check such activities?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS) : (a) to (c) Under the facade of being engaged in Socio-spiritual and similar work, the organisation mentioned has carried out agitations in a number of countries abroad to criticize India and to mislead local public opinion.

(d) Appropriate action has been taken. This includes dissemination of correct information about Anand Marg, exposing its nefarious character and maintaining vigilance regarding its condemnable activities. Wherever expedient, the Government of the countries concerned have also been provided with the necessary evidence so that appropriate action could be considered by them.

ग्रामों में डाक सुविधाएं

2927. **श्री बाल कृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि देश के प्रत्येक ग्राम में डाक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायें तो डाक तथा तार विभाग की रोजगार क्षमता क्या होगी;

(ख) इस परियोजना का वित्तीय परिव्यय क्या होगा तथा इसे पूरा करने के लिए कितना समय चाहिए; और

(ग) क्या व्यापारिक तथा प्रचार सम्बन्धी पत्र व्यवहार पर, जिन पर इस समय निजी पत्र व्यवहार के बराबर शुल्क लिया जाता है, उप कर लगा कर आवश्यक संसाधन नहीं जुटाये जा सकते ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) देश में 1,11,000 से भी अधिक डाकघर हैं जो लगभग 6,50,000 गांवों को डाक सेवा प्रदान कर रहे हैं। नये डाकघर खोलने के लिए विभाग ने जो मानदंड निर्धारित कर रखे हैं, उनके अनुसार औचित्य सिद्ध होने पर उत्तरोत्तर और डाकघर खोले जा रहे हैं। कार्यभार बहुत कम होने के कारण देश के प्रत्येक गांव में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता है।

लगभग 5,48,000 गांवों में रोजाना डाक बांटने की सुविधा दे दी गई है। रोजाना डाक बांटने की सुविधा यथासंभव अधिक से अधिक गांवों में देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त परिवार व्यवस्था परिवार नियोजन के लिए अवरोध

2928. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था परिवार नियोजन के लिए अवरोध रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का सामाजिक स्तर पर संयुक्त परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि भारत में संयुक्त परिवार प्रथा से परिवार नियोजन कार्यक्रम में गतिरोध हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान

2929. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1980 तक विश्व में मलेरिया रोग से लगभग चार लाख मौतें होंगी तथा दो करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में वर्ष 1980 तक यह रोग कहां तक व्याप्त होगा; और

(ग) क्या नए प्रकार के मलेरिया पर न केवल सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली दवाओं का असर नहीं हो रहा है बल्कि उनके और अधिक विषैले होने की आशंका है क्योंकि उन से मस्तिष्क संबंधी रोग पैदा होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह 'नए प्रकार' का मलेरिया नहीं है परन्तु पी० फाल्सीपेरम मच्छरों से होने वाला मलेरिया अधिक विषैला होता है और उससे कभी-कभी मस्तिष्क में विकृति भी आ सकती है।

फरक्का से भागीरथी-हुगली के माध्यम से छोड़े जाने वाले पानी में कमी करना

2930. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागीरथी-हुगली नौचालन जलमार्ग के माध्यम से फरक्का से इस समय छोड़े जा रहे 40,000 क्यूसेक पानी की मात्रा को कम करने पर भारत सहमत हो गया है,

(ख) क्या उच्च ज्वार के मौसम की अवधि भी कम हो गयी है और कम पानी छोड़े जाने से गाद जमा हो जाने का खतरा बढ़ जाएगा, और

(ग) यदि हां, तो नौचालन जलमार्ग को निर्बाध रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां, बंगला देश की ओर से मित्रता और सद्भावना के तौर पर, लेकिन भारत की स्थिति और आवश्यकता के पक्षपात रहित। यह बंगला देश सरकार को बता दिया गया है कि सूखे की अवधि के दौरान 40 हजार क्यूसेक की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज्वार आते हैं और भागीरथी-हुगली नौचालन जलमार्ग में गाद का भय सबसे अधिक होता है।

(ख) मार्च, अप्रैल और मई ज्वार के महीने हैं और कम पानी से गाद का भय रहता है।

(ग) लगातार निगरानी रखी जा रही है और प्रतिकूल अवस्थाओं में गाद का पता लगाने के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा नियमित सर्वेक्षण और संप्रेषण किए जाते हैं। यथासंभव डुबाव बनाए रखने के प्रयत्न में कलकत्ता पत्तन के नौगम्य जलमार्ग में कलकत्ता पत्तन न्यास गहन निकर्षण भी कर रहा है। निकर्षण के अलावा भागीरथी-हुगली पद्धति के सुधार के लिए व्यापक नदी शोध और सुधार कार्य भी कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा किए जा रहे हैं।

बंगलौर टेलीफोन्स की प्रतीक्षा-सूची

2931. **श्री के० लकप्पा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर टेलीफोन्स में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम हैं; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 31-3-1976 को प्रतीक्षा सूची पर 6,993 ग्रावेदकों के नाम दर्ज थे। ग्रो० वाई० टी० के सभी ग्रावेदकों को टेलीफोन दिये जा चुके हैं ग्रौर प्रतीक्षा सूची में कोई नाम नहीं है।

(ख) एक्सचेंज में क्षमता कम होने के कारण प्रतीक्षा सूची पर दर्ज सभी ग्रावेदकों को टेलीफोन देना संभव नहीं हो सका है। ग्रलबत्ता, वर्ष 1975-76 के दौरान 9,520 नए कनेक्शन दिये गए थे ग्रौर ग्राशा है कि वर्ष 1976-77 के दौरान 5,000 ग्रौर नए कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

दिल्ली में चलते-फिरते डाकघर चालू करना

2932. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में उन क्षेत्रों के लाभार्थ जहां गन्दी बस्तियों के लोगों को पुनर्वासित किया गया है, चलते-फिरते दो डाकघर चालू किए हैं; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) ग्रौर (ख) दिल्ली में हाल ही में तीन चलते-फिरते डाकघर चालू किए गए हैं। ये डाक घर (1) कल्याण 23–11–75 को, (2) यमनोतरी 29–3–76 को ग्रौर बालाजी 29–3–76 को चालू किए थे। इन डाकघरों में मनीग्रार्डर बुक करना, रजिस्ट्री पत्र ग्रौर पार्सल स्वीकार करना डाक टिकट ग्रौर डाक लेखन सामग्री की बिक्री, फ्रैंक मशीन की छाप वाली वस्तुएं ग्रौर डाक प्रमाणपत्र के ग्रन्तर्गत डाक में डाली जाने वाली वस्तुएं स्वीकार की जाती हैं। ये डाकघर सप्ताह के दिनों में ग्रौर रविवारों को जिन-जिन बस्तियों में डाक सेवा प्रदान करते हैं, उनका उल्लेख ग्रनुबंध-क में किया गया है।

विवरण

अनुबन्ध-क

ऐसी बस्तियों के नाम जिनमें चलते-फिरते डाकघरों द्वारा डाक सेवा प्रदान की जाती है :—

डाकघर का नाम	सप्ताह के दिन	रविवारों के दिन
1	2	3
कल्याण	1. नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट	जे० जे० कालोनी नजफगढ़ रोड
	2. मायापुरी फेज I व II	जे० जे० कालोनी, नारायण
	3. जनकपुरी "बी०" ब्लाक	जे० जे० कालोनी, पंखा रोड
	4. जनकपुरी सी०-5"बी०" ब्लाक	जे० जे० कालोनी, उत्तम नगर
यमनोतरी	1. घोन्डा चौक	1. पड़पड़गंज जे० जे० कालोनी
	2. झिलमिल तहरपुर	2. शास्त्री नगर जे० जे० कालोनी
	3. सीमापुरी	
	4. जगतपुरी	

1	2	3
	5. अर्जुन नगर	
	6. खिचड़ीपुर (जे० जे० कालोनी)	
	7. कल्याणपुरी	
बालाजी	1. डी० डी० ए० कालोनी मुनिर्का	1. खानपुर गांव जे० जे० कालोनी
	2. मुनिर्का गांव	2. कालकाजी जे० जे० कालोनी
	3. मालवीय नगर-एक्सटेंशन	3. गढ़ी गांव जे० जे० कालनी
	4. मदनगिर	4. तिगुडी गांव जे० जे० कालोनी
	5. दक्षिणपुरी जे० जे० कालोनी	
	6. सफदरजंग इन्क्लेव शापिंग सेंटर	

हरियाणा में चलते-फिरते डाकघरों की सुविधाएं

2933. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में चलते-फिरते डाकघर की सुविधा आरंभ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा इस समय हरियाणा राज्य में ऐसे डाकघर कहां-कहां कार्य कर रहे हैं?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :(क) हरियाणा राज्य में साइकिलों पर चलते-फिरते देहाती डाकघरों की सुविधाएं दे दी गई हैं।

(ख) ऐसे तीन देहाती चलते-फिरते डाकघर नीचे लिखे स्थानों पर खोले गए हैं :—

1. झवेला ।

2. दुलेहड़ा, और

3. टुम्बाहेड़ी

देश में डाक्टर

2934. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1975 तक देश में, राज्यवार, बेरोज़गार डाक्टरों की संख्या कितनी थी;

(ख) कितने डाक्टर भारत सरकार से अनुमति लेकर डाक्टरी व्यवसाय करने के लिए विदेशों में गए हैं; और

(ग) वर्ष 1975 और 1976 में सरकार ने कितने डाक्टरों के लिए विदेशों में उच्चतर प्रशिक्षण के लिए अवसरों और सुविधाओं की व्यवस्था की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :(क) 31 दिसम्बर, 1975 को रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज आयुर्विज्ञान के स्नातकों और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–10737/76)**

(ख) और (ग) इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी 1975 में भारत सरकार ने द्विपक्षीय आधार पर और भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन विदेशों में नियुक्त करने के लिए 1,733 डाक्टरों का चयन किया। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने 1975 में विदेशों में उच्चतर अध्ययन/रोज़गार के लिए 2,316 डाक्टरों को "उत्तमता (गुड-स्टेंडिंग) प्रमाणपत्र" जारी किए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन/कोलम्बो योजना के अधीन तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई छात्रवृत्ति/शिक्षा वृत्ति की विभिन्न योजनाओं के अधीन 1975 में 104 डाक्टरों को उच्चतर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन/कोलम्बो योजना के अधीन 29 अप्रैल, 1975 तक 13 डाक्टरों को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया है।

युवकों के स्वयंसेवी दल द्वारा परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाया जाना

2935. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों के "नेशनलिस्ट" नामक एक स्वयंसेवी दल ने समाज के कमज़ोर वर्गों में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अनूठी योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्वयंसेवी दल को सरकार ने क्या सहयोग दिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) और (ख) "नेशनलिस्ट" नामक नवयुवकों के एक स्वयंसेवी दल ने श्री अजीत सिंह चड्ढा की अध्यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकरण की पुनर्वासित बस्तियों के निवासियों के बीच परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने का एक कार्यक्रम चलाया है। इस योजना के अंतर्गत इस संगठन का विचार है कि प्रत्येक बस्ती में कुछेक मकान बना कर उन पात्र निवासियों को दान स्वरूप दिए जाएं जो परिवार नियोजन कार्यक्रम में सरकार को सहयोग देते हैं। इस कार्यक्रम को फिलहाल शकुरपुर पुनर्वासित बस्ती में ही आरंभ किया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संगठन को मकान बनाने के लिए कुछ प्लाट दे कर परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए इस योजना में अपना सहयोग प्रदान किया है। मकान बन जाने के पश्चात् पुनर्वासित बस्तियों में रहने वाले केवल उन्हीं व्यक्तियों को ये प्लाट और उन पर बने मकान दिए जाएंगे जो इन प्लाटों को लेने के लिए अन्यथा पात्र होंगे बशर्ते कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम में सरकार के साथ सहयोग करें।

(2) दिल्ली प्रशासन ने स्पीकरों और कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की जिन्होंने प्रेरणा की विधि को समझाया। इण्डियन रेड क्रास सोसायटी (दिल्ली शाखा) को 6 अप्रैल, 1976 से 11 अप्रैल, 1976 तक शकुरपुर क्षेत्र में नसबंदी शिविर का आयोजन करने के लिए एक सर्जिकल टीम दे दी गई।

बम्बई में तस्करी के सम्बन्ध में पकड़े गये राजनयिक कर्मचारी

2936. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में तस्करी की गतिविधियों में रत होने के कारण कुछ राजनयिक कर्मचारियों को बम्बई में पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

बिहार में डाकघर/टेलीफोन एक्सचेंज/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2937. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में अन्य राज्यों की, जनसंख्या-वार, तुलना में डाकघरों/टेलीफोन एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कम है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976 में इस राज्य के विभिन्न भागों में कितने नए डाकघर/टेलीफोन एक्सचेंजों/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जहां तक आबादी के हिसाब से सार्वजनिक टेलीफोन घरों का प्रश्न है, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या बिहार से कम है। जहां तक आबादी के मुताबिक टेलीफोन एक्सचेंजों का संबंध है, उत्तर प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में बिहार की अपेक्षा कम संख्या में टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

आबादी के अनुसार इस राज्य में दूसरे राज्यों के अपेक्षाकृत कम डाकघर हैं।

(ख) बिहार राज्य में वर्ष 1976–77 के दौरान जितनी संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है, उसका जिलेवार उल्लेख अनुबंध में कर दिया गया है। वर्ष 1976–77 में बिहार राज्य में करीब दस नए टेलोफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, टेलीफोन की मांग पूरी करने के लिए मौजूदा एक्सचेंज का विस्तार किया जाएगा।

1–1–1976 से 31–3–1976 तक 11 डाकघर खोले गए हैं। 31–12–76 तक 12 और डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

बिहार सर्किल में वर्ष 1976–77 के दौरान जितने लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है, उनकी जिलेवार संख्या प्रदर्शित करने वाला अनुबंध :

जिले का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या	जिले का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
1. बेगूसराय	2	4. दरभंगा	4
2. भागलपुर	5	5. धनबाद	3
3. भोजपुर	2	6. पूर्वी चम्पारन	2

जिले का नाम	सार्वजनिक टेलिफोन घरों की संख्या	जिले का नाम	सार्वजनिक टेलिफोन घरों की संख्या
7. गया	2	19. पूर्णियां	8
8. गिरीडीह	4	20. रांची	5
9. गोपालगंज	2	21. रोहतास	3
10. हजारीबाग	1	22. सहरसा	3
11. कटिहार	4	23. समस्तीपुर	2
12. मुंगेर	4	24. संथाल परगना	14
13. मधुबनी	2	25. सारन	1
14. मुजफ्फरपुर	5	26. सीतामड़ी	2
15. नालंदा	1	27. सिंहभूमि	8
16. नवाबदा	1	28. सिवान	3
17. पलापू	9	29. वैशाली	3
18. पटना	3	30. पश्चिमी चम्पारन	3
		योग	111

Expenditure on E.S.I. Scheme

2938. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the Employees' State Insurance Scheme in 1965 and in 1974-75, respectively;

(b) the number of workers covered under the scheme in 1965 and at present; and

(c) whether the workers are not being provided adequate medical facilities under the scheme ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information :—

(a)

	1964-65	1974-75
(*i*) Medical Benefit	9,37,46,537	32,03,24,947
(*ii*) Cash Benefit	6,35,80,663	19,88,74,388
(*iii*) Administrative Expenses	1,87,63,568	6,60,68,97 6

(b) (*i*) 28·80 lakh employees (as on 31-3-1965)

(*ii*) 53·36 lakh employees (as on 31-3-1976) (provisional)

(c) The workers are being provided adequate medical facilities under the Sceme. The quality of medical care has appreciably improved during this period. The per capita expenditure on Medical Benefit has also progressively increased from Rs. 35·31 in 1964-65 to Rs. 73·87 in 1974-75.

Anti-India Propaganda by U.S.A.

†2939. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether U.S.A. has been indulging in anti-India propaganda since the proclamation of Emergency in the country and if so, the action being taken by the Indian Ambassador there in protest thereof; and

(b) the steps taken in this direction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS) : (a) and (b) The U.S. State Department has confirmed that the United States policy is of refraining from public comments on our internal developments and situation. As for the distorted and inaccurate reporting in a section of the U.S. media, a vigorous corrective effort has been and is being made on a continuing basis by the Indian Ambassador and the Indian Missions in the United States with a view to project the correct picture of India.

Research and Development of Roads

2940. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by the Government on research and development of roads during the last three years and the achievements thereof;

(b) whether the department has utilised the locally available material for roads construction work; and

(c) if so, where and in what form ?

THE DEPUTY MINISTER, IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) The draft 5th Plan includes a provision of Rs. 5·00 crores for Research Development under the Central Sector Roads Programme. However, owing to financial limitations, no provision for Research Development could be made as part of the 5th Plan Central Sector Roads Programme during 1974-75 and 1975-76. A provision of Rs. 20·00 lakhs has, however, been made for this purpose during 1976-77. Schemes to be taken up against the provision in the draft Fifth Plan subject to availability of funds year to year are indicated in the attached statement at Annexure I. **[Placed in library. See. No. L. T.-10738/76].** Besides the 5th Plan, some research schemes are also financed from the Central Road Fund. Schemes costing Rs. 79·18 lakhs were approved from this source from 1-4-69 so far as indicated in Annexure II. **[Placed in library. See. No. L. T.-10738/76].** These schemes are in various stages of progress. According to the available information, against these schemes, expenditure amounting to Rs. 11·76 lakhs is reported to have been incurred during the last three years.

(b) and (c) Locally available materials like moorum, gravel, kankar, laterite, dhandla, stone aggregate etc. have been used in the construction of sub-bases and bases of pavements on National Highways for which the Central Government is responsible in different parts of the country. Besides this, local soils modified with the addition of cement, lime or lime-fly ash to improve their strength characteristic are also used. For utilisation of these materials on scientific basis, spofications laying down the physical requirements, manner of construction etc. have been prepared and adopted for construction of roads.

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के पास मोटर गाड़ियां

2941. **श्री टुना उरांव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के पास श्रेणी-वार कुल कितनी-कितनी मोटर गाड़ियां रही हैं ;

(ख) इस यूनिट में प्रति कर्मचारी कार्यकुशलता वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना नीचे दी गयी है :

	लीलैण्ड कोमेट्स	टाटा	ट्रैक्टर ट्रेलर	टिप्पर्स
1973-74	210	6	3	3
1974-75 .	210	6	3	3
1975-76 . . .	196	6	3	3

इसके अतिरिक्त, कंपनी अनन्य रूप से भारतीय खाद्य निगम की ओर से बंबई और कांडला में खाद्यान्न तथा उर्वरक इत्यादि ढोने के लिए सात विभिन्न मेक के 134 उपहार-वाहनों को चला रही है।

(ख) से (घ) निगम ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

जल संसाधनों के विकास के बारे में नेपाल के साथ सहयोग

2942. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधनों के विकास के बारे में नेपाल के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जनवरी 1976 में विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा विद्युत् उत्पादन के क्षेत्रों में दोनों देशों के हित के लिए नदी-जल की विशाल क्षमता का संयुक्त रूप से प्रयोग करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ था। महाकाली नदी के पंचेश्वर बांध तथा सप्तो बाढ़ नियंत्रण योजना की संयुक्त जांच करने से संबंधित कार्यक्रम तैयार करने के लिए अधिकारी स्तर पर नेपाल सरकार से और आगे बात हुई है।

काम करने के घंटे कम करना

2943. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हाल में किए गए अध्ययन में उत्पादन बढ़ाने के लिए काम के घंटे कम करने का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अध्ययन, केवल उद्योगीकरण किए हुए देशों—यूरोप के अधिकतर देश और आस्ट्रेलिया, कैनेडा, जापान, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्यों में हाल ही के वर्षों में कार्य के घन्टों में कमी की प्रवृत्तियों की मुख्य रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

अग्निगुंडला स्थित लीड कंसेंट्रेट संयंत्र की क्षमता दुगुनी करना

2944. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडला स्थित लीड कंसेंट्रेट संयंत्र की क्षमता दुगुनी करने के लिए सितम्बर, 1975 में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसरण में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) व (ख) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में अग्निगुण्डला के सीसा सान्द्रक संयंत्र की क्षमता दुगुनी करने के लिए एक योजना तैयार की है; जो विचाराधीन है।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा, 1974-75

इस्पात तथा खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-10726/76]

तमिलनाडु मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम तथा बम्बई मोटरयान कर (गुजरात दूसरा संशोधन) अधिनियम

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(2) तमिलनाडु राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 3) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-10727/76]

(3) गुजरात राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बम्बई मोटरयान कर (गुजरात दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 7) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10728/76]

मजदूरी संदाय (खान) दूसरा संशोधन नियम तथा कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) योजना

श्रम मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(4) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजदूरी संदाय (खान) दूसरा संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 426 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10729/76]

(5) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 465 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-10730/76]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

218वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं सीमा शुल्क—'स्वर्ण का अवैध आयात' के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 11 अप्रत्यक्ष कर के पैराग्राफ 11 पर लोक लेखा समिति का 208वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

102वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर प्राक्कलन समिति का 102वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

88वां, 86वां तथा 87वां प्रतिवेदन

श्री नवलकिशोर शर्मा (दोसा) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का 88वां प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड पर समिति के 66वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 86वां प्रतिवेदन।

(3) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड पर समिति के 63वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 87वां प्रतिवेदन।

अनुदानों की मांगें, 1976-77

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के लिये अनुदानों की मांगों पर आगे विचार किया जायेगा।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : सर्व प्रथम मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। यह हर्ष का विषय है कि इस वाद-विवाद में लगभग 40 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है जिनमें सदन की बहुत सी महिला सदस्या भी सम्मिलित हैं। जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है मेरे विचार से बड़े परिवार का भार महिलाओं पर ही अधिक पड़ता है तथा उन्हीं को अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है।

मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके द्वारा उठाये गये प्रत्येक प्रश्न ों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा। स्वास्थ्य राज्यों का विषय है तथा इस कार्य के लिये निर्धारित अधिकांश धनराशि राज्यों के पास ही है। पांचवी योजना में इस कार्य के लिए 796 करोड़ रुपयों की राशि की व्यवस्था की गई जिसमें से 543 करोड़ रुपयों की राशि राज्यों के पास है। अतः इस कार्य को सफल बनाने के लिये राज्यों का सहयोग अनिवार्य है।

मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि गत वर्ष हमने कई महत्वपूर्ण अभियान चलाये जिनमें से 6 प्रमुख हैं अर्थात् राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तीन स्तरीय आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन, चिकित्सा शिक्षा को नया रूप देना, खाद्य अपमिश्रण निवारण, भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा छूत की बीमारियां, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में मैं अंत में कुछ कहना चाहूंगा। पहले मैं कुछ अन्य बातों का उल्लेख करना चाहूंगा।

वास्तव में यह शिकायत उचित ही है कि स्वास्थ्य सेवाएं नगरों में ही उपलब्ध हैं जबकि 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध

कराने के लिये पंच वर्षीय योजना में पहली बार प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह सेवा तीन स्तरों पर उपलब्ध होगी। पहला स्तर सामुदायिक कार्यकर्ताओं का है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक ग्रामसेवक आदि आते हैं। इन व्यक्तियों को पहली बार हमारी प्रारम्भिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है। इन व्यक्तियों को साधारण प्रशिक्षण दिया जायेगा।

दूसरे स्तर पर बहुउद्देश्यीय कर्मचारी होंगे। पहले इनको एक ही कार्य निष्पादित करना होता था किन्तु अब उन्हें कई कार्यों के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सहायकों (हेल्थ एसिस्टेंट) का एक नया केडर बनाया जायेगा तथा उन्हें 24 महीनों का पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा। इसमें वर्तमान कर्मचारियों में से जिन को भर्ती किया जायेगा उन्हें 6 महीने प्रशिक्षण दिया जायेगा। स्वास्थ्य सहायकों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों से किया जायेगा तथा उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्हें उप-केद्रों में नियुक्त किया जायेगा तथा प्रत्येक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र में 6 से 8 तक उप-केद्र हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि पहली बार 95 से 96 प्रतिशत ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं, हमने प्रत्येक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये प्रतिवर्ष 12,000 रूपये दिये हैं तथा प्रत्येक उप-केद्रों को 2,000 रुपये दिये हैं।

दूसरे ही स्तर पर तहसील, तालुक और जिला अस्पताल आते हैं। उन अस्पतालों में पहले स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों से भेजे गये मामले आते हैं। उसके बाद बड़े-बड़े अस्पताल, तथा मेडिकल कालेज आते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य सेवा के तीन स्तर होंगे।

आदिवासी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिये विशेष नियम हैं। इन क्षत्रों में 25,000 की जनसंख्या के लिये एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा जबकि सामान्यतः उसके लिये 80,000—1,00,000 की जनसंख्या होनी चाहिये।

मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि दूसरे 4,000 प्रा० स्वा० केन्द्रों में दो या दो से अधिक डाक्टर हैं और 1,000 केन्द्रों में एक-एक डाक्टर हैं। इनमें डाक्टरों के पदों को भरा जा रहा है। अतः हम ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

जहां तक हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली का सम्बन्ध है वह बहुत अच्छी है तथा उसने ऐसे अनेक डाक्टर उत्पन्न किये हैं। जिन्होंने देश में तथा ब्रिटेन और अमरीका जैसे विकसित देशों में भी नाम पैदा किया है। अतः शिक्षा प्रणाली मूलतः अच्छी है किन्तु उसमें कुछ त्रुटियां हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि चिकित्सा और उपचार पर ही बल दिया जाता है, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान नहीं दिया जाता।

हमारे डाक्टरों का प्रशिक्षण शहरी क्षेत्रों के अनुरूप किया गया है। जब ये डाक्टर गांवों में जाते हैं तो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की दृष्टि से मैंने हाल ही में भारत के सभी चिकित्सा कालेजों के प्रधानाचार्यों का एक सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन में कई अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया था। इसमें एक वक्तव्य दिया गया था। यदि उस का पालन किया जाए तो उससे हमारी पद्धति में अत्यधिक सुधार होगा।

प्रतिभा पलायन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरा मत यह है कि जब तक हम इन डाक्टरों को काम नहीं दे पाएंगे तब तक उन्हें यहां जबरदस्ती बेकार बैठाने से कोई लाभ नहीं होगा। अब हमारे रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं और हम यह महसूस करते हैं कि एक नई दिशा की आवश्यकता है और राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड उच्च स्तर की परीक्षाएं ले रहा है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली का अधिक विकास करेंगे जिससे हमारे लोगों को कुछ अतिविशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

कुछ सदस्यों ने खाद्य अपमिश्रण निवारण का उल्लख किया है। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है। इसलिए हमने नया अधिनियम पास किया है जिसमें सजा की व्यवस्था की गई है। यदि इसे इसी भावना से क्रियान्वित किया जाए तो हम इस बराई को कम करने में सफल हो सकते हैं।

हम देश में प्रयोगशालाएं स्थापित करने वाले हैं। हमने खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं जिससे नमूने लेने की सुविधाएं और उनकी अधिक कुशलतापूर्वक ढंग से तथा बड़े पैमाने पर जांच की जा सके। औषधियों के मामले में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अत्याधिक सावधानी से जांच की जा रही है और मैं इस अधिनियम में संशोधन करने की दृष्टि से इस वर्ष एक विधेयक सदन के समक्ष पेश करूंगा।

नशीली औषधियों के सेवन का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि औषधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नशीली औषधियों के व्यसन को रोकने के लिए सरकार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक श्री सी० गोपालन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर रही है जो देश में विशेष कर छात्र समुदाय में औषधियों के व्यसन की जांच करेगी, औषध व्यसन के उद्देश्य का निर्धारण करेगी, दुरुपयोग की जाने वाली औषधियों का पता लगाएगी। इन औषधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव देगी तथा इस औषध व्यसन का निवारण करने हेतु उचित सिफारिश करेगी और देश में किए जाने वाले पुनर्वास कार्यक्रमों का सुझाव देगी।

जहां तक संचारी रोगों का सम्बन्ध है, इससे राष्ट्र को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन रोगों के विरुद्ध कठोर अभियान जारी है। जहां तक चेचक का सम्बन्ध है, हम इससे पूर्णतः मुक्त हैं और 1 जून 1975 के बाद से चेचक का एक भी मामला नहीं आया है।

यह सच है कि मलेरिया का प्रकोप फिर से हो गया है। हम एक नई नीति अपनाने वाले हैं। यह सच है कि हम मलेरिया का पूरी तरह उन्मूलन नहीं कर पाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बारे में अधिक चिंता है। मैं जेनेवा में आरम्भ होने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा में भारतीय शिष्ट मण्डल के साथ जा रहा हूं। मलेरिया विशेषतया उस सूची में है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करूंगा कि हम इस कार्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या और कितनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

जहां तक कुष्ठ रोग का सम्बन्ध है, वास्तविक समस्या उसका प्रारम्भ में ही पता लगाने की है। यदि हम प्रारम्भिक अवस्था में इस रोग का पता लगा पाएं तो इसका निदान

हो सकता है। बिना किसी प्रकार की विकृति के इसका पूर्णतया इलाज हो सकता है। हमें इस सम्बन्ध में जनमत तैयार करना है और लोगों से अनुरोध करना है कि वे अपनी जांच कराएं। इस सम्बन्ध में जनता में जागृति लाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए और हम इस पर कार्य कर रहे हैं। हमने आगरा में कुष्ठ रोग अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है। हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सम्पर्क स्थापित किया है।]

कुष्ठ रोगियों को ठहराने के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें अन्य लोगों से मिलने नहीं देना चाहिए। कुष्ठ रोगियों की भी नसबन्दी की जानी चाहिए ताकि उनके बच्चों को यह रोग न हो जाए। इस प्रकार हम कुष्ठ रोग को समाप्त कर सकते हैं।

फाइलेरिया को रोकने के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। इस वर्ष इसके लिए 85 लाख रुपये रखे गये हैं। आशा है कि इस सम्बन्ध में किसी औषधि की खोज कर ली जाएगी। रति रोगों को रोकने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि शहरों में ये रोग निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

अंधेपन को रोकने का काम भी हमने अपने हाथ में लिया है तथा यह राष्ट्रीय स्तर पर किया जायेगा हम इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। एक बात जो अत्यन्त आवश्यक है वह है सफाई। यह कार्य एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसे हमें सामूहिक रूप में लेना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों में गन्दगी करने से बचना चाहिए।

जहां तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का संबंध है पहली बार उचित परिप्रेक्ष्य में जन-संख्या नीति तैयार की गई है जो पहले कभी नहीं की गई थी। विश्व में संभवतः हमारा देश प्रथम है जिसने कि समेकित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की है। सुसंगत और विवेकपूर्ण योजना के आर्थिक विकास के लिए बुद्धिसंगत जनसंख्या नीति पर्यपेक्षित है और इसलिए हमने जनसंख्या और परिवार नियोजन को आर्थिक विकास के विस्तृत ढांचे में लाने का प्रयास किया है।

जहां तक परिवार नियोजन का संबंध है, हमारी नीति परिवार विरोधी या बालक विरोधी नहीं है। हम तो केवल यही चाहते हैं कि इस देश में पैदा होने वाले सभी बच्चों को शारीरिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक सभी सामग्री प्राप्त हों जो कि मानव व्यक्तित्व के विकास के लिये अत्यावश्यक हैं। इसी कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम के एक अंग के रूप में हम संतान विहीन दम्पत्तियों को बच्चे प्राप्त करने में सहायता देते हैं। यह बाल वर्ष है और यह नीति बालक समर्थक और परिवार समर्थक है। लेकिन हम चाहते हैं कि परिवार ओजस्वी हो और प्रसन्न हो। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को प्रसूति और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम परिवार के लिए सामान्य पौष्टिक उपादानों के साथ जोड़ा है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का महत्वपूर्ण अंग विवाह योग्य आयु बढ़ाना है। न केवल विवाह की आयु ही बढ़ाई जा रही है बल्कि इसका उल्लंघन पहली बार हस्तक्षेपीय अपराध घोषित किया जा रहा है। किन्तु चूंकि हम गांवों में रहने वाले किसी व्यक्ति को अकारण तंग नहीं करना चाहते इसलिए हमने यह उपबंध किया है कि इसके उल्लंघन को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद के नीचे के अधिकारी द्वारा हस्तक्षेपीय अपराध सिद्ध नहीं किया जायगा।

विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बनाने के बारे में बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है। हमने इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और विवाहों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

मैं परिवार नियोजन में राज्यों की भूमिका को बार-बार दोहराता आ रहा हूं क्योंकि उन्हें यह महसूस करना है कि यदि उन्होंने अपने राज्यों में कदम नहीं उठाये तो अन्ततः उन्हें ही हानि होगी। इसलिए वहां यह कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है और परिवार नियोजन में कार्यसम्पादन के आधार पर उन्हें 8 प्रतिशत योजना सहायता दी जायेगी।

दूसरी दिलचस्प बात यह है कि हम पहली बार ग्रुप प्रोत्साहन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अनेक सदस्यों ने स्वैच्छिक संगठनों के महत्व का उल्लेख किया है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक जनता सहायक नहीं बनेगी सरकारी प्रयास सफल नहीं होंगे और इसीलिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से जनता ऐसे कार्यों में सहायक बन सकती है।

शिक्षा पद्धति, विशेषतः नारी शिक्षा का प्रजनन क्षमता से सीधा सम्पर्क है। अतः मैं शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाये।

जहां तक प्रोत्साहन का सम्बन्ध है, हम सभी माध्यमों, रेडियो, टेलीवीजन और प्रेस तथा फिल्मों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त, हम पहली बार ग्रामीण साधनों जैसे, लोक गायकों और चारण भाटों का भी उपयोग कर रहे हैं।

20 वर्षों में परिवार नियोजन पर बहुत अधिक धन खर्च किया गया है। काफी काम भी किया गया है और जागृति भी पैदा हुई है। फिर भी हम प्रबोधन प्रक्रिया से सन्तुष्ट नहीं हैं। अतः हमने पहले की अपेक्षा नई नीति में अधिक कल्पनाशील और सघन प्रबोधन प्रणाली की व्यवस्था की है।

जहां तक अनिवार्य नसबन्दी के प्रश्न का संवंध है, हम इस मामले की जटिलता और संवेदनशीलता से पूर्णतः अवगत हैं। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि कम से कम अभी इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय कानून नहीं बनाया जायेगा। लेकिन हमने यह विकल्प रखा है कि अन्ततोगत्वा यदि राष्ट्र के हित में कुछ किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए।

डा० वी० के० आर० वी० राव : क्या केन्द्र ने अपने आपको इस बारे में संतुष्ट कर लिया है कि राज्यों के पास अपेक्षित ढांचा है ?

श्री भागवत झा आज़ाद : यदि कुछ राज्य नसबन्दी को अनिवार्य बनाना चाहते हैं, तथा आप उसे अनिवार्य नहीं बना रहे हैं, तो आप भला उन्हें मना क्यों नहीं करते हैं ?

डा० कर्ण सिंह : हमारे मना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई राज्य इसे करना चाहता है तथा उसके पास इसके लिए अपेक्षित आधारभूत ढांचा है तो हम उसे ऐसा करने से रोकेंगे नहीं। अतः जब हम इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय विधान नहीं बना रहे हैं तो हमने उन राज्यों से अनुरोध किया है कि वह यदि उचित समझें, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते हैं।

चर्चा के दौरान दिल्ली के बारे में बहुत से प्रश्न उठाये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा न ही

उप-राज्यपाल द्वारा भी यही कहा गया है कि उसे कोई शिकायत नहीं मिली है। मैं सदन के समक्ष यह स्पष्ट कर दूं कि यदि भारत सरकार को कोई शिकायत इस सबन्ध में प्राप्त होती है तो गृह मंत्रालय द्वारा उस पर अपेक्षित कार्यवाही कर दी जायेगी। यदि माननीय सदस्यों को किसी विशेष परिपत्र की जानकारी है तो उसे वह मेरे नोटिस में लाये। मैं उसकी जांच करूंगा। परन्तु यहां मैं इतना अवश्य स्पष्ट कर दूं कि जब भी लोगों को किसी रुढ़िबद्ध रास्ते से हटाकर किसी नई दिशा की ओर उनका मार्गदर्शन करना पड़ता है तो उसमें कुछ कठिनाई भी आती है तथा तनाव भी पैदा होता है।

हमें धैर्यपूर्वक इस स्थिति का सामना करना होता है। हमें परिपक्वता से तथा अच्छी तरह सोच समझ कर, तथा इस समस्या की गंभीरता को दष्टिगत रखते हुए ही इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने चाहिएं। इसके बावजूद भी यदि किसी को कोई उचित कठिनाई होगी तो हम उस पर पूर्णतया सहानुभूतिपूर्वक ढंग से विचार करेंगे। राज्य सरकारें भी इस ओर उचित ध्यान देंगी। मैं आपको यह आश्वासन दे दूं कि स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय विशेष रूप से सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायेगा। मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दूं हम कुछ ऐसे उपायों पर विचार कर रहे हैं जिसके अनुसार पुरुषों तथा स्त्रियों की नसबन्दी कुछ ऐसे ढंग से की जाये जोकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फिर से सन्तानोत्पति के योग्य बनाया जा सके। हमें आशा है कि जब राष्ट्र हमारी यह जनसंख्या नीति मान लेगा तो वर्ष 1984 तक हमारी जनसंख्या की जन्म दर एक हजार के पीछे 25 रह जायेगी।

मुझे आशा है कि सदन के सदस्य लोगों को अपेक्षित शिक्षा दे कर, इस कार्य में सरकार को अपना पूर्ण समर्थन तथा सहयोग देंगे। विभिन्न सदस्यों द्वारा कुछ ऐसी शंकायें भी प्रकट की गई हैं जिनके लिए मैं केवल उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि वह अफवाहों से सावधान रहें। माननीय मुस्लिम सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में मैं एक बार फिर यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा अभी इसके बारे में कोई अनिवार्य केन्द्रीय विधान बनाने का विचार नहीं है। राज्य इसके बारे में जो भी करना चाहें, उनके मार्ग में केन्द्र कोई रोड़ा नहीं अटकायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 3 से 8 तथा 11 से 41 तक को सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा वे अस्वीकृत हुये।

Cut Motions Nos. 3 to 8 and 11 to 41 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of Ministry of Health and Family Planning were put and adopted.

(रुपयों में)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
46.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय .	57,68,000	—
47.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	73,46,08,000	36,11,83,000
48.	परिवार नियोजन . .	63,52,42,000	8,33,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

ऊर्जा मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सदन द्वारा ऊर्जा मंत्रालय से सम्बद्ध मांग संख्या 29 से 31 तक पर विचार किया जायेगा जिसके लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। जो सदस्य सदन में उपस्थित हैं तथा अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह उनकी संख्या देकर मुझे भेज दें। ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत किये गये ही समझा जायेगा ।

ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)	
29.	ऊर्जा मंत्रालय	44,35,000	—
30.	विद्युत् विकास	45,99,05,000	91,00,50,000
31.	कोयला और लिग्नाइट	18,62,20,000	2,28,95,01,000

श्री विजय मोदक (हुगली) : सम्भवत: आज पहली बार संसद में उनके मंत्रालय की मांगों पर विचार किया जा रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*

मंत्री महोदय को अपने मंत्रालय के कार्य सम्पादन के बारे में बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन उनकी यह प्रसन्नता नितान्त अनुचित है क्योंकि इससे देश में बिजली की वास्तविक स्थिति का औचित्य नहीं है। यद्यपि विद्युत् की स्थापित क्षमता बढ़ रही है लेकिन संकट दूर होने का कोई चिह्न नहीं है। सरकारी आंकड़ों में बिजली की जितनी वृद्धि दिखाई गई है उसका औचित्य बार-बार बिजली खराब होने से समाप्त हो जाता है जिससे देश में भारी हानि हो रही है।

पश्चिम बंगाल में विद्युत् की भारी कमी है यद्यपि 1976-77 के लिए कुल घोषित स्थापित क्षमता का अनुमान 131.9 करोड़ किलोवाट लगाया गया है। लेकिन वास्तविक उत्पादन क्षमता 79.2 करोड़ किलोवाट है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 121.2 करोड़ किलोवाट की अनुमानित मांग होने से 42 करोड़ किलोवाट की कमी होगी।

विद्युत् संकट का एक कारण मशीनों में खराबी आना है और उनकी मरम्मत के लिए विदेशों पर निर्भर रहना है। सरकार की अत्यन्त चापलूसी प्रवृत्ति उस समय दिखाई दी थी जब कि ब्रिटिश स्वामित्व वाली कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को भारी मुनाफा कमाने की अनुमति दी गई थी इस कम्पनी को मुआवजा दिए बिना इसका राष्ट्रीयकरण करने के बजाये सरकार ने हाल में इसे अपने व्यापार का विस्तार करने की अनुमति दी और इसे यह आश्वासन दिया कि इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। जब तक यह नीति चलती रहेगी देश में विद्युत् संकट चालू रहेगा।

जहां तक कोयला उद्योग का सम्बन्ध है सरकार कोल इण्डिया लिमिटेड के कार्य सम्पादन के बारे में लम्बे दावे कर रही है। लेकिन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी, द्वारा तैयार किए गए बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों से पता चलता है कि उपभोक्ताओं ने खेपों के कम तोलने, कोयले में रेत मिलाने और घटिया किस्म का कोयला सप्लाई करने के बारे में शिकायतें की है। कोयले की यह मांग मन्दी के कारण कम होती जा रही है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने पहले ही 40 हजार कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया है। इस संगठन में भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों का प्रमुख प्रभुत्व है। नये चैयरमैन द्वारा पद भार सम्भालने के बाद से यह कम्पनी सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों का शरणस्थल बन गई है। वहां भर्ती और पदोन्नति के मामले में भारी भ्रष्टाचार और पक्षपात चल रहा है। समाज विरोधी तत्वों का उपयोग तो वहां सामान्य बात हो गई है।

बिसरामपुर कोयला खान (मध्य प्रदेश) के प्रबन्धकों ने वहां लगभग 15 समाज-विरोधी तत्वों की अवैध रूप से और रोजगार कार्यालय को सूचना दिए बिना भर्ती की। कोयला खानों में कर्मचारियों को आरोप पत्र दिया जाना और उनकी मुअत्तली तो सामान्य सी बात हो गई है। उत्पादन बढ़ाने का अभियान कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान दिए बिना चलाया गया है। बहुत सी खानों की तो वर्ष में एक बार भी जांच नहीं की जाती है।

खानों में दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण खराब किस्म की लकड़ी के तख्ते भी हैं। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत को समाप्त किया जाना चाहिए।

बिजली सप्लाई प्राधिकरण के कर्मचारियों की मजदूरी का प्रश्न लम्बे समय से निलम्बित पड़ा है। मजदूरी मार्गदर्शन सिद्धान्त समिति द्वारा की गई सिफारिशें लम्बे समय से लागू नहीं की गई हैं। इस पहलू की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कोटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के कर्मचारियों की मांगों पर न तो विचार किया गया है और न ही उन्हें न्यायाधिकरण को सौंपा गया है। बड़े-बड़े कार्मिक संघ नेताओं को मनमाने ढंग से मुअत्तिल किया जा रहा है या बर्खास्त किया जा रहा है। अपनी शान दिखाने के बजाय सरकार को लोगों की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता की ओर ध्यान देना चाहिए। अत: मैं मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूँ।

ऊर्जा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
29	1.	श्री भोगेन्द्र झा	कोसी नदी पर बराह क्षेत्र के निकट 18 लाख किलोवाट सबसे सस्ती पन बिजली उत्पन्न करने के लिये एक ऊंचा बांध बनाने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
,,	2.	श्री भोगेन्द्र झा	देश के सभी गांवों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित करने में असफलता।	,, राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

1	2	3	4	5
29	4. श्री भोगेन्द्र झा :		उत्तर बिहार की बिजली की प्रति व्यक्ति खपत अखिल भारतीय औसत खपत का 1/7 और शेष बिहार का 1/6 रखकर उसके प्रति भेदभाव।	राशि में 100 रुपय घटाये जायें।
,,	5. श्री भोगेन्द्र झा :		उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत शेष बिहार के बराबर करने की शीघ्र आवश्यकता।	,,
,,	6. श्री भोगेन्द्र झा :		बिहार में एक बड़ा तापीय बिजली-घर शीघ्र बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	7. श्री भोगेन्द्र झा :		लघु तथा कुटीर उद्योगों और कृषि के लिये बिजली पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता।	,,
30	8. श्री भोगेन्द्र झा :		बराह के निकट कोसी नदी पर एक बहु-उद्देशीय बांध बना कर 18 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न करने की आवश्यकता।	,,
,,	9. श्री भोगेन्द्र झा :		उत्तर बिहार में बिजली के उत्पादन तथा उसकी खपत को बढ़ाकर पूरे बिहार के स्तर तक लाने की आवश्यकता।	,,
29	11. श्री रामावतार शास्त्री :		बिजली के लोड-शेडिंग को समाप्त करने में विफलता।	राशि घटाकर एक रुपया किया जाये।
,,	12. श्री रामावतार शास्त्री :		ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को लागू करने में असफलता।	,,
,,	13. रामावतार शास्त्री :		कोयला खानों के मुहानों पर कोयले के भारी जमाव को हटाने असफलता।	,,
,,	14. श्री रामावतार शास्त्री :		किसानों एवं छोटे उद्योग चलाने वालों को आवश्यकता के अनुसार बिजली की लगातार सप्लाई करने की आवश्यकता।	,,
,,	15. श्री रामावतार शास्त्री :		बिहार के गांवों में विद्युतीकरण के लिये पर्याप्त आर्थिक सहायता देने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
29	16.	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार की गैर-सरकारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया किया जाये।
,,	17.	श्री रामावतार शास्त्री	कोयले के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद जलाने के कोयले के मूल्यों में समय-समय पर की गई वृद्धि को रोकने में असफलता।	,,
,,	18.	श्री रामावतार शास्त्री	कटिहार में तापीय बिजली-घर बनाने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपये घटाये जायें।
,,	19.	श्री रामावतार शास्त्री	आश्वासनों के बावजूद मुजफ्फरपुर में तापीय बिजली घर बनाने में असफलता।	,,
,,	20.	श्री रामावतार शास्त्री	बड़े पैमाने पर होने वाली बिजली की चोरी रोकने में असफलता।	,,
,,	21.	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	22	श्री रामावतार शास्त्री	गरीब किसानों एवं शहरी जनता को सस्ती दर पर बिजली देने की आवश्यकता।	,,

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : गत दो वर्षों में 30 से 70 प्रतिशत बिजली की कमी रही जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक और कृषि उत्पादन में कमी हुई। सौभाग्य से इस वर्ष स्थिति में सुधार हुआ है। हमें इस सुधार को आगे भी बनाए रखना चाहिए।

सरकार ने सिंचाई और बिजली उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने 2,500 मैगावाट की क्षमता बढ़ाई है और इसके बाद कमी नहीं रहेगी। हमारी बिजली परियोजनाएं कुशलता से काम नहीं कर रहीं हैं। प्रतिवेदन के अनुसार उनकी कुशलता 47 प्रतिशत है। उन्हें 85 या 90 प्रतिशत कुशलता से काम करना चाहिए। कार्यकुशलता को बढ़ाया जाना आवश्यक है जिससे देश को बिजली परियोजनाओं की पूरी क्षमता का लाभ मिल सके।

सबसे बड़ी अड़चन यह है कि बिजली उत्पादन राज्य का विषय है और राज्य बिजली बोर्ड बिजली वितरण का काम करते हैं। उनका कार्य बड़ा ही असन्तोषजनक है। उनके पास वित्त नहीं है। तथा वे राज्य सरकारों से ऋण लेकर अपना काम चलाते हैं और परिणामस्वरूप वे बिजली उत्पादन के लिए खरीदे गए उपकरणों के मूल्य का भुगतान करने में असमर्थ हैं। मन्त्री महोदय, इन बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कुछ करें।

यह प्रसन्नता की बात है कि मन्त्री महोदय पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की पारेषण लाइन के लिए विश्व बैंक से 15 करोड़ डालर लेने में सफल हो गए हैं। यदि राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली को भली प्रकार बनाए रखा जाता है तो सभी क्षेत्रों को बिजली भली प्रकार दी जा सकती है।

बिजली की सप्लाई में विद्यमान असन्तुलन को दूर किया जाए तथा देश भर में हर समय बिजली की सप्लाई बनाए रखी जाए। यह राष्ट्रीय ग्रिड कब तक काम करने लगेगा ? एक सिरे से दूसरे सिरे तक सप्लाई में समानता रखी जानी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना अत्यावश्यक है तथा इसे लागू करने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं।

ग्रामीण विद्युतीकरण अत्यावश्यक है। अभी तक केवल 30 प्रतिशत क्षेत्र का विद्युतीकरण किया गया है। इस काम में तेजी लाया जाना आवश्यक है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सभी गावों में बिजली पहुंचाई जानी चाहिए। यह काम 10 वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए।

इस समय हमारे सामने कोयले के फालतू होने की समस्या है। इस वर्ष हमने 9 करोड़ 80 लाख टन कोयले का उत्पादन किया। यह कहा गया है कि कोयले की किस्म में गिरावट आई है। इसे सुधारा जाए। साथ ही हमें कर्मचारियों की सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो खानें सुरक्षित नहीं हैं और आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है उन्हें अलग कर दिया जाए। इन शब्दों के साथ में मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI K. M. MADHUKAR (Kesaria) : Mr. Deputy Speaker, the shortage of power is a world phenomenon and is linked with world politics, social structure and économic development. This problem should be viewed in proper perspective. The Ministry of Energy is now following any definite policy now-a-days. It is divided into four different wings which have no harmony or coordination with one another.

The achievements in regard to power production as enunciated in the report, are indeed commendable.

It has been stated that 30 per cent villages have been electrified. This percentage is very low and there is no need to accelerate the pace of electrification of villages. There is no definite policy for the electrification of Harijan Colonies.

It has been said that the pace of electrification of rural areas of eastern region is very slow. We do not know what are the reason therefor, who is responsible for it and why action could not be taken against him. There is no policy or scheme for planned development.

It has been reported that the Bombay High has 4 billion tonnes of oil reserves and 2 trillion tonnes of gas and only 9 per cent thereof could be exploited so far and the remainder thereof is lying unused.

Coal is also a source of power production. But coal production has exceeded its consumption in the country. Therefore, in view of the growing requirements of the country there is need to evolve a definite policy in regard to the production and distribution of coal.

Nothing has been done to convert the coal into high-energy fuel. Large quantities of coal are lying at the pitheads of the mines and there is no proposal for setting up thermal power stations. Similarly, no concrete steps have been taken for extraction of oil from coal and for fertilizer production.

It is imperative to accelerate the pace of development of atomic energy. The possibility of power production with the help of thorium etc. should also be explored.

A scheme for large-scale production of gobar gas should be formulated and its network should be spread throughout the country. At least 2 lakh gobar gas plants should be set up in the country to cater to the needs of rural population of the country.

Besides coal and power production, multi-purpose river valley projects should also be brought under the Ministry of Energy. This Ministry should declare a nationals policy in regard to the power production. More stress should be laid on the electrification of backward states. A Thermal power station should be set up in Muzaffarnagar in Bihar. The rivers of North Bihar and Eastern region should be fully exploited for hydel projects. The financial requirement of Bihar Electricity Board should be met.

Tenughat thermal power and Komalkari hydel projects should be implemented expeditiously. An atomic power plant should be set up in Bihar.

SHRI G. S. MISHRA (Chhindwara): This year, coal production has gone up by 90 percent. This year 135 million tonnes of coal has been produced, which is a record. The ash content in coal is also very negligible this year. It is indeed a great achievement.

Nevertheless, the Railways are not being developed adequately to arrange for the transportation of coal from one place to another. This aspect needs to be done into in depth.

The production of power has also gone up by 27 percent. The Hon'ble Minister has set a new record in power production for which he deserves to be congratulated. But the main difficulty is power production is controlled by the State Electricity Boards. The Ministry has no control over it. It is not understood as to why these electricity boards are not brought under the Union Ministry.

Out of the total production of power in the country, 96 percent is thermal power. 30 percent of the villages, in the country have been electrified. It is indeed an achievement. By increasing power production, it will be possible to provide electricity in 50 percent of our villages.

Under the Indian Electricity Act, for increasing power production or forming national grid, generation units, transmission, supply and management etc. can be taken over. If this cannot be done, then at least a holding company should be formed, whith may include all electricity boards in the country. We should take such steps as may ensure full control of the Central Ministry over power generation, transmission, supply etc. If need be, this Act may be suitably amended.

I support the demands for grants of the Ministry of Energy.

डा० के० एल० राव (विजयवाड़ा) : देश में विद्युत विकास के कठिन क्षेत्र में कड़ी मेहनत के लिए मंत्री महोदय तथा उनके मंत्रालय के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। पिछले 25 वर्षों में हमारा बिजली उत्पादन बढ़ा है तथा इस समय हमारी अधिस्थापित क्षमता 220 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन की है। परन्तु यह जितनी होनी चाहिए, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। अगले 20 वर्षों में हमें कम से कम 1000 लाख किलोवाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए हमें 35,000 किलोवाट पन बिजली तथा 10,000 किलोवाट परमाणु बिजली पैदा करनी चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए सरकार द्वारा एकजुट प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य वर्ष के अन्त तक 1500 लाख किलोवाट बिजली पैदा करना होना चाहिए। परन्तु होता यह है कि थोड़ी सी उपलब्ध बिजली भी उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों में नहीं पहुंचती। उत्तरी बिहार की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसकी जनसंख्या 3 करोड़ से भी अधिक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। खेद की बात है कि प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अब प्रश्न उठता है कि बिजली उत्पादन का काम केन्द्र के हाथ में हो अथवा राज्य सरकार के हाथ में। मेरे मत से बिजली उत्पादन का कार्य केन्द्र सरकार के हाथ में ही होना

चाहिए। अनेक राज्यों में बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन, आधुनिक मशीनें आदि उपलब्ध नहीं हैं। और न ही किसी प्रकार का ईंधन मिल पाता है। इसके अतिरिक्त और भी कई कारण हैं जिसके कारण बिजली उत्पादन का कार्य केन्द्र के हाथ में होना चाहिए।

देश में विद्युत विकास के मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन वित्त है। 10 लाख किलोवाट बिजली के उत्पादन पर 350 करोड़ रुपए व्यय होते हैं। राज्य के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना कठिन है। उत्तरी बिहार में दो परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी परन्तु खेद की बात है कि धनाभाव के कारण इन परियोजनाओं को त्याग दिया गया है। उत्तरी बिहार में अधिक से अधिक बिजली घर बनने चाहिए। बिजली घरों का आकार बड़ा होना चाहिए। छोटे बिजलीघर मंहगे पड़ते हैं। यदि बिजलीघर में एक लाख किलोवाट बिजली पैदा नहीं होती तो उत्पादन की दर में वृद्धि होना स्वाभाविक है। देश में 10 लाख किलोवाट की क्षमता वाले 50 बिजलीघर होने चाहिए।

राज्यों में बिजली घरों की स्थापना के बारे में एक होड़ सी लगी हुई है। कुछ राज्यों का कहना है कि बिजलीघरों की स्थापना कोयले के मुहानों के निकट की जानी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है। यह एक मानदन्ड हो सकता है लेकिन मुख्य मानदण्ड जल, भार केन्द्र आदि हैं। बिजली के विकास के लिए हमें तीन प्रकार के कार्य करने होंगे। सबसे पहले छोटे बिजलीघर बनाना। दूसरे, बड़े बिजलीघर बनाना और तीसरे बड़े बिजली एककों की स्थापना करना। यदि हम वास्तविक अर्थों में बिजली विकास के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें दूसरे कदम अर्थात् बड़े बिजलीघर बनाने पर अधिक बल देना होगा। राष्ट्रीय विद्युत नीति में इन सब बातों का समावेश किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्युत उत्पादन का कार्य केन्द्र के हाथों में होना चाहिए। ऐसा करना सरल भी होगा और किफायती भी। ऐसे मामलों के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए एक ही प्राधिकरण होना चाहिए। योजना अन्य क्षेत्रों में तो अच्छा कार्य कर रहा है पर विद्युत क्षेत्र में इसका कार्य ठीक नहीं है। योजना आयोग के कुछ सदस्य अनुभवहीन हैं। बिजलीघरों की स्थापना का कार्य ऊर्जा मंत्रालय के हाथ में दे देना चाहिए। यही मंत्रालय विद्युत की आवश्यकता का अनुमान भी लगाएगा। विद्युत उत्पादन के मामले में पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जानी चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं। पांच वर्षों के अन्दर विद्युत संयन्त्र की स्थापना नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर लोकटक परियोजना पांच वर्षों के अन्दर पूरी हो जानी थी परन्तु भूगर्भीय कारणों से यह कार्य नहीं हो पाया। अगर यह परियोजना सही समय पर पूरी हो जाती तो इससे पूर्वी क्षेत्र को बिजली की सप्लाई हो सकती थी। सलाल तथा बैरा-सिडल परियोजना की भी यही स्थिति रही। यदि हमारा ध्यान तीन, चार या पंचवर्षीय योजनाओं की ओर ही रहता है तो देश में बिजली की और कमी हो जाएगी।

यदि हम देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बिजली की आवश्यकता का निर्माण करने के साथ-साथ, बिजली के उत्पादन के सम्पूर्ण कार्य को ऊर्जा मंत्रालय के अधीन लाना चाहिए।

देश में बिजली सम्बन्धी नीति का निर्माण नहीं किया गया है। बिजली का उत्पादन पांच वर्ष के लिए करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यह तो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसके लिए 10 वर्ष की उत्पादन योजना बनाई जानी चाहिए।

यह कहा गया है कि गत 10 वर्षों में बिजली का रख-रखाव बहुत वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। तथा इसी के फलस्वरूप बिजली का उत्पादन बढ़ा है परन्तु यह कहना गलत है। बिजली के उत्पादन में वृद्धि का कारण यह है कि इसके लिए नई मशीनें लगाई गईं। अब इन मशीनों का अच्छा रख-रखाव किया जाना चाहिए। हमें इस संबध में अपने अधिकारियों को नवीकर पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि विद्युत विज्ञान एक बदलता हुआ विज्ञान है।

देश में हमें ऊर्जा दो संसाधनों से मिलती है। एक व्यापारिक ईंधन है और दूसरा गैर-व्यापारिक ईंधन है। विकसित देशों में 95 प्रतिशत ऊर्जा वाणिज्यिक ईंधन से मिलती है परन्तु हमारे देश में 50 प्रतिशत बिजली का उत्पादन गैर-वाणिज्यिक ईंधन से होता है खेद की बात है हमारे देश में गैर-वाणिज्यिक ईंधन को नष्ट कर दिया जाता है। यदि हम बहुमूल्य लकड़ी के कोयले, गोबर और वनस्पति का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। यदि इस दर से वनस्पति नष्ट की जाती रही तो आगामी वर्षों में 45 प्रतिशत की कमी हो जाएगी और लोगों को हानि उठानी पड़ेगी। हमें लकड़ी का जलाना यथासंभव कम करना चाहिए। हमारे यहां बड़ा तेल भण्डार है। कुछ रुपया लगाकर हम सारी गैस का उपयोग घरेलू काम में कर सकते हैं। कस्बों और नगरों में गैस का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाए।

हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में गैर-वाणिज्यिक उपयोग को 25 प्रतिशत तक घटा दिया जाए। जलाने की लकड़ी, लकड़ी को कोयले के विकल्प के रूप में लिग्नाइट आदि को प्रयोग करने के लिए अनुसंधान किया जाना चाहिए। हमें किसी भी हालत में अपनी वन सम्पत्ति को बचाना चाहिए।

विद्युत के क्षेत्र में हमें अमरीका तथा इंगलैण्ड जैसे कई देशों से सहायता लेनी चाहिए। इंगलैण्ड में विद्युत उत्पादन के लिए अति उत्तम संगठन है। हमें सोवियत संघ में बिजली पैदा करने के प्रचलित तरीकों का भी अध्ययन करना चाहिए।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : (गिरिडीह) : इस समय हमारे यहां 100 लाख टन कोयला खानों के मुहानों पर पड़ा है। 2 वर्ष में कोयले के उत्पादन में 200 लाख टन की वृद्धि हुई है, जो बड़ा ही उल्लेखनीय है। पन बिजली और तापीय बिजली का उत्पादन उच्च स्तर पर है। पिछले कई वर्षों में भारत में इतना अच्छा उत्पादन नहीं हुआ था। परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं हुई है।

सी०एम०पी०डी०आई० को सीधे मंत्रालय के अधीन लाया जाना चाहिए। यह अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श कर रही है और इसने अच्छा कार्य किया है।

इसका यह कारण बताया गया है कि पत्तनों पर उपकरणों को ठीक से संभाला नहीं जाता है। इसीलिए कोयला खानों के मुहानों पर एक करोड़ टन कोयला जमा हुआ पड़ा है। इसके लिए हमें समर नीति अपनानी चाहिए। रानीगंज से निकाला गया कोयला निर्यात किया जाए और अपनी खपत के लिए केवल मुगमा, कूजा और गिरीडिह से निकाला गया कोयला प्रयोग किया जाना चाहिए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की मण्डियों में भी भारतीय कोयले की गुंजाइश है। कोयला खान उद्योग अपनी पुन:संरचना करने के लिए पूरा धन कमा सकता है। इसके लिए हमें कोयले का भारी मात्रा में निर्यात करना चाहिए।

ईंधन नीति सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि 11.70 करोड़ टन गोबर में से आधा गोबर ईंधन के काम आता है। 13.20 करोड़ टन लकड़ी ईंधन के रूप में काम आती है। ईंधन की लकड़ी की मात्रा हर वर्ष 20 से 30 लाख टन बढ़ जाती है। इससे जंगलों को भारी क्षति पहुंचती है। इसलिए मेरे सुझाव हैं कि हमें इसके लिए दोहरी नीति अपनाएं और 'सोफ्ट कोक' को गांवों की तरफ भेजें और सम्भव हो तो राज सहायता भी दें ताकि जंगलों को काटने छांटने से बचाया जा सके जिससे कृषि द्रुत कार्यक्रम को सफलता मिले।

मंत्री महोदय से मेरा सुझाव है कि विपणन संगठन पुनः तैयार किया जाए और इसका ढांचा भी दुबारा बनाया जाए। कोयले का भारी भण्डार जमा हो गया है और कोयला केवल तापीय बिजली घरों, सीमेंट और इस्पात संयंत्रों को ही बेचा जाता है। इसका यह तात्पर्य है कि 150 रुपए मूल्य के उत्पादन किए गए कोयले को उपयोग में लाने के लिए 2000 रुपए पूंजीगत परिव्यय में खर्च करने पड़ते हैं। यह अत्यधिक उपहासास्पद बात प्रतीत होती है। अतः कोयले का भारी मात्रा में निर्यात और घरेलू अर्थव्यवस्था में लगाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। यदि प्रयास किया जाए तो नए अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। विक्रय संवर्द्धन के लिए जोरदार अभियान आरम्भ किया जाना चाहिए।

कोयला खानों के आधुनिकीकरण का भी प्रश्न है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए लेकिन साथ ही हमें आगे भी बढ़ना चाहिए और रोजगार स्तरों तथा अवसरों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

गिरीडीह वर्कशाप की स्थापना वहां की खानों की आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए की गई है। कोयला टबों का निर्माण करना इसका मुख्य कार्यकलाप है। इसलिए गिरीडीह वर्कशाप का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। मैं ऊर्जा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI DAMODAR PANDEY (Hazaribagh) : Sir, I stand to support the demands of the Ministry of Energy.

[SHRI G. VISWANATHAN in the Chair
श्री जी० विश्वनाथन पीठासीन हुए]

Some people believed that after nationalisation of Coal mines these would be destroyed and coal production would be affected. But I am happy to see that there has been substantial increase in the production of coal after nationalisation of coal mines and we have set up a world record by increasing our coal production by ten million tonnes within a span of one year. In the next year we repeated our performance.

It has been complained that Government have increased price of coal by 300 per cent and the quality has also gone down. But infact both the allegations are baseless and incorrect. The average price of coal was about Rs. 40/- per tonne at the time of nationalisation. The existing price is Rs. 65/- per tonne. Despite the chakravarti Commission on the prices of coal, there has been no increase in the prices of soft coke and domestic coal. As regards quality, there is no deterioration in the quality of coal.

We have got huge deposits of coal in our country. But the old coal mines owners, without earing for the interests of the country and this industry drained out good quality of coal and have destroyed the mines.

Fire is raging under the ground in the large area in Jharia for so many years which is due to the carelessness on the part of private coal mine owners. I hope, such things would not be allowed to happen now.

I regret that the conditions of mine workers have not improved even after take over of the mines. Even the drinking water is not available in mines. There are no housing facilities for mine workers. There has not been any improvement in their living condition all these years. This is very serious thing. Government should make early and effective efforts to improve their lot.

In view of the huge stocks of coal lying on the pit heads Government should review its marketing policy. Government should not depend on big consumers like railways and Steel Plants alone but it should pay attention to small consumers also. They are not getting supply of coal because of non-availability of wagons.

The welfare schemes for mine workers sponsored by mines departments and Ministry of Labour should be amalgamated and streamlined. So far as the payment of provident funds dues of the workers is concerned, the workers are facing difficulty in getting payment of their provident fund dues. They have to wait atleast for a year for getting their dues. The workers provident fund scheme should be amalgamated in general provident fund scheme and Government should ensure prompt payment of provident fund dues by simplifying this procedure.

The matter of bonus was raised in the bipartite meeting. The productivity has also increased by 13 per cent. In view of the increase in productivity of the workers, hours should be paid them on the basis of increase in productivity. There should be more workers' participation in the management.

निर्माण और आवास तथा संसद कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : लगता है हम इसे निश्चित समय पर समाप्त नहीं कर पाएंगे । सबकी एसी राय लगती है कि चर्चा दिन भर चले। मंत्री, 6 बजने से 10 मिनट पहले उत्तर देने आएंगे और कल तक अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR (Durg) : The performance of the Ministry had been very good. It has taken necessary steps to increase production. It is for the first time in many years that there were no power cuts in many states.

The four sources of energy in our country are coal, hydro-electricity, nuclear energy and petrol. Besides these there are other sources of energy in which experiments are being made in other countries. In some countries research is going on to generate power from sources hidden underneath the earth. There are also researches on solar energy. The Ministry should study these sources of powers also and exploit them if possible.

In our villages cow dung is still being used as fuel. In order to avoid that 20 per cent of our grazing lands in and around villages should be reserved for forests so that a continuous supply of wood for fuel can be ensured.

Efforts should be made to popularise gobar gas plants in rural areas in a big way. Government should earmark 50 crores of rupees for this purpose.

Although rural electrification has much headway during the recent years, there is great disparity among many States in this regard. While in Haryana every village has been electrified, in Madhya Pradesh and Bihar hardly 16 per cent of the total villages have been electrified as

yet. Government should pay more attention to these backward States. Rural Electrification will give a big boost to the economy of these regions and will also provide much needed employment to the rural population.

Government should ensure that the Ministry of Energy and also Irrigation are provided with necessary funds so that they can implement their projects quickly.

Government should formulate a national fuel policy and a national energy policy as early as possible.

There are transmission losses upto 20 per cent. Government should ensure that these losses are brought to the minimum.

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए एक निश्चित नीति बनाई जानी चाहिए। जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अपना योगदान दें।

उड़ीसा में राज्य के खर्च पर शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त विद्युत का 52 प्रतिशत भाग केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में चला जाता है और शेष भाग राज्य क्षेत्र के उद्योगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। रेंगाली, अपर कोलाबा, लोअर कोलाबा, इन्द्रवती, भीमकुण्ड, बली मेला आदि परियोजनाओं तथा तलचेर स्थित तापीय बिजली परियोजना के लिए 610 करोड़ रुपए व्यय करने का निर्णय किया गया है। यदि ये परियोजनाएं शुरू की जाएं और पूरी की जाएं तो सारे देश में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी और अतिरिक्त बिजली का पड़ौसी राज्यों द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये परियोजनाएं तभी शुरू की जा सकती हैं, जब सरकार सहायता दे जैसा कि उन्होंने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में केन्द्र प्रत्यायोजित योजनाएं शुरू करके किया है। यदि उड़ीसा की योजनाएं केन्द्र प्रत्यायोजित योजनाओं के रूप में शुरू की जाएं तो राज्य पिछड़े जिलों तथा क्षेत्रों के विकास के लिए अल्प संसाधनों का उपयोग कर सकेगा।

14-8-1975 को विद्युत मंत्री तथा श्रम मंत्री की उपस्थिति में बिजली कर्मचारियों और विद्युत बोर्ड के बीच समझौता हुआ था लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। विद्युत बोर्ड को समझौते की क्रियान्विती के लिए निदेश दिया जाना चाहिए।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मंत्री महोदय ने बिजली के वितरण और देश में बिजली उत्पादन पद्धति में सुधार करने के लिए काफी प्रयत्न किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण औद्योगिक विकास दर में सुधार करने की आवश्यकता है। योजना आयोग द्वारा घोषित पिछड़े जिलों तथा क्षेत्रों के विकास के पहलू सहित अन्य पहलुओं पर इन क्षेत्रों में बिजली के वितरण की योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। देश के विकास के लिए उपलब्ध बिजली का सही उपयोग नहीं किया गया है। विद्युत बोर्डों को केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का समान वितरण किया जा सके।

कृषि के विकास के लिए पम्पिंग सैटों को बिजली का दिया जाना आवश्यक है। अतः निर्माणाधीन अनेकों परियोजनाओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कर्नाटक में बिजली उत्पादन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं हमने केन्द्र से विभिन्न परियोजनाओं की पूर्ति के लिए धन की मांग की है।

हाल में सरकार को एक प्रतिवेदन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि कर्नाटक के सर्वांगीण विकास के लिए वहां कोयला आधारित तापीय बिजली घर बनाया जाए। देश के विभिन्न भागों में तापीय बिजली परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं। राज्य में औद्योगीकरण के सर्वांगीण विकास के लिए इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

विभिन्न चरणों में पूरी होने वाली कालिन्दी परियोजना की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। गांवों में पम्पिग सैट लगाने के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं मिल रहा है। मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पूरी-पूरी सहायता करनी चाहिए।

SHRI RAM KANWAR (Tonk) : There is no impact of Emergency on the personnel of Rajasthan Electricity Board and they still behave in arbitrary manner. They do not take care to supply electricity in the rural areas in a proper manner. Not only this, the electricity meters supplied to the farmers are defective, as a result of which they have to suffer. As soon as a meter develops a defect, it should be immediately replaced. Government should pay special attention to the requirements of the farmers in Rajasthan.

A good deal of difficulty is experienced by the farmers in getting an electricity connection. The employees of the Electricity Board complain that they do not have the required matrial for installing an electricity connection. Action should be taken to obviate this difficulty. Priority should be given to small farmers in the matter of providing electricity connections.

The labourers who work under linemen get only a paltry sum of Rs. 200 as their monthly salary. This salary is too insufficient. Their monthly pay should be increased.

There is need to increase the production of power in Rajasthan, to meet the growing demand of the people for power.

The Rajasthan Electricity Board has run out of funds. Government should provide financial assistance to the Board. Rajasthan needs more electricity to meet the requirements of irrigation and industry there.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDESHWAR PRASAD) : The Members have said that if we want to develop rural areas, the pace of rural electrification will have to be accelerated. Our plans have taken this fact into account. On the 15th August, 1947, only 1500 villages had electricity. Whereas by the end of March, 1976, 1,74,079 villages have been electrified.

In the draft 5th Plan a sum of Rs. 1098 ·24 crores has been earmarked for rural electrification. It is hoped that by the end of the 5th Plan 1 lakh, 10 thousand more villages will be electrified and about 15 lakh new tubewells or pumping sets would get electricity.

Special attention is being paid to the backward states in the matter of rural electricfication. The Rural Electrification Corporation allocated more funds to backward states. In order to step up the pace of rural electrification especially in the states which are below the all-India average, the states should allocate adequate funds for this work in addition to the central assistance provided by the Rural Electrification Corporation.

Reference is made to electrification of Harijan colonies. From 4th Plan onwards steps have been taken to provide electricity in these colonies. Special attention is paid to this work during Gandhi Birth Centenary celebrations and a sum of Rs. 4 crores and 50 lakhs is allocated for it. The Chief Ministers have been asked to expedite electrification of Harijan colonies. The Chief Ministers have instructed Electricity Boards to pay special attention to this work. In the area served by Sirsela Cooperative Society in Andhra Pradesh there is hundred percent rural electrification, whereas in the adjoining areas it is not even fifty percent.

The number of cases of thefts of transformers and other goods has gone down considerably. This has resulted in saving of lakhs of rupees. Gram panchayats have helped a lot in this work. We have suggested to the State Governments to take the help of cooperative societies and panchayat's in the matter of rural electrification.

Some Members have referred to electrification of adivasi areas. A sub-plan is being formulated for the development of adivasi areas. Special attention is being paid to the work of electrifications in this sub-plan.

It has been said that distribution of power in rural areas is not satisfactory. Unless transmission and distribution of power is satisfactory, consumers will experience difficulties. A new Member is being added to the Central Electricity Authority to ensure transmission and distribution of power on scientific lines. This Member will also prepare a plan for distribution keeping in view the long-term needs of the country.

There has been a constant demand for creation of a national grid, our transmission lines are very weak. We will have to provide 400 KVA lines. If these lines are installed only then national grid will be useful. The construction of 400 KVA transmission lines has been taken in hand although huge expenditure is involved and there are also technical problem. It is hoped that 400 KVA line from Obra to Sultanpur will be ready by the first half of 1977.

The Central Electricity Authority is being strengthened to remove deficiencies in transmission arrangements. Experts are being appointed to look after this work. An agreement has also been signed with International Development Association under which a sum of 15 crore dollars has become available for the work of construction of high voltage transmission lines.

It has been said that proper attention should be paid for up-keep of our power stations. The Ministry of Energy has constituted an expert committee which has formulated guide lines for the proper functioning of thermal power stations. These guidelines have been communicated to all electricity boards and thermal power stations.

There are remote areas in our country. So it will require huge expenditure for transmission and distribution of power there. If gobar gas plants are used in such areas on a large scale, not only electricity will become available but manure and fuel will also become available.

It has been suggested that the Central Mine Planning and Design Institute should be under the dierct control of the Ministry. This suggestion requires consideration.

Coal India Limited may suffer loss of Rs. 43 lakhs in 1975-76. The main reason for this is that the Chakravarti Committee has not accepted the request of the coal India Ltd. for increasing price of soft coke. Whereas the production cost of all types of cokes is the same. Besides, the Chakravarti Committee, while going into the question of price of coal, did not take two things into consideration. First is what should be the return on the capital and second is about depreciation. Hence the coal India suffered loss in 1975-76.

It is expected that Coal India Ltd. may suffer some loss in 1975-76. The main reason for this is that the Chakravarti Committee has not excepted the request made by Coal India Ltd. for increasing the price of the Coal. But because of the improvements made in the management of Coal India and the agreement reached with the workers there is likelihood of increase in production and consequently it is expected that Coal India may earn profit.

Five regional divisions have been Constituted by the Coal India Ltd. for ensuring proper distribution of Coal. In this connection the Company is also constantly in touch with the State Governments. Adequate trained man-power is also required for effecting improvements in the Coal industry. For this purpose a Joint Board of Mining Education and Training is being set up for providing necessary training and requisite training facilities. The department of Coal should

also give financial assistance to Indian School of Mining and Banaras Hindu University for providing Training. It is expected that these measures will help a lot for the prosperity of Coal Industry.

Lastly I am greatful to the Hon. Members who came out with very useful suggestion during the course of this discussion.

SHRI SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur) : I would like to congratulate the Hon. Energy Minister Shri K. C. Pant because ever since he took over this department there has been constant increase in the Coal Production. As a result of the nationalisation of coal mines the production of coal has gone up considerably, the condition of the workers has improved and their exploitation has come to an end. But still there are some petty officers who harass the workers. The Government should look into it and the harassment of the workers should be stopped.

In Bihar there are 400 mines which have not been nationalised so far. The Government should take necessary steps to nationalise all these private mines. Besides this coal is also being illegally mined in many places in Girdih and Hazaribagh even now. This should be stopped forthwith.

Huge amount of coal has been deposited on the pitheads. This coal can catch fire during summer if it is not removed from pitheads. Efforts should be made so that these stocks are removed from the pitheads as early as possible.

Recently there have been many accidents in coal mines. The causes of those mishaps should be probed into and necessary precautions taken so that such accidents do not occur in future.

There have been frequent disruptions and power failures in Bihar. Industries in Bengal do not receive power to the extent they require. This is affecting their production. The Government should see that the generation and distribution of power in that region should be brought to the desired level.

It has been reported that North Damodar Colliery in Chota Nagpur is threatened with flood waters. This mine is also under imminent danger of being engulfed by fire. It is feared that if precautionary measures are not taken immediately grave mishap may take place. It should be look into by the Government with all the seriousness.

सभापति महोदय : अब हमारे पास केवल एक घंटे का समय रह गया है। 6 बजे मैंने मंत्री महोदय को चर्चा का उत्तर देने के लिए बुलाया है। शेष 13 सदस्यों ने अभी चर्चा में भाग लेना है। अतः मेरा उन सभी से निवेदन है कि वह तीन चार मिनट में अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

SHRI RAM HEDAOO : (Ramtek) : The sole object of 20-point programme is to bring down the prices of essential items like power coal and fuel. But it is regrettable that the price of these commodities has gone up. The power is not available in plenty, which is having an adverse affects on agricltural production. The Electricity Boards are reluctant to new connections. Huge money is being demanded for a singal Electricity connection.

In my place a sum of Rs. 55 thousand has been demanded from a farmer for Electric connection. The electric meter do not operate properly.

Power is produced in Vidhraba and 80 per cent of its production is transmitted to western Maharashtra and Bombay for running industries. Even agriculture do not get power in Vidhraba.

I suggest that Ganga project may be constructed at once for production of more power and premate agriculture. Agriculture should get priority.

प्रो० नारायण चन्द पराशर (होश्यारपुर) : मैं ऊर्जा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

मेरे राज्य में छः परियोजनाओं का सर्वेक्षण हुआ है। इस समय पन-बिजली की वर्तमान क्षमता 111 मैगावाट है। नई छः परियोजनाओं की क्षमता 2400 मेगावाट होगी। यदि इन सब पर योजना में विचार किया जाता है तथा धन आबंटित किया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि इनमें से एक दो परियोजनाएं भी स्वीकृत हो जाती हैं तो कोई छटनी नहीं करनी पड़ेगी।

भाखड़ा में उत्पादित बिजली अन्य राज्यों को उपलब्ध की जाती है जबकि भाखड़ा गांव 20 वर्ष तक बिना बिजली रहा है। बांध लोगों के जीवन के लिए होने चाहिएं उनके विनाश के लिए नहीं।

15 अप्रैल को संचार मंत्री ने प्रश्न 2482 का उत्तर देते समय कि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड तथा बी० एस० एल० द्वारा लगाई गई लाइनों से संचार व्यवस्था में बाधा पैदा हुई है। एन० डब्ल्यू० सर्कल के अधिकारियों ने पंजाब विद्युत बोर्ड तथा बी० एस० एल० के प्रबन्धकों पर संग्रह किया है कि नये ट्रक रूटों के लिए 39,07,000 रुपए अग्रिम दिया जाए। अग्रिम राशि दिए जाने से क्षेत्र को क्षति नहीं पहुंचेगी।

पोंग बांध के निर्माण के समय कांगड़ा वैली रेलवे को तीन वर्ष तक बंद करना पड़ा। उसके लिए कोई अग्रिम राशि नहीं दी गई तथा वे रेलवे अभी भी बन्द पड़ी है। हमारे राज्य में विकल्पी व्यवस्थाओं के लिए अग्रिम राशि दी जानी चाहिए। भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड ने पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 4 लाख रुपए की मांग की थी परन्तु उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। एक मंत्री द्वारा दिए गए अभिवचन का दूसरे मंत्री द्वारा पालन किया जाना चाहिए। भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के अधिकारियों तथा सदस्यों की स्थानीय लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। लोगों को भाखड़ा के एक छोड़ से दूसरे छोड़ जाने की अनुमति नहीं दी जाती। भाखड़ा के सुरक्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य सुरक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेश पुलिस से लिया जाना चाहिए। जबकि बांध हिमाचल में है। तब उक्त अधिकारी अन्य राज्य से क्यों लिया जाता है। राज्य सभा की सदस्या श्रीमती सत्यवती डांग को बांध पार करने की अनुमति नहीं दी गई।

आज भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के पास धन नहीं है।

गोविन्द सागर झील से लोग पिछले 20 वर्ष से सिंचाई करते रहे हैं परन्तु आपात स्थिति के पश्चात् गिरफ्तारी के भय से इसे बंद करा दिया गया है। मैं श्री पंत को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हस्तक्षेप करके खेती पुनः चालू करा दी है। हिमाचल की जनता भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के अधिकारियों की ज्यादतियों को सहन नहीं करेंगे।

सभापति महोदय : यह गम्भीर आरोप हैं। मंत्री महोदय इसे नोट करें।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : पर्वतीय राज्यों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अधिक धन का आबंटन किया जाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक बार कोई अग्रिम राशि दी जाती है तो आगे की किश्तों को तकनीकी बाधा के कारण रोका नहीं जाना चाहिए।

मैं ऊर्जा मंत्री को प्रशंसनीय कार्य के लिए बधाई देता हूं। उनके काल में ही देश में पहला परमाणु परीक्षण किया गया है। मुझे उम्मीद है कि भाखड़ा संबंधी कार्यों में दोषों को दूर किया जाएगा तथा अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा।

DR. GOVIND DAS RICHHARIYA (JHANSI) : I congratulate the hon. Minister, the Engineers and officals of the Ministry for improving the position of energy in the country. Our plans should be so organised that during the years we face draughts there may be no energy crisis. The work on the atomic plans in hand during the fifth plan may be completed as early as possible. The thermal power stations and plants should also be expedited.

The Government should undertake co-ordinated programme for flood control and power generation, Dams may be constructed on big rivers so as these may keep ckeck the floods, and generate power. The Rural Electrification compensation is doing a good job but it is necessary to give more attention towards backward areas. Bundhelkhand is one such backward area. The rural electrification board should sanction more projects there. Jhansi district has been bifebricated into two districts, Jhansi and Lalitpur. It is very necessary to sanction 2nd project for that area.

With these words I support the demands of this Ministry. I stress that more and more funds be allocated for production of energy. I appriciate the decision of the Prime Minister for creating a separate Ministry of Energy.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : रिपोर्ट के अनुसार 1978-79 तक बिजली के उत्पादन की आवश्यकता 119.86 के स्थान पर 1983-84 की आवश्यकता 200 बिलीयन किलोवाट हो जाएगी। यदि देश की पन बिजली की उपलब्ध क्षमता पर ध्यान दें जोकि दक्षिण क्षेत्र में 80970 लाख किलोवाट है तथा उपयोग का प्रतिशत 38.8 है, पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्धता 71890 किलोवाट है तथा उपयोग 13.1 प्रतिशत है; उत्तरी क्षेत्र में उपलब्धता 107310 लाख किलोवाट है तथा उपयोग का प्रतिशत 22.8 है, पूर्वी क्षेत्र में उपलब्धता 26940 लाख किलोवाट है जबकि उपयोग का प्रतिशत 21.3 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्षमता 124640 लाख किलोवाट है जबकि उपयोग का प्रतिशत 0.3 प्रतिशत है। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय धीरे-धीरे केन्द्रीय क्षेत्र की स्थापना कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता तलचार को क्यों छोड़ दिया गया है?

इंधन नीति समिति ने मामले का समग्र रूप से अध्ययन करके अपनी सिफारिशें दी थी। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन पर विचार कर रही है तथा इस बारे राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जाएगी। रेलवे बजट प्रस्तावों से पता चलता है कि रेलें आगामी 15 वर्ष डीजल के उत्पादन पर 2000 से 3000 करोड़ रुपए व्यय करेंगी। डीजल की लाइनें 26000 किलोमीटर हैं। जबकि बिजली की लाइनें 4000 किलोमीटर हैं। एक बिजली का इंजन डीजल से दुगनी क्षमता वहन कर सकता है। 1976-77 में हमने डीजल के आयात के लिए 98 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जबकि बिजली खपत 43 करोड़ रुपए है। इस बारे में किसी प्रकार का समन्वय होना चाहिए। ऊर्जा के संकट के संदर्भ में सरकार को अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनानी चाहिए।

कृषि पर राष्ट्रीय आयोग ने कुछ उपयोगी सुझाव दिए हैं। न जाने क्यों उनकी जानकारी राज्य सरकारों को क्यों नहीं दी गयी। उन्होंने कहा है कि राज्य बिजली बोर्डों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास दी गई राशियों से लाभ उठाना चाहिए जिससे ऐसी हरिजन

बस्तियों को बिजली दी जा सके जिनमें अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं की गई। परन्तु मैं देखता हूं कि हरिजन बस्तियों को छोड़कर सब स्थानों में बिजली उपलब्ध है। राज्य सरकारों को इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करने को कहा जाए।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की एक अन्य सिफारिश है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बिजली उपलब्ध करायी जाए जिसका 50 प्रतिशत व्यय केन्द्र दो वर्ष के भीतर दे।

राज्य बिजली बोर्डों को मत्स्यरों की बस्तियों में बिजली उपलब्ध करने के लिए कहा गया है। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि केन्द्रीय सरकार समग्र ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण का कार्य अपने हाथ में ले ले ताकि केन्द्र द्वारा आबंटित धन समान रूप से वितरित हो सके।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह एक गम्भीर सुझाव है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आंध्र प्रदेश में ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रतिशत 38.2 है, आसाम में 5.2 है, बिहार में 14.5, गुजरात में 32.4, मध्य प्रदेश में 15.7, उड़ीसा में 20.8, उत्तर प्रदेश में 27, पश्चिम बंगाल में 24.3 है। विभिन्न राज्यों में पम्प सैटों की संख्या इस प्रकार है; आंध्र प्रदेश 272645, आसाम 707, पश्चिम बंगाल 7622, उड़ीसा 3021 तथा तमिलनाडु में 7 लाख है। राज्यों में बहुत अधिक असमानता है। इसे दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

सभापति महोदय : उड़ीसा में कम कुए हैं तथा पम्पसैट भी कम हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मंत्री महोदय इन सब बातों पर ध्यान दें।

SHRI BHAGATRAM MANHAR (Janjgir) I support the demands in grants for the Ministry of Energy. There has been lot of improvement in the functioning of the Ministry. Madhya Pradesh is a very backward area. It has get a huge natural resources but due to shortage of funds these resources are not being utilised. It's backwardness cannot be removed without central support.

After the nationalisation of coal mines, the coal India Limited has taken over all the coal mines except these of singreni Kheden and Andhra Pradesh. They have divided the country into 3 divisions, eastern, central and western with Headquarters at Santarva Ranchi and Nagpur.

Madhya Pradesh Maharashtra and Orrisa have target of 19 ·94 lakh tonnes for 1974-75 and 31 ·50 lakh tonnes for 1978-79. 80 percent of the total production comes under Madhya Pradesh. Even then the Headquarter of the region has been located at Nagpur offices of Managing Director, Chief Mining Engineer (Production), Chief Mining Engineer (Planning) Additional Controller of Accounts, General Manager Sales, & Marketing, Chief Purchase Officer, Area General Manager are all located in Nagpur. It is further prepared to opon thermal power station personnel training school at Nagpur. Consequently all the advertisement are given to local papers. Local people get priority in the matter of appointment. Even the benefit of Income tax and sales tax goes to Maharashtra. The officers do not want that the officers should shift to Bilaspur. Bilaspur is suitable for officers in all respects.

Mostly coal Mines are in Madhya Pradesh whereas thermal power stations are being constructed elsewhere. Thus a lot of money is spent in transportation. The Government should construct thermal power stations there itself.

The Corba power station has the capacity of 3000 MW. The Prime Minister has announced in her 20 point programme to give priority to thermal power stations. Everyone has stated that the production of coal has increased. My submission is different.

The Managing Director (Production) is giving demerage due to shortage of wagons. The real position can be known after physical verification when the rural people ask for coal permits they have to face difficulties. In Madhya Pradesh there are 70414 villages. Out of which 10700 villages were electrified by 31-3-1974. During 5th five year plan another 9003 villages are prefased to be electrified. So after the completion of 5th five year plan 50711 villages would still remain unelectrified.

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : मुझे मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने में प्रसन्नता है। मेरा उस क्षेत्र से संबंध है जिसे कोयला उत्पादन में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके बावजूद वहां मजदूरों एवं किसानों में व्यापक असंतोष है। यह सच है कि विश्व भर में जहां भी प्रकृति ने कोयला प्रचुर मात्रा में दिया है वहां की जनता को कष्टों में जीवन व्ययतीत करना पड़ता है।

झरिया (बिहार) आज भी पिछड़ा हुआ है। मेरी हाल की पदयात्रा में वहां के लोग आंसुओं से भरे हुए मुझे मिलने आए। प्रबन्धकों से बात करने पर पता चला कि उनकी योजना प्रचुर मात्रा में कोयला निकालने की है।

मैंने जयन्ती क्षेत्र की भी पदयात्रा की जहां पर कोयला क्षेत्र का विकास हो रहा है। इसकी क्षमता राष्ट्रीय उत्पादन का 1/3 होगी। वहां की केन्द्रीय वर्कशाप 3 एकड़ में है। मुझे बताया गया है कि वहां पर डम्परों आदि में काम करने वाले व्यक्तियों की कमी है तथा उन्हें बाहर से मंगाया जाता है। रोजगार के दफ्तरों में 25000 लोक पंजीकृत हैं जिनमें बी०एस०सी०एम० एस०सी० भी हैं। यदि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए तो वे सभी तरह की मशीनें चला सकते हैं। बाहर से बहुत अधिक व्यक्तियों को लाने के स्थान में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाए।

क्या यह संभव नहीं है कि कोयला खान क्षेत्रों में उपलब्ध मानवीय स्रोतों का पूरा उपयोग किया जाए। कोयला क्षेत्र लगभग 90 प्रतिशत मध्य प्रदेश में है तथा 10 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। क्या सुपर थर्मल स्टेशन कोयला क्षेत्रों के केन्द्र में स्थापित किया जाएगा। खेद की बात है कि जब भी बिजली की कमी होती है कि तब सिंचाई के लिए बिजली रात को ही दी जाती है। क्या इस बारे में मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता ?

डा० एच० पी० शर्मा (अलवर) : मंत्रालय के श्रेष्ठ कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं। अभी इस मंत्रालय की समस्याओं का विस्तार से अध्ययन किया जाना है। पहली योजना में बिजली उत्पादन के लक्ष्यों में 20 प्रतिशत कमी रही, दूसरी योजना में कमी 36 प्रतिशत तथा तीसरी योजना में 35 प्रतिशत। तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान कमी 38 प्रतिशत रही। चौथी योजना के पहले तीन वर्ष में 37 प्रतिशत कमी आई। 23 वर्ष तक निरन्तर कमी बनी रही।

विद्युत क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। (1) बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करना; (2) इन संयंत्रों से बिजली पैदा करना और (3) बिजली का वितरण। इनके लिए सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है। चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में योजना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तविक कठिनाई यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विद्युत उत्पादन उपकरणों की सप्लाई नहीं कर सकते। क्या फिर यही कठिनाई सामने आएगी? ये सभी उपकरण भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड से प्राप्त किए जाएंगे, हमें ऐसी स्थिति में ध्यान देना चाहिए।

दूसरे हमें बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्रों का विस्तार करना चाहिए और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए। प्रतिवेदन में सन्तोष व्यक्त किया गया है कि बिजली उत्पादन का महत्व उसका गुण प्रकार है। गड़बड़ी होने पर बिजली का वोल्टेज कम हो जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा होता ही रहता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्रालय में एक नई नीति तैयार की है। इस नई नीति को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक तथ्य यह है कि एक तापीय बिजली घर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। स्विचगीयर टैस्टिंग तथा विकास प्रयोगशाला तथा विद्युत अनुसंधान संस्थान की आवश्यकता है। अधिक चिंता की बात यह है कि गत वर्ष के दौरान सरकार इस प्रयोजन के लिए निर्धारित धन व्यय नहीं कर सकती है। इन बातों को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान ऊर्जा नीति की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि ऊर्जा नीति में परमाणु शक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। यदि कोयला या डीजल से शक्ति पैदा करने में कोई त्रुटि रह गई है तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु हमने परमाणु संयंत्रों को स्थापित करने में किसी प्रकार की गलती की तो उसका यह अर्थ होगा कि हम देश के भविष्य को 1980 के दशक तक ही 'नहीं अपितु 1990 के बाद तक भी गिरवी रखेंगे।

श्री पंत जब इस मंत्रालय में मंत्री नहीं थे तो वे इस बात के पूर्ण समर्थक थे कि परमाणु शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। किन्तु मुझे यह समझ में नहीं आता कि अब मंत्रालय ने प्रतिवेदन में इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उन लोगों के विरुद्ध क्या कर रही है जिन्होंने खानों से अवैध रूप से कोयला निकाला है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही कर रही है?

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : ऊर्जा मंत्री को ऊर्जा क्षेत्र में समाप्त होने वाले संसाधनों के बजाय पुनर्नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों पर अधिक धन व्यय करना चाहिए। हमारे पास 5.4 हजार करोड़ मीटरी टन कोयला है और यदि हम प्रतिवर्ष 10 करोड़ टन कोयला प्रयोग कर अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें तो आधी शताब्दी में ही ऊर्जा का यह स्रोत समाप्त हो जाएगा। अतः मंत्री महोदय को अभी से आगे के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए और सूर्य ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए।

हमें फोटो संश्लेषण तथा फोटो-वोल्टीय का बहुत लाभ है। फोटो-वोल्टीय हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक होगा क्योंकि हम ऊर्जा का बिजली के रूप में प्रत्यक्ष परिवर्तन कर लेंगे जो हमारे विभिन्न उद्योगों में काम आती है। इसके लिए हमें केवल अर्धचालक तथा धातु की आवश्यकता पड़ेगी।

तापीय बिजलीघरों की स्थापना के लिए हमारे देश में पर्याप्त क्षमता है। मंत्री महोदय के समक्ष 18-20 के गुणक द्वारा बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पन्न करने के कार्यक्रम आरम्भ करने में कौन सी बाधा है। चूंकि अधिष्ठापन और बिजली पैदा करने की लागत आकार के अनुपात में होगी। अतः यदि बड़े-बड़े एककों में ऊर्जा प्रजनन आरम्भ करें तो उनके लिए कम लागत पर बिजली की सप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा।

जहां तक पारेषण का समबन्ध है, इस समय हम यह कार्य 220 किलो वाट पर कर रहे हैं। हमें तत्काल अधिक वोल्टेज की शक्ति काम में लानी चाहिए क्योंकि बिजली को जो हानि हो रही है उससे हमारी अर्थव्यवस्था सहन नहीं कर सकती। वास्तव में 400 किलो-वाट पर कार्यक्रम चलाने के लिए देश में सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं।

पनबिजली की बात की गई है। फ्रांस में 'रान्स एसच्वैरी पावर स्टेशन' 1973 से निरन्तर कार्य कर रहा है। भारत में प्राय: फ्रांस की तुलना में बहुत अधिक जल है और हम इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई खतरा भी नहीं है। फ्रांस के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। इसलिए मंत्री महोदय को फ्रांस से सहायता लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए

तारापुर परमाणु केन्द्र में यूरेनियम तथा अन्य वस्तुओं की बहुत कमी होने के कारण उन्हें उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों तक ही सीमित रहना चाहिए। इस के लिए फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर ही उपयुक्त है। हमें इन देशों के सहयोग से ऐसे विद्युत केन्द्रों पर काम आरम्भ करना चाहिए।

अत: मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

ऊर्जा मंत्री (श्री के० सी० पंत) : मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और कई प्रकार के रचनात्मक सुझाव दिए हैं।

कुछ सदस्यों ने अवैध खनन कार्य का उल्लेख किया है। हमने बिहार सरकार के साथ गैर सरकारी पट्टेधारियों द्वारा अनधिकृत खनन कार्य रोकने के प्रश्न पर बातचीत आरम्भ कर दी है। हमने इस संबंध में उनसे विस्तारपूर्वक बातचीत की है और विभिन्न वैकल्पिक उपायों पर सोच-विचार किया है। सभा को यह जानकर हर्ष होगा कि इस स्थिति को प्रभावशाली ढंग से निपटाने के लिए कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 का संशोधन करने के लिए आज सुबह एक अध्यादेश जारी किया गया है। जिसकी एक प्रति मैं सभा पटल पर रखता हूं (ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी-10742/76) इस अध्यादेश के अनुसार आज से केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित और व्यवस्थित सरकारी कम्पनी या निगम का उप पट्टाधारी या लोहा तथा इस्पात उत्पादन में लगी कम्पनी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में भारत में कोयला खनन कार्य नहीं करेगा। इसमें यह भी उपबन्ध किया गया है कि जो लोग अनधिकृत कोयला खनन कार्य में लगे हुए हैं उन्हें जेल की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। और इसके अतिरिक्त 10,000 रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है।

मुझे आशा है, इस अध्यादेश को जारी करने से आगे के लिए कोयला खानों का अनधिकृत खनन कार्य बन्द हो जाएगा और देश में राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग का विकास होगा।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 30 अप्रैल, 1976/10 वैशाख, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 30th April, 1976/ Vaisakha 10, 1898 (Saka).

414LSS/76—GIPF.